भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1		
राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेनदेनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.1.3	6
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	7
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.2.2	9
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.2.3	13
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	14
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.3.1	14
राजस्व व्यय	1.3.2	16
पूंजीगत व्यय	1.3.3	16
प्रतिबद्ध व्यय	1.3.4	16
व्यय की गुणवत्ता	1.3.5	19
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.3.6	20
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.4	20
सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	1.4.1	20
अपूर्ण परियोजनाएं	1.4.2	21
निवेश एवं प्रतिलाभ	1.4.3	21
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.4.4	22
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को वित्तीय सहायता	1.4.5	23
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं	1.4.6	24
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.4.7	24
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.5	25
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना	1.5.1	25
आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन	1.5.2	25
ऋण प्रबंधन	1.6	29
ऋण रूपरेखा	1.6.1	29
ऋण संधारणीयता	1.6.2	30
उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना	1.6.3	31
अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	31

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	33
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.2	34
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.2.1	34
बचतें	2.2.2	34
सतत बचतें	2.2.3	35
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.2.4	35
अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.2.5	35
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.2.6	36
सारभूत समर्पण	2.2.7	36
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.8	36
समर्पित न की गईं प्रत्याशित बचतें	2.2.9	36
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.2.10	37
आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ का अनुपयुक्त व्यय	2.2.11	37
व्यय की अत्यधिकता	2.2.12	37
अध्याय 3		
वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी		
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.1	39
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.1.1	39
व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना	3.1.2	40
व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण में अनियमितताएं	3.1.3	40
प्रशासक द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर बैंक खातों में निधियां जमा करना	3.1.4	40
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.2	41
उपकर का लेखांकन	3.2.1	41
श्रम उपकर की उपयोगिता	3.2.2	41
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता	3.3	42
दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना	3.4	43
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति	3.5	44
असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति	3.6	45
बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	3.7	46
रोकड़ शेष में भिन्नता	3.8	46
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	46
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.10	47

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
विभाग द्वारा कम अंशदान	3.11	47
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.12	48
बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना	3.12.1	48
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.13	49
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब	3.14	50
लाभांश घोषित न किया जाना	3.15	51
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.16	51
समता पूंजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का मिलान न करना	3.17	52
सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों का व्यय शासकीय लेखों में नहीं दर्शाया जाना	3.18	52
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.19	53

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	55
सरकारी लेखों की संरचना	1.2 (भाग–क)	56
वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2 (भाग–ख)	56
वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार	1.3	57
2016–17 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना	1.4	60
श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट (₹ एक करोड़ या अधिक) की उपयोगिता में कमी का विवरण	1.5	62
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.6	63
स्वयं के कर राजस्व 2012–17	1.7 (क)	66
करेत्तर राजस्व 2012–17	1.7 (ख)	66
31 मार्च 2017 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	1.8	67
31 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.9	68
आरक्षित निधियों का विवरण	1.10	70
पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.1	72
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.2	73
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.3	76
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान	2.4	78
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.5	79
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.6	85
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.7	87
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.8	89
2016–17 के दौरान सारभूत समर्पण	2.9	91
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)	2.10	103
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	2.11	104

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
समर्पित नहीं की गईं ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण	2.12	105
समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	2.13	108
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान एवं रखरखाव का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.14	109
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.15	110
व्यय की अत्यधिकता	2.16	111
लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.1	113
लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.2	114
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण	3.3	115
चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरण	3.4	117
2016–17 के दौरान अपलेखित प्रकरण	3.5	118
2016–17 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली	3.6	119
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	3.7	121
बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.8	122
31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश	3.9	124
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	3.10	126

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर राज्य के वित्तीय निष्पादन के आकलन तथा राज्य विधानसभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आदानों को प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा 2016–17 के बजट अनुमानों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है। यह ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, राजसहायताओं तथा ऋण के पुनर्भुगतान एवं उधार पद्धतियों पर व्यय की प्रवृत्ति पर अंतर्दृष्टि डालता है।

अध्याय–2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोगों एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय–3 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिवेदित आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के अनुपालन की एक सूची है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

इस प्रतिवेदन के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों का सार मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश शासन पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक पृथक् अध्याय के रूप में भी शामिल है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी 2012–13 से 2016–17 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि 2013–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में कमी आई किन्तु उसके बाद वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य सरकार ने बजट अनुमान 2016–17, चौदहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि राज्य बजट अनुमान 2016–17 में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा आकलन में आगे प्रकट हुआ कि वित्त लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर तथा राजकोषीय घाटे एवं बकाया देयताओं दोनों को कम कर बताया गया।

(कंडिका 1.1.2)

संसाधन संग्रहण

2015–16 की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 17,796 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 2,788 करोड़ कम थीं।

2015–16 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 19,766 करोड़ (20 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 3,048 करोड़ से कम था।

2015–16 की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 10,453 करोड़ (62 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 3,458 करोड़ से कम था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।*

(कंडिकाएं 1.1.1 एवं 1.1.3)

महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश एवं अनुशंसाएं:

नवीन पेंशन योजना

यद्यपि 2006–07 से 2009–10 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342 के अंतर्गत कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹ 83.27 करोड़ जमा किए गए थे, वहीं सरकार ने संबंधित वर्षों में समरूप अंशदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त 2010–11 से 2016–17 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,197.51 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान ₹ 1,302.40 करोड़ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2010–11 से अंगीकृत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी अंशदान से अधिक सरकार का अंशदान विगत वर्षों की कमियों के विरुद्ध था।

मध्य प्रदेश शासन, सरकार एवं कर्मचारियों के अंशदान को निधि में अंतरित करने के लिए राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 का संचालन करता है। यह कार्यप्रणाली शंकास्पद एवं अशुद्ध है।

कुल अंशदान ₹ 2,499.91 करोड़ (2010–11 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारी एवं सरकार का अंशदान) के विरुद्ध ₹ 97.98 करोड़ निधि में कम अंतरित करते हुए एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 2,401.93 करोड़ अंतरित किए गए थे। 2016–17 के दौरान भी सरकार ने कुल अंशदान ₹ 650.34 करोड़ में से एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 628.48 करोड़ ही अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2016–17 के लिए ₹ 21.86 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श कर (i) 2004–05 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान की राशि का मिलान एवं वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में नवीन पेंशन योजना के लिये किये गये अंशदान का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। (ii) प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 के अधीन नवीन पेंशन योजना के लिए बजटिंग एवं कर्मचारियों के अंशदान के पुस्तांकन की विद्यमान पद्धति की समीक्षा करनी चाहिए।*

(कंडिका 1.3.4.1)

सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2016–17 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से उच्च था तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर 2012–13 में राज्य के स्वयं के निष्पादन से भी अधिक था।

(कंडिका 1.3.5.1)

अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण कार्यों पर अवरुद्ध निधियों से व्यय की गुणवत्ता में नकारात्मक रूप से कमी आती है। जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में ₹ 9,557.16 करोड़ मूल्य की 242 अपूर्ण परियोजनाएं थीं, जिनमें 24 परियोजनाओं (जहाँ पर लागत पुनरीक्षित कर दी गई हैं) में ₹ 4,800.14 करोड़ की लागत बढ़ गई थी।

अनुशंसा: *जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजनाओं की पूर्णता समय से सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं।*

(कंडिका 1.4.2)

निवेश एवं प्रतिलाभ तथा अग्रिम कर्ज

2012–17 के दौरान सरकार की उधार लागत एवं कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ के मध्य अंतर के कारण राज्य सरकार को ₹ 4,857 करोड़ की हानि हुई। केवल 2016–17 में ₹ 1,224 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

राज्य सरकार को विगत पाँच वर्षों में सरकार की उधार लागत एवं ऋण अग्रिमों के मध्य अंतर के कारण ₹ 1,712 करोड़ की हानि हुई। केवल 2016–17 में ₹ 310 करोड़ की हानि हुई।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में अपने निवेशों एवं अग्रिम कर्जों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ कम से कम सरकार की उधारी लागत से साम्य रखे।*

(कंडिकाएं 1.4.3 एवं 1.4.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

अवधि 2014–17 के दौरान ₹ 40.36 लाख शेष की दो आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं की गईं थीं। तीन अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2017 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था, किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, यदि पहले नहीं किया गया हो, तो विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये केवल वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करते हैं यदि यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। यद्यपि मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित निधियों में कोई वास्तविक रोकड़ लेन–देन नहीं था, अतः लेखों में प्रदर्शित शेष मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ थे। यह आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है तथापि अन्य राज्यों के विपरीत मध्य प्रदेश शासन ने ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने ₹ 635.72 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,27,144.43 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इसके कारण 2016–17 में ₹ 635.72 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।*

(कंडिका 1.5.2.1)

राज्य आपदा मोचन निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि से प्रतिस्थापित कर दिया था। मार्च 2017 में राज्य आपदा मोचन निधि के पास अंतिम शेष ₹ 668 करोड़ था। राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देश 2010 की कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, निधियों के अंतर्गत शेषों का निवेश किया जाना चाहिए और सरकार को अनिवेशित शेषों पर अधिविकर्ष पर देय ब्याज की दर से ब्याज देना चाहिए। तथापि, निधि के निर्माण के समय से निधियों का निवेश नहीं किया गया था, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि को किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया था। लागू ब्याज दरों के अनुसार गणना करने पर अदत्त ब्याज ₹ 118.04 करोड़ रहा एवं इस प्रकार मार्च 2017 के अंत में उस सीमा तक देयता निर्मित की। 2016–17 के लिए अदत्त ब्याज ₹ 56.78 करोड़ था, जिस सीमा तक राजस्व अधिशेष बढ़ाकर तथा राजकोषीय घाटा कम करके बताया गया। निधि के संचालन के समय से निधि में शेष एवं अदत्त ब्याज राज्य की अगणित देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

अनुशंसा: *राज्य को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पड़े हुए शेष को दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति शुल्क

चौदह संस्थानों से ₹ 206.68 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त किया जाना था। तथापि दो संस्थानों ने प्रत्याभूति शुल्क का आवश्यकता से अधिक भुगतान किया। इसी प्रकार, यद्यपि मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी, जबलपुर से कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं किया जाना था, किन्तु कम्पनी ने 2016–17 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क ₹ 4.44 करोड़ का भुगतान किया। शेष 12 संस्थानों, जिन पर प्रत्याभूति ₹ 20,596.79 करोड़ बकाया थी, ने निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान पूर्व प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी, मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी एवं मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम के प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।*

(कंडिका 1.5.2.3)

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन को निधि के सृजन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित है और तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत का अंशदान करे। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार, राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि को ₹ 688.26 करोड़ का अंशदान करना आवश्यक था। इसके स्थान पर राज्य शासन ने ₹ 14.21 करोड़ का अंशदान किया। इस कमी के परिणामस्वरूप, ₹ 674.05 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति विमोचन निधि को ₹ 408.79 करोड़ का अंशदान दिया था, जो कि केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। इसमें से ₹ 14.21 करोड़ 2016–17 में जमा/निवेश किए गए।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना का पुनरीक्षण करने पर विचार करना चाहिए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि में अंशदान करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2.3)

बचतें

नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभागीय व्यय के अनुवीक्षण में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 2016–17 के दौरान राशि ₹ 40,425.63 करोड़ की बचतें अप्रयुक्त रहीं।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण करना चाहिए ताकि निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किए बिना एवं आवंटनों के व्यपगत हुए बिना तुरंत समर्पण किया जाए।*

(कंडिका 2.1)

आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

राज्य सरकार 2003–15 की अवधि से सम्बंधित 32 अनुदानों एवं 19 विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 758.14 करोड़ का नियमन कराये जाने में विफल रही।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विगत 12 वर्षों के आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा द्वारा शीघ्रातिशीघ्र नियमित किए जायें एवं बजट से अधिक व्यय करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाये।*

(कंडिका 2.2.1)

निधियों के समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने राशि ₹ 3,989.45 करोड़ की निधियों के समर्पण के लिए 46 दोषपूर्ण स्वीकृतियों को स्वीकार करने से मना कर दिया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को अत्यधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों एवं अनौचित्यपूर्ण समर्पणों से बचना एवं नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के स्वीकृति आदेश दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समयोचित, पूर्ण एवं वैध होना सुनिश्चित करना चाहिए।*

(कंडिका 2.2.9.1)

आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ का अनुपयुक्त व्यय

राज्य सरकार ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मार्च 2017 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ व्यय किए जो कि आकस्मिक एवं अनवेक्षित व्यय नहीं था, जैसा कि आकस्मिकता निधि से आहरण की आवश्यकताओं के अंतर्गत निर्धारित है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आहरण केवल आकस्मिक एवं अनवेक्षित प्रकृति के व्यय के लिए किया जाये।*

(कंडिका 2.2.11)

व्यय की अत्यधिकता

मार्च 2017 के दौरान 18 अनुदानों/विनियोगों के 34 प्रकरणों में राशि ₹ 14,169.78 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन ने विभिन्न योजनाओं के लिए छह अनुदानों के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिवसों में ₹ 2,148.01 करोड़ के स्वीकृति आदेश जारी किये।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अत्यधिकता को नियंत्रित करना चाहिए।*

(कंडिका 2.2.12)

व्यक्तिगत जमा खाते

राज्य के व्यक्तिगत जमा खातों में 31 मार्च 2017 को ₹ 5,350.37 करोड़ का अंतिम शेष था। इसके अतिरिक्त, 53 कोषालयों में 341 व्यक्तिगत जमा खाते ₹ 650 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित रहे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित किया जाता है तथा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।*

(कंडिकाएं 3.1 एवं 3.1.1)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मार्च 2017 को मण्डल के पास राशि ₹ 1,218.47 करोड़ बैंक खातों में उपलब्ध थी। तथापि बैंक खातों से प्राप्त ब्याज रोकड़ बही में नहीं दर्शाया जा रहा था।

2012–13 से लेखे तैयार नहीं किए जाने के अतिरिक्त मण्डल ने लेखापरीक्षा के समक्ष उपलब्ध शेषों के तीन विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए। अतः लेखापरीक्षा में प्राप्तियों एवं व्यय की प्रामाणिकता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

मण्डल के पास स्थायी परिसम्पत्ति पंजी अनुपलब्ध होने के कारण निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अनुशंसाः *राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल लेखों को अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियां सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे तथा अधिनियम में निर्धारण अनुसार उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।*

(कंडिका 3.2.1)

लेखों में अपारदर्शिता

मध्य प्रदेश शासन के विभाग लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन करते हैं जिसे केवल यदा–कदा मामलों में ही परिचालित किया जाना है। 2016–17 के दौरान प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 33,003.16 करोड़ एवं व्यय के अंतर्गत ₹ 20,906.92 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लेन–देनों में अपारदर्शिता रही।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित सभी मदों की समग्र समीक्षा करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किए जाते हैं।*

(कंडिका 3.3)

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति एवं असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति

मध्य प्रदेश शासन के विभाग सहायतानुदान ₹ 18,080.10 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।

आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 74.05 करोड़ प्राप्त किये। यद्यपि सम्पूर्ण राशि अव्ययित थी एवं लोक लेखों में जमा थी, तथापि आयुक्त ने सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर अनुदान जारी करने वाले प्रशासकीय विभाग, अनुदान आदेश में निर्धारित समय से अधिक अवधि से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्रित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि उस समय तक प्रशासकीय विभाग चूककर्त्ता अनुदानग्राहियों को आगे और अनुदान जारी न करें। असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों एवं कार्यान्वयन एजेन्सी के उत्तरदायित्व निर्धारण एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।*

(कंडिकाएं 3.5 एवं 3.6)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खातों में रखना

पाँच विभागों ने वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना समेकित निधि से ₹ 20.34 करोड़ आहरित कर 19 बैंक खातों में जमा किये थे।

आयुक्त, निदेशालय, स्वराज संस्थान, भोपाल, ने 2011–12 से 2016–17 के दौरान कोषालय से ₹ 8.59 करोड़ आहरित किए थे तथा मध्य प्रदेश कोषालय संहिता में निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर इस राशि को बैंक खाते में जमा कर दिया।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित कर सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीन शासकीय विभाग एवं इकाईयाँ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषालय से धन का आहरण नहीं करती हैं। वित्त विभाग को राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की समीक्षा भी करनी चाहिए एवं वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए सभी खातों को बंद करना चाहिए। शासन से अनुमति प्राप्त किए बिना बैंक खातों में धन जमा करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।*

(कंडिकाएं 3.12 एवं 3.12.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

सार्वजनिक क्षेत्र के 29 कार्यशील उपक्रमों/निगमों (54 लेखे) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों/निगमों (94 लेखे) के लेखे एक से 27 वर्षों तक बकाया हैं। इसके बावजूद वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों को बकाया लेखों की अवधि के दौरान ₹ 8,912.99 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को बकाया लेखे वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए, लेखे यथोचित अवधि में अद्यतन कर लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं वहाँ सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता रोक देनी चाहिए।*

(कंडिका 3.14)

लाभांश घोषित न किया जाना

राज्य सरकार की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। उनके अंतिम रूप से लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उपक्रमों ने कुल लाभ ₹ 397.73 करोड़ अर्जित किया, यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल चार उपक्रमों ने ₹ 43.38 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों ने लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम सरकार को निर्धारित लाभांश का भुगतान करें।*

(कंडिका 3.15)

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015–16 की तुलना में मुख्य राजकोषीय मात्रा परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में सम्मिलित विवरणों पर आधारित है। राज्य की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.1*** में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1]

वर्तमान मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों (आधार वर्षः 2011–12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल घरेलू उत्पाद	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,80,924	4,37,737	4,81,982	5,43,975	6,40,484
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.71	14.91	10.11	12.86	17.74
स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,51,461	3,64,197	3,83,994	4,14,607	4,65,212
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.38	3.62	5.44	7.97	12.21

(स्रोतः सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2017 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

परिशिष्ट 1.2 के ***भाग (क)*** में सरकारी लेखों की संरचना की व्याख्या की गई है तथा ***भाग (ख)*** में वित्त लेखे का अभिन्यास (layout) दिया गया है।

1.1.1 राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

तालिका 1.2 वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत करती है। ***परिशिष्ट 1.3*** 2016–17 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

---

[1] सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः देश एवं राज्य के अन्दर परिभाषित अन्तिम माल एवं सेवाओं का दिए गए समय की अवधि में बाजार मूल्य है एवं यह देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

तालिका 1.2: 2016–17 में राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015–16	2016–17	संवितरण	2015–16	2016–17		
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
अनुभाग–क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,05,510.60**	**1,23,306.79**	**राजस्व व्यय**	**99,770.70**	**73,267.74**	**46,269.63**	**1,19,537.37**
कर राजस्व	40,213.66	44,193.65	सामान्य सेवाएं	25,700.26	27,454.36	448.76	27,903.12
करेत्तर राजस्व	8,568.79	9,086.51	सामाजिक सेवाएं	42,650.93	22,511.44	25,430.99	47,942.43
संघ करों/शुल्कों का अंश	38,397.84	46,064.10	आर्थिक सेवाएं	25,528.52	17,847.51	19,037.22	36,884.73
भारत सरकार से अनुदान	18,330.31	23,962.53	सहायतानुदान तथा अंशदान	5,890.99	5,454.43	1,352.66	6,807.09
अनुभाग–ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**26.47**	**24.19**	**पूंजीगत परिव्यय**	**16,835.47**	**129.28**	**27,159.03**	**27,288.31**
			सामान्य सेवाएं	549.22	42.47	655.37	697.84
			सामाजिक सेवाएं	3,024.49	40.28	3,244.88	3,285.16
			आर्थिक सेवाएं	13,261.76	46.54	23,258.77	23,305.31
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	**162.32**	**772.05**	**संवितरित कर्ज तथा अग्रिम**	**3,157.91**	**3,588.86**	**1,351.41**	**4,940.27**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**1.93**	**0.01**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**1.94**	**0.66**	**-**	**0.66**
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**19,985.30**	**29,847.41***	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**4,860.36**	**4,925.41**	**-**	**4,925.41***
आकस्मिकता निधि	**1.08**	**-**	**आकस्मिकता निधि**	**-**	**-**	**-**	**-**
लोक लेखा प्राप्तियाँ[2]	**1,32,772.19**	**1,61,078.58**	**लोक लेखा संवितरण**	**1,28,336.75**	**1,58,242.07**		**1,58,242.07**
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**5,401.96**	**10,898.72**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**10,898.72**	**10,993.66**	**-**	**10,993.66**
योग	**2,63,861.85**	**3,25,927.75**	**योग**	**2,63,861.85**	**2,51,147.68**	**74,780.07**	**3,25,927.75**

*** वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किए गए थे।**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां नीचे **तालिका 1.3** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	-
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.50	7.56	17.02	19.03	16.87	14.59
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	64,980	63,023	70,620	80,418	89,563	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.79	-3.01	12.05	13.87	11.37	7.62
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.49	17.30	18.39	19.40	19.25	18.57
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	62,968	69,870	82,373	99,771	1,19,537	-

[2] मुख्य शीर्ष 8009 से 8782 तक को सम्मिलित करते हुए (वित्त लेखे विवरण पत्रक–21)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.50	10.96	17.89	21.12	19.81	17.86
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	58,098	58,132	65,626	76,043	86,825	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.25	0.06	12.89	15.87	14.18	10.65
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.53	15.96	17.09	18.34	18.66	17.32
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित पूंजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,567	10,813	11,878	16,835	27,288	-
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	27.74	-6.52	9.85	41.73	62.09	26.98
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	10,672	8,996	9,463	12,831	19,820	-
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.86	-15.70	5.19	35.59	54.47	19.48
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.04	2.47	2.46	3.09	4.26	3.06

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक राजस्व व्यय में वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में 2013–14 के दौरान कमी आई किन्तु उसके बाद वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

उदय (उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के ऋण को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त भार को **कंडिका 1.6.3** में विस्तार से उल्लेख किया गया है, उदय के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि उदय के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किए गए ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उदय को छोड़ने के बाद राज्य सरकार का वास्तविक राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं क्रमशः ₹ 20,304 करोड़ एवं ₹ 1,48,440 करोड़ थी। लेखों में लेने पर **कंडिका 3.16** एवं **तालिका 3.13** में तथा इस प्रतिवेदन में उल्लेखित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिशेष ₹ 1,976 करोड़ अधिक बताया गया जबकि राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं क्रमशः ₹ 1,390 करोड़ एवं ₹ 1,368 करोड़ कम बताई गयी हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अवधि 2016–17 में बजट में दिए गए मुख्य घटकों, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत राज्य का निष्पादन जिसमें राज्य की वास्तविक उपलब्धि (उदय को छोड़कर) तथा लेखापरीक्षा द्वारा गणना किए गए **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका 1.4: 2016–17 के दौरान राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य (मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण[3])	वास्तविक उपलब्धि (उदय को छोड़कर)	वास्तविक जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित किया गया
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	–	शून्य	(+) ₹ 3,510 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.49 प्रतिशत)	(+) ₹ 7,781 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.21 प्रतिशत)	(+) ₹ 5,805 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.91 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा(–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत {(–) ₹ 24,914 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.17 प्रतिशत {(–) ₹ 20,304 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.39 प्रतिशत {(–) ₹ 21,694 करोड़}
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)	25.34 प्रतिशत	–	21.67 प्रतिशत	23.18 प्रतिशत	23.39 प्रतिशत

(स्रोतः चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015–20, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2016–17 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2016–17)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने बजट अनुमान 2016–17, चौदहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि, राज्य बजट अनुमान 2016–17 में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋणों के अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं ऋणेत्तर प्राप्तियों से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण एवं अग्रिमों सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित प्रतिमान (pattern) **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटा (उदय सहित*) (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं)		**9,420 (2.47)**	**9,882 (2.26)**	**11,352 (2.36)**	**14,065 (2.59)**	**27,664 (4.32)**
1	राजस्व आधिक्य	7,459	5,879	6,268	5,740	3,770
2	निवल पूंजीगत व्यय	-11,534	-10,777	-11,850	-16,809	-27,265[4]
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-5,345	-4,984	-5,770	-2,996	-4,169
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान**						
1	बाजार उधारियां	3,363	3,572	8,171	12,991	14,551
2	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	909	450	536	414	249
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	725	1,270	1,184	922	1,266

[3] मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

[4] वास्तविक परिणामी (नेट) पूंजीगत व्यय ऋणात्तमक ₹ 27,264.12 करोड़ था किन्तु राजकोषीय घाटे से मिलाने के लिए पूर्णांक में ऋणात्तमक ₹ 27,265 करोड़ लिया गया।

	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	210	245	258	798	1,590
5	आरक्षित निधियां	2,020	971	143	1,733	-498
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	837	948	962	1,025	813
7	जमा एवं अग्रिम	348	-490	618	574	3,436
8	उचंत एवं विविध	-93	32	462	1,457	-842
9	प्रेषण	400	286	- 57	-352	-72
10	अन्य[5]	+701	2,598	-925	-5,497	+7,171
	राजकोषीय घाटा	**9,420**	**9,882**	**11,352**	**14,065**	**27,664**
**ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्वाह के परिणामी (नेट) हैं						

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
*इस तालिका के राजकोषीय घाटे में उदय का प्रभाव सम्मिलित है ताकि वित्त लेखे में दर्शित राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान आंकड़ो को मिलाया जा सके।

1.1.2.2 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे[6] का प्राथमिक राजस्व घाटा[7] तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों के सहित) में अपघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि उधार ली गई निधियों को किस सीमा तक उपयोग किया गया था। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात दर्शाता है कि राज्य का सम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था एवं ऋण (राजकोषीय देयताएं) के एक भाग के लिए कोई सम्पत्ति बैकअप नहीं था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (**तालिका 1.6**) पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटे की सीमा को दर्शाता है जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.6: प्राथमिक घाटा/अधिशेष–संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा(-) /अधिशेष (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281
2015-16	1,05,701	91,680	16,835	3,160	1,11,675	14,021	-5,974
2016-17#	1,24,103	1,10,458	27,288	4,942	1,42,688	13,645	-18,585

***अंतर्राज्यीय समायोजन सहित**
#उदय के प्रभाव को शामिल कर
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[5] आकस्मिकता निधि, रोकड़ शेष, निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन–देन
[6] प्राथमिक घाटा, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।
[7] प्राथमिक राजस्व घाटा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है–यह राज्य के प्राथमिक राजस्व व्यय (राजस्व व्यय – ब्याज अदायगियाँ) एवं गैर ऋण प्राप्तियों का अंतर है एवं यह प्रकट करता है कि किस सीमा तक गैर ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व खाते के अंतर्गत, प्राथमिक व्यय को मिलाने के योग्य हैं।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनवेक्षित घटनाओं या बजट तैयार करने के स्तर पर व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2016–17 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों को **चार्ट 1.1** एवं ***परिशिष्ट 1.4*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदण्ड: आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान

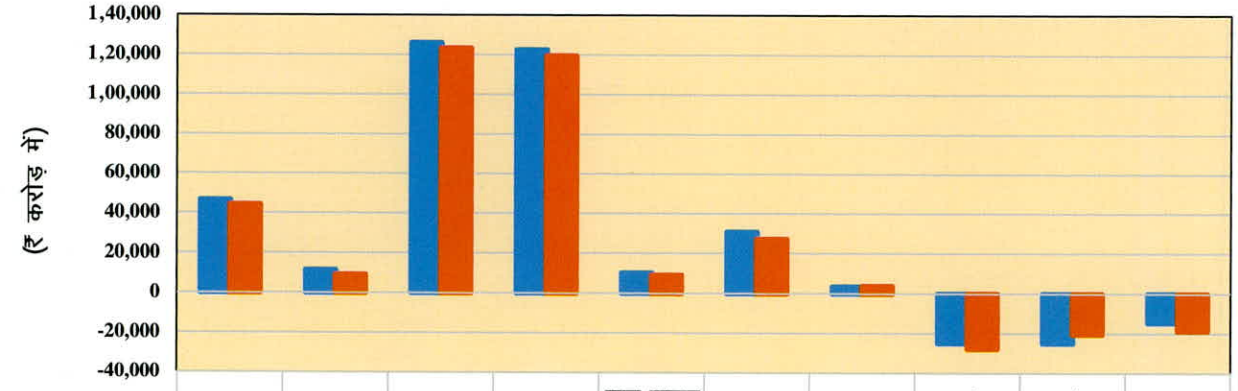

	कर राजस्व	करेत्तर राजस्व	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	पूंजीगत व्यय	राजस्व आधिक्य	राजकोषीय घाटा (उदय के साथ)	राजकोषीय घाटा (उदय को छोड़कर)	प्राथमिक घाटा
बजट अनुमान	46,500	11,482	1,26,095	1,22,585	10,233	30,746	3,510	-24,914	-24,914	-14,680
वास्तविक आंकड़े	44,194	9,086	1,23,307	1,19,537	9,079	27,288	3,770	-27,664	-20,304	-18,585

(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट 2016–17)

- कर राजस्व में कमी मुख्यतः राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,467 करोड़) एवं स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 575 करोड़) के अंतर्गत थी।
- करेत्तर राजस्व में कमी मुख्यतः शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,320 करोड़) के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में मुख्यतः कमी सामाजिक सेवाएं (₹ 6,009 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹ 5,006 करोड़) में थी जो आर्थिक सेवाएं (₹ 7,120 करोड़) के अंतर्गत आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।
- पूंजीगत व्यय (₹ 3,458 करोड़) में कमी आर्थिक सेवाएं (₹ 1,853 करोड़) एवं सामाजिक सेवाएं (₹ 1,731 करोड़) में कमी के कारण थी जो सामान्य सेवाएं के अंतर्गत ₹ 126 करोड़ के आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।*

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरूआत 2007–08 में की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: 2012–17 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65
2016-17	2,617.70	उपलब्ध नही*	उपलब्ध नहीं*	40,848.26	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*

* वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी
(स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

आयुक्त, महिला सशक्तिकरण एवं आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: 2016–17 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	श्रेणी 1				श्रेणी 2			
	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)
आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं	08	540.48	503.77	36.71 (6.79)	23	2,417.51	2,294.63	122.88 (5.08)
आयुक्त, महिला सशक्तिकरण	20	1,017.53	962.92	54.61 (5.37)	13	84.27	66.45	17.82 (21.15)

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

दोनों विभागों ने सूचित किया कि बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा निधियों के आहरण पर प्रतिबंध, वित्त वर्ष के अंत में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध तथा सक्षम वित्तीय समिति द्वारा आयोजना की स्वीकृति में विलंब था। आगे यह भी देखा गया कि श्रेणी 1 के अंतर्गत 14 योजनाओं एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत 16 योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुयी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाया गया है।

1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों में यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.2, 1.3 एवं 1.4 क्रमशः कुल प्राप्तियों के संघटन, 2012–17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्ति एवं 2016–17 के दौरान संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: 2016–17 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना

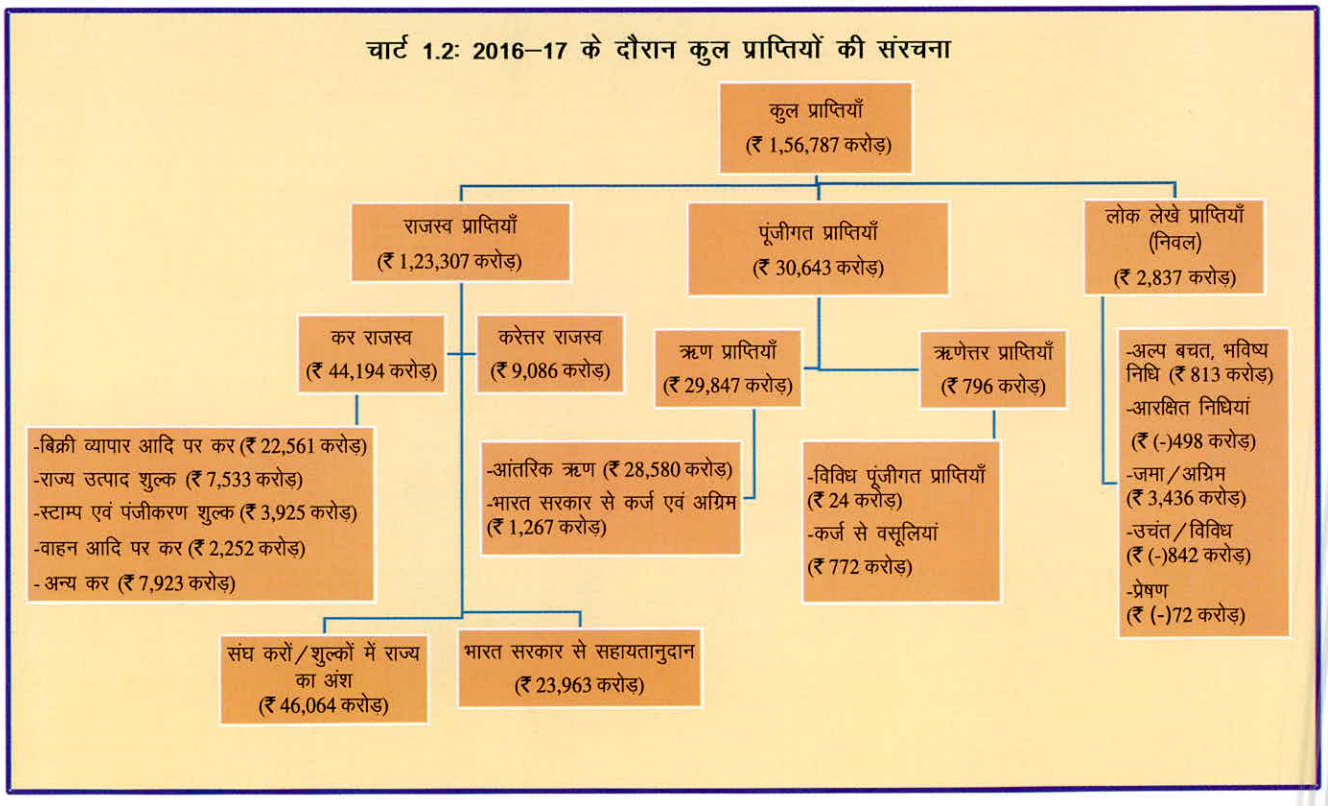

(स्रोतः 2016–17 के वित्त लेखे)

चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

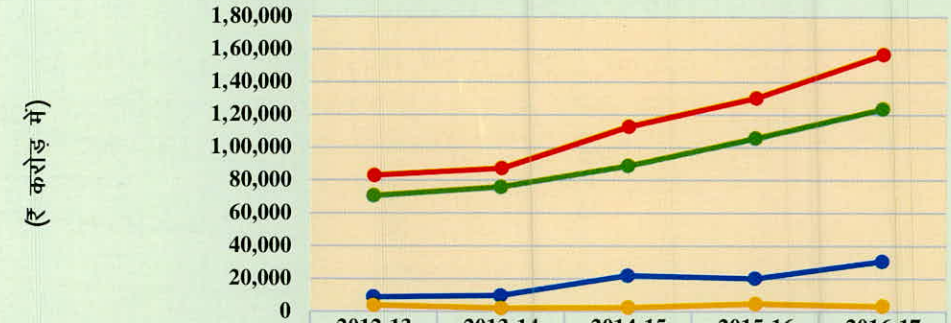

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307
पूंजीगत प्राप्तियाँ	8,864	9,672	21,863	20,175	30,643
लोक लेखे प्राप्तियाँ (निवल)	3,512	1,747	2,130	4,435	2,837
कुल प्राप्तियाँ	82,803	87,168	1,12,634	1,30,121	1,56,787

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: 2016–17 के दौरान कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्ति सहित) की संरचना

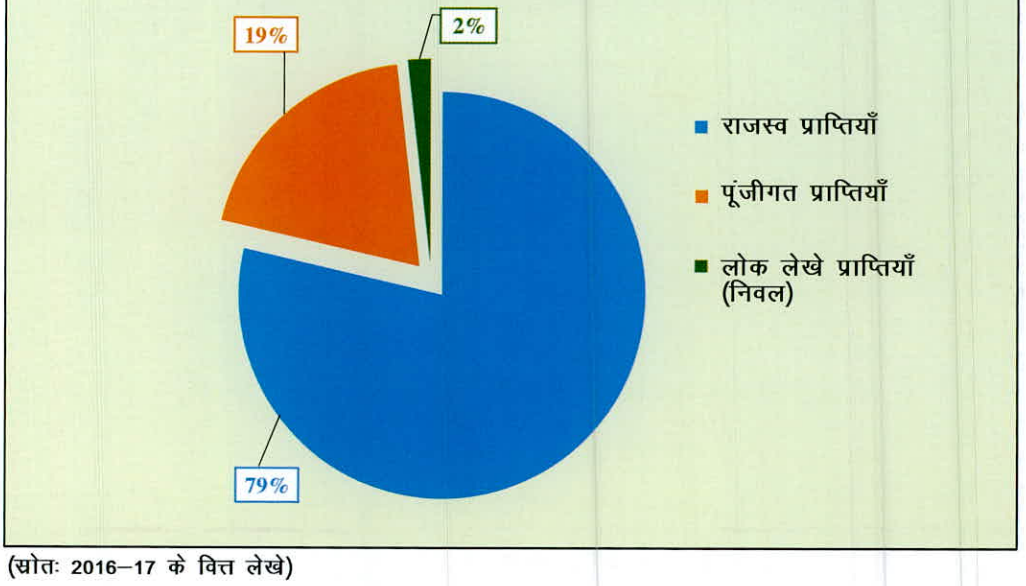

(स्रोतः 2016–17 के वित्त लेखे)

1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्रक–14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2012–17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना ***परिशिष्ट 1.6*** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में भी चित्रित की गई हैं।

चार्ट 1.5: राज्य प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

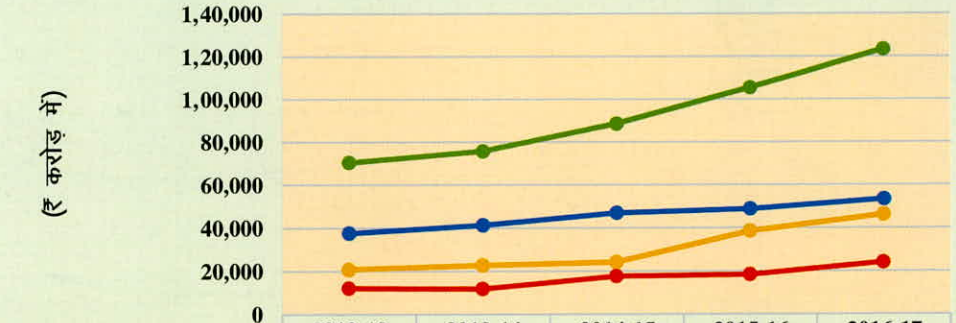

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307
राज्य का स्वयं का राजस्व	37,582	41,257	46,942	48,783	53,280
केन्द्रीय कर अंतरण	20,805	22,715	24,107	38,398	46,064
सहायतानुदान	12,040	11,777	17,592	18,330	23,963

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: 2012–17 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों की संरचना

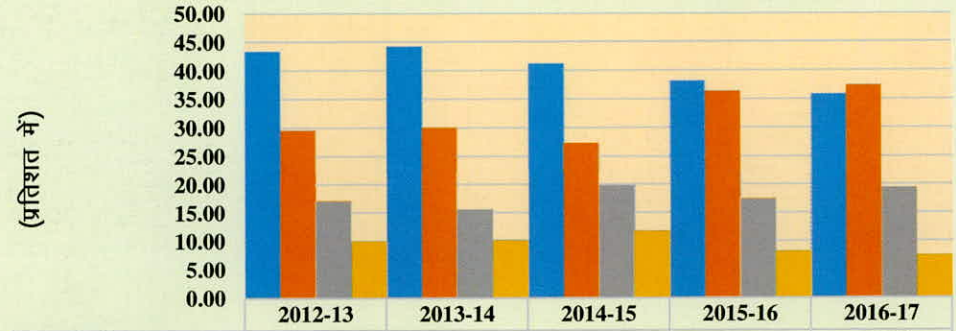

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
स्वयं के कर	43.42	44.29	41.25	38.12	35.84
केन्द्रीय कर अंतरण	29.54	29.99	27.20	36.39	37.36
सहायतानुदान	17.10	15.55	19.85	17.37	19.43
करेत्तर राजस्व	9.94	10.17	11.70	8.12	7.37

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2016–17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 17,796 करोड़; 17 प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई निवल प्राप्तियों (20 प्रतिशत), व्यापार, बिक्री इत्यादि पर अधिक कर संग्रहण (14 प्रतिशत), माल एवं यात्री पर कर (23 प्रतिशत), जिसे राज्य उत्पाद शुल्क (पाँच प्रतिशत), वन्य एवं वन्य जीवन (आठ प्रतिशत) एवं विविध सामान्य सेवाएं (87 प्रतिशत) के अंतर्गत कम प्राप्तियों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

1.2.2.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन कर एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में किया जाता है जिसमें केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं होता है जो कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होता है।

वर्ष 2012–17 के लिए कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संग्रहण का विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत किया गया है। इनमें 2012–13 में ₹ 37,582 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 53,280 करोड़, कुल ₹ 15,698 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

कर राजस्व

2012–17 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015–16 की तुलना में 2016–17 में अंतर (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,856	16,650	18,136	19,806	22,561	13.91
राज्य उत्पाद शुल्क	5,078	5,907	6,696	7,923	7,533	(-) 4.92
वाहन कर	1,531	1,599	1,824	1,933	2,252	16.50
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,944	3,400	3,893	3,868	3,925	1.47
भू–राजस्व	444	366	243	277	407	46.93
माल तथा यात्री पर कर	2,395	2,579	2,686	3,085	3,805	23.34
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,478	1,972	2,010	2,258	2,621	16.08
अन्य कर	856	1,079	1,079	1,064	1,090	2.44
योग	**30,582**	**33,552**	**36,567**	**40,214**	**44,194**	**(+) 9.90**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

करेत्तर राजस्व

2012–17 के दौरान करेत्तर राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015–16 की तुलना में 2016–17 में अंतर (प्रतिशत में)
ब्याज प्राप्तियाँ	301	318	1,261	429	582	35.66
लाभांश एवं लाभ	18	379	80	130	231	77.69
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	6,681	7,008	9,034	8,010	8,273	3.28
योग	**7,000**	**7,705**	**10,375**	**8,569**	**9,086**	**(+) 6.03**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.2 संग्रहण लागत

2016–17 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण एवं उसकी लागत का विवरण नीचे **तालिका 1.11** में दिया गया है:

तालिका 1.11: संग्रहण लागत

विवरण	कुल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	कुल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत का प्रतिशत	विगत वर्ष का अखिल भारतीय औसत
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,561.12	157.81	0.70	0.66
वाहन कर	2,251.51	40.38	1.79	4.99
राज्य उत्पाद शुल्क	7,532.59	105.05	1.39	3.21
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,925.43	33.02	0.84	2.87

(स्रोतः कुल संग्रहण हेतु 2016–17 के वित्त लेखे एवं संग्रहण पर व्यय हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के सापेक्ष मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना अखिल भारतीय कर के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद (राज्य बिक्री

कर के अधीन प्राप्तियाँ) का अनुपात भी अधिक अनुपात प्रकट करता है जो कि नीचे **तालिका 1.12** में दिया गया है।

तालिका 1.12: बिक्री, व्यापार आदि पर कर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ करोड़ में)	14,856	16,650	18,136	19,806	22,561
बिक्री, व्यापार आदि पर कर /मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ) का सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02

2012–17 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर के बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों के विवरण **तालिका 1.13** में नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.13: बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	14,000	16,500	19,500	21,300	22,000
वास्तविक आंकड़े	14,856	16,650	18,136	19,806	22,561

(स्रोत: 2016–17 के वित्त लेखे एवं 2016–17 की बजट पुस्तिकाएं)

1.2.2.3 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से सहायतानुदान का विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दिया गया है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	333	3,540	4,425	3,990	5,473
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	7,099	5,536	9,011	13,371	17,702
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	500	153	1,263	359	257
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	4,108	2,548	2,893	610	531
योग	**12,040**	**11,777**	**17,592**	**18,330**	**23,963**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	21.26	(-) 2.18	49.38	4.19	30.73
राजस्व प्राप्ति	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	17.10	15.55	19.85	17.37	19.43

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.4 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2012–17 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को अंतरण का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है:

तालिका 1.15: केन्द्रीय कर/शुल्क अंतरण में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	**20,805**	**22,715**	**24,107**	**38,398**	**46,064**
सेवा कर	3,038	3,701	3,554	6,656	7,434
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,474	5,030	6,011	8,400	10,252
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,350	2,618	2,202	5,100	7,246
निगम कर	7,473	7,639	8,418	12,078	14,752
सम्पत्ति पर कर	13	21	23	3	34
सीमा शुल्क	3,457	3,706	3,899	6,134	6,346
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	0	0	27	0.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–17 के दौरान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.16** में दी गई है:

तालिका 1.16: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	**8,864**	**9,672**	**21,863**	**20,175**	**30,643**
ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ	**73**	**131**	**6,794**	**190**	**796**
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	31	36	28	26	24
अंतर्राज्यीय परिशोधन	9	2	1	2	-
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	33	93	6,765[8]	162	772[9]
लोक ऋण प्राप्ति	**8,791**	**9,541**	**15,069**	**19,985**	**29,847**
ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)99.20	79.45	5,086.26	(-)97.20	318.95
पूंजीगत अनुभाग के अतंर्गत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)44.25	9.12	126.04	(-)7.72	51.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.17** में दिया गया हैं:

तालिका 1.17: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार उधारियां	4,500	5,000	10,300	14,700	16,100
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,295	1,332	1,483	2,075	2,602
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड	-	-	-	-	7,360
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,439	1,996	1,914	1,884	2,518

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[8] इसमें से ₹ 6,694 करोड़ 'विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण' की वसूली के हैं

[9] इसमें से ₹ 507 करोड़ कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋण की वसूली के हैं

राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों से ज्यादा ब्याज दर पर उधारियों के प्रभाव पर **कंडिका 1.4.3** में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.2.3.2 भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2012–17 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम का विवरण **तालिका 1.18** में दिया गया है:

तालिका 1.18: भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	1,557	1,212	1,372	1,326	1,267

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधियों इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। लोक लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण पत्रक 21 में दर्शाई गई है एवं लोक लेखे (निवल) का विवरण **तालिका 1.19** में दिया गया है।

तालिका 1.19: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक लेखे (निवल)	**3,512**	**1,747**	**2,130**	**4,435**	**2,837**
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	837	948	963	1,024	813
(ख) आरक्षित निधि	2,020	971	144	1,733	(-)498
(ग) जमा एवं अग्रिम	348	(-)490	618	574	3,436
(घ) उचंत एवं विविध	(-)93	32	462	1,457	(-)842
(ङ.) प्रेषण	400	286	(-)57	(-)353	(-)72

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों के प्रभाव पर **कंडिका 1.5.2** में चर्चा की गई है।

1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

2012–17 के दौरान कुल व्यय तथा गतिविधिवार व्यय की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.7** एवं **1.8** प्रदर्शित करते हैं।

चार्ट 1.7: कुल व्यय–प्रवृत्तियाँ एवं संरचना

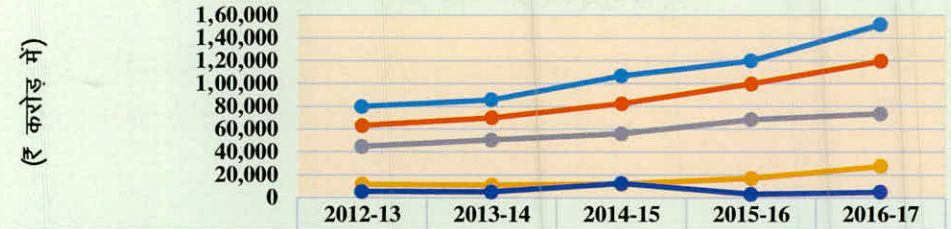

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	79,920	85,762	1,06,787	1,19,766	1,51,767
राजस्व व्यय	62,968	69,870	82,373	99,771	1,19,537
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	44,619	50,443	55,858	68,319	73,267
पूंजीगत व्यय	11,567	10,813	11,878	16,835	27,288
कर्ज एवं अग्रिम	5,378	5,077	12,535	3,158	4,941

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.8: कुल व्ययः गतिविधियों/सेवाओं द्वारा रुझान

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर्ज एवं अग्रिम	7	6	12	3	3
सहायतानुदान	5	5	4	5	4
आर्थिक सेवाएं	33	30	31	32	40
सामाजिक सेवाएं	33	35	32	38	34
सामान्य सेवाएं	22	24	21	22	19

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2015–16 की तुलना में 2016–17 में राजस्व व्यय में ₹ 19,766 करोड़ (20 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई थी। 2016–17 के दौरान वृद्धि मुख्यतः विद्युत मंडलों[10] (76 प्रतिशत) एवं जिला पंचायतों[11] (100 प्रतिशत) को सहायता में वृद्धि के कारण थी। 2016–17 के दौरान कमी मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण[12] (40 प्रतिशत) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं[13] के कारण राहत के अंतर्गत कम व्यय (79 प्रतिशत) तथा वानिकी[14] (33 प्रतिशत) के अंतर्गत वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान[15] (21 प्रतिशत) के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई।

इसी प्रकार विगत वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 10,453 करोड़ (62 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा[16] (749 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण[17]

[10] विद्युत मण्डलों को सहायता (₹ 5,363 करोड़)
[11] जिला पंचायतों को सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत सहायता (₹ 6,447 करोड़)
[12] सामाजिक कल्याण एवं पोषण के अन्तर्गत व्यय (₹ 4,187 करोड़)
[13] प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अन्तर्गत व्यय (₹ 4,009 करोड़)
[14] वानिकी के अन्तर्गत व्यय (₹ 578 करोड़)
[15] वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान के अन्तर्गत व्यय (₹ 222 करोड़)
[16] विद्युत की मुफ्त आपूर्ति के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को राजसहायता के भुगतान के कारण (₹ 3,557 करोड़)
[17] मध्यम सिंचाई (₹ 446 करोड़), मुख्य सिंचाई (₹ 1,287 करोड़)

(33 प्रतिशत) के अंतर्गत थी एवं कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास[18] (27 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

1.3.2 राजस्व व्यय

आयोजना एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

आयोजना एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विवरण **तालिका 1.20** में दिया गया है:

तालिका 1.20: आयोजना एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय	**62,968**	**69,870**	**82,373**	**99,771**	**1,19,537**
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	44,619	50,443	55,858	68,319	73,267
आयोजना राजस्व व्यय	18,349	19,427	26,515	31,452	46,270
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	22	13	11	22	7
आयोजना राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15	6	36	19	47

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 पूंजीगत व्यय

आयोजना एवं आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय

आयोजना एवं आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय का विवरण **तालिका 1.21** में दिया गया है:

तालिका 1.21: आयोजना एवं आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	**11,567**	**10,813**	**11,878**	**16,835**	**27,288**
आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	24	43	57	157	129
आयोजना पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,543	10,770	11,821	16,678	27,159
आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)25.00	79.17	32.56	175.44	(-)17.83
आयोजना पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	27.93	(-)6.70	9.76	41.09	62.84

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 2016–17 के दौरान सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 9,079 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 21,577 करोड़), पेंशन (₹ 8,793 करोड़) एवं राजसहायता (₹ 16,512 करोड़) शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 55,961 करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य संघटक है एवं इसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 73,267 करोड़) का 76 प्रतिशत प्रयुक्त हुआ।

तालिका 1.22 2012–17 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

[18] सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (₹ 335 करोड़), जल निगम के द्वारा जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन (₹ 219 करोड़)

तालिका 1.22: प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	**16,026 (22.76)**	**18,361 (24.24)**	**19,997 (22.56)**	**20,554 (19.48)**	**29,252**	**21,577 (17.50)**
आयोजनेत्तर शीर्ष	*14,133*	*16,081*	*17,285*	*18,018*	--	*18,873*
*आयोजना शीर्ष *****	*1,893*	*2,280*	*2,712*	*2,536*	--	*2,704*
ब्याज भुगतान	**5,574 (7.91)**	**6,391 (8.44)**	**7,071 (7.98)**	**8,091 (7.67)**	**10,233**	**9,079 (7.36)**
पेंशन भुगतान	**4,947 (7.02)**	**5,932 (7.83)**	**6,836 (7.71)**	**7,819 (7.41)**	**10,434**	**8,793 (7.13)**
राजसहायता	**5,697 (8.09)**	**6,567 (8.67)**	**9,954 (11.23)**	**11,725 (11.11)**	**17,398**	**16,512 (13.39)**
कुल	**32,244 (46)**	**37,251 (49)**	**43,858 (49)**	**48,189 (46)**	**67,317**	**55,961 (45)**

टिप्पणीः कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं

*सहायतानुदान से भुगतान किए गए वेतन भी सम्मिलित है।

**आयोजना शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े)

1.3.4.1 पेंशन भुगतान

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और सम्पूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा अंतरित की जाती है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोनों ही अंशदानों को आरम्भतः पृथक उपशीर्ष के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8342 के सापेक्ष लोक लेखे में जमा किया जाना होता है तत्पश्चात सम्पूर्ण राशि उसी वर्ष मनोनीत निधि प्रबंधक द्वारा एन.एस.डी.एल. को अंतरित की जानी होती है। इस प्रक्रिया से यह सत्यापित करना संभव है कि क्या कर्मचारी अंशदान के अंतर्गत सम्पूर्ण कटौतियों का नियोक्ता द्वारा समान अंशदान कर दिया गया है एवं लोक लेखे में अंतरित कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण राशि (कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान) एन.एस.डी.एल. में अंतरित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने 2009–10 तक उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया। तथापि, 2006–07 से 2009–10 के दौरान जहाँ ₹ 83.27 करोड़ कर्मचारी अंशदान के रूप में मुख्य शीर्ष 8342 के अंतर्गत जमा किए गए थे वहीं सरकार ने संबंधित वर्षों में समरूप अंशदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट नहीं है कि समस्त सरकारी कर्मचारी, जो इस अवधि के दौरान नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, ने योजना में अंशदान दिया।

2010–11 से मध्य प्रदेश शासन ने प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान की 'बजटिंग एवं पुस्तांकन पद्धति' को अपनाया। इस प्रकार से सरकार के अंशदान सर्वप्रथम मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं और उसके पश्चात प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 को अंतरित किए जाते हैं। ये अंशदान तत्पश्चात उसी मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत लघुशीर्ष '900–घटायें वापसियां' के परिचालन द्वारा निधियों को अंतरित किए जाते हैं चूंकि समेकित निधि वर्ष के अंत में लेखों के लिए बंद कर दी जाती है और किसी शेष को आगे नहीं बढ़ाया जाता है,

इसलिए किसी भी वर्ष निधियों में अंशदान प्रेषित करने में कोई भी कमी संबंधित वर्षों के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है। 2010–11 से 2016–17 के दौरान ₹ 1,197.51 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान ₹ 1,302.40 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति में कमी के कारण यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि कर्मचारी अंशदान से अधिक, सरकार का अंशदान विगत वर्षों की कमियों के विरुद्ध था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुल अंशदान ₹ 2,499.91 करोड़ (2010–11 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारी एवं सरकार का अंशदान) के विरुद्ध मात्र ₹ 2,401.93 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित किए गए थे एवं शेष राशि ₹ 97.98 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित नहीं की गयी। 2016–17 के लिए सरकार ने ₹ 650.34 करोड़ के कुल अंशदान में से मात्र ₹ 628.48 करोड़ ही एन.एस.डी.एल. को अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2016–17 के लिए ₹ 21.86 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। कम अंतरण निश्चित रूप से नवीन पेंशन योजना कोष का दिवालियापन और योजना की विफलता का कारण बन जायेगा।

इस प्रकार सरकार के अंश सहित सम्पूर्ण अंशदान को एन.एस.डी.एल. को अंतरण करने में असफल होने के कारण राज्य सरकार की देयताओं में वृद्धि हुई।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श कर (i) 2004–05 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान की राशि का मिलान एवं वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में नवीन पेंशन योजना के लिये किये गये अंशदान का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। (ii) प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 के अधीन नवीन पेंशन योजना के लिए बजटिंग एवं कर्मचारियों के अंशदान के पुस्तांकन की विद्यमान पद्धति की समीक्षा करनी चाहिए।*

नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 36.83 लाख के कर्मचारी अंशदान की कटौती में विफलता

खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा तथा उनके अधीनस्थ स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की नमूना जाँच (नवम्बर 2017) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य शासकीय कर्मचारियों के अंशदान की कटौती खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं उनके अधीनस्थ स्कूलों द्वारा नहीं की गई थी। इसका विवरण **तालिका 1.23** में दिया गया है।

तालिका 1.23: कर्मचारियों के अंशदान की कटौती नहीं किए जाने का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	संस्थान	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों के अंशदान की राशि जिसकी कटौती नहीं की गई	मध्य प्रदेश शासन की समरूप अंश की राशि	कुल राशि जिसे एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंको को अंतरित नहीं किया गया
1	खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा	47	17.78	17.78	35.56
2	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़गांव गुर्जर	3	1.32	1.32	2.64
3	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जावर	16	7.24	7.24	14.48
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरजकुण्ड, खण्डवा	7	5.10	5.10	10.20
5	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिन्हदा, खण्डवा	13	5.39	5.39	10.78
योग		**86**	**36.83**	**36.83**	**73.66**

तालिका 1.23 से स्पष्ट है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं उनके अधीनस्थ विद्यालयों ने 86 शासकीय कर्मचारियों की उनकी नियुक्ति से न तो कर्मचारी अंशदान

के ₹ 36.83 लाख की कटौती की और न ही राज्य सरकार ने समान राशि का अंशदान किया, जिसके परिणामस्वरूप एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को ₹ 73.66 लाख का कम अंतरण हुआ। इसके कारण शासकीय कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सका।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से पूर्णतः नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत लिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारियों के अंशदान की पूर्णरूप से कटौती की जाती है, सरकार पूर्णरूप से समरूप अंशदान करती है और सम्पूर्ण राशि समय से एन.एस.डी.एल को अंतरित की जाती है।*

1.3.4.2 राजसहायताएं

2016–17 के दौरान राजसहायताओं पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायताओं का विभाग/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। वर्ष के दौरान राशि ₹ 16,512 करोड़ का भुगतान किया गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था। भुगतान की गई कुल राजसहायता में से, ₹ 9,960 करोड़ (60 प्रतिशत) आयोजनेत्तर के अंतर्गत, ₹ 6,366 करोड़ (39 प्रतिशत) योजना के अंतर्गत एवं ₹ 186 करोड़ (एक प्रतिशत) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं[19] के अंतर्गत संवितरित की गई। मुख्य गतिविधियां जिन्हें राजसहायता दी गईं वे ऊर्जा गतिविधियां: ₹ 8,404 करोड़ (51 प्रतिशत), कृषक कल्याण एवं कृषि विकास गतिविधियां: ₹ 3,208 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार गतिविधियां: ₹ 1,434 करोड़ (नौ प्रतिशत) के अंतर्गत थीं।

2016–17 के दौरान कुछ अंतर्निहित राजसहायताओं का विवरण **तालिका 1.24** में दिया गया है।

तालिका 1.24: 2016–17 के दौरान कुछ अंतर्निहित राजसहायताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना/राजसहायता	विभाग का नाम	राशि
1	वर्दी की निःशुल्क आपूर्ति	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	67.50
2	पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	39.91
	कुल		**107.41**

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016–17)

1.3.5 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्यतः तीन दृष्टिकोण शामिल होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने को पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (परिव्यय का आकलन–सेवाओं के लिए परिणाम संबंध)।

1.3.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2012–13 एवं 2016–17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 1.25** में किया गया है।

[19] निधि राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त हुई।

तालिका 1.25: 2012–13 एवं 2016–17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय#/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13	14.80	70.00	38.20	29.80	13.70	17.70	4.60
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2012–13	20.98	72.45	32.69	39.75	14.47	13.82	4.14
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016–17	16.70	70.90	32.20	35.10	19.70	15.20	4.80
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2016–17	23.70	76.67	33.80	42.86	17.98	14.45	3.91

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2016–17 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से उच्च था तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर 2012–13 में राज्य के स्वयं के निष्पादन से भी अधिक था।

1.3.6 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख–रखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण नीचे **तालिका 1.26** में दिया गया है:

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2015–16			2016–17		
	कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
कुल (सामाजिक सेवाएं)	6.62	10,992	331	6.40	11,461	406
कुल (आर्थिक सेवाएं)	31.65	3,582	1,112	35.83	3,360	1,503
कुल (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	18.59	14,574	1,443	22.85	14,821	1,909
सामाजिक सेवा के मुख्य संघटक						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4.25	7,321	7	3.36	7,490	26
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4.14	2,419	8	9.51	2,602	12
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	19.58	291	313	9.02	315	359
अन्य सामाजिक सेवाएं	3.51	960	3	7.85	1,054	9
आर्थिक सेवा के मुख्य संघटक						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	1.49	2,377	11	5.69	2,099	13
सिचांई तथा बाढ़ नियंत्रण	91.00	532	68	92.49	586	72
विद्युत तथा ऊर्जा	5.30	1	5	22.98	1	6
परिवहन	73.63	77	756	78.96	76	777
अन्य आर्थिक सेवाएं	23.52	596	271	27.48	598	635

(स्रोतः वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी. आंकड़े 2015–16 एवं 2016–17)

1.4 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारता के आकलन हेतु किया था। 2012–17 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 1.27** में दर्शित है।

तालिका 1.27: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	तेरहवें वित्त आयोग (2010–15)/चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) के लागत वसूली आकलन	राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	लागत वसूली में अंतर (gap)
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2012-13	718	517	45	72	(-)27
2013-14	779	358	60	46	14
2014-15	839	437	75	52	23
2015-16	625	483	35	77	(-)42
2016-17	680	574	35	84	(-)49

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

उपरोक्तानुसार देखा गया कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली में वृद्धि हुई है एवं 2016–17 के दौरान यह पड़ोसी राज्यों[20] से कहीं बेहतर थी।

1.4.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण कार्यों पर निधियों को अवरूद्ध रखने से व्यय की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। वित्त लेखे में दिए गए अपूर्ण परियोजनाओं के विवरण को **तालिका 1.28** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.28: 31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों की संख्या	सभी अपूर्ण परियोंजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	24 परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत जो कि पुनरीक्षित कर दी गई थी		24 अपूर्ण परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत	24 परियोजनाओं की लागत वृद्धि जो कि पुनरीक्षित की गई थी	सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी वास्तविक व्यय
				संख्या	राशि			
1	जल संसाधन विभाग	43	2,035.68	01	332.55	545.36	212.81	1,575.93
2	लोक निर्माण विभाग	194	1,663.27	19	41.23	52.55	11.32	358.02
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	05	5,858.21	04	730.99	5,307.00	4,576.01	6,673.13
	योग	**242**	**9,557.16**	**24**	**1,104.77**	**5,904.91**	**4,800.14**	**8,607.08**

(स्रोतः वित्त लेखे 2016–17 का परिशिष्ट IX)

अनुशंसाः *जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजनाओं की पूर्णता समय से सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं।*

1.4.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

2012–17 के दौरान निवेशों[21] पर प्रतिलाभ की स्थिति **तालिका 1.29** में दी गई है।

[20] बिहार–31, उत्तर प्रदेश–20 एवं झारखण्ड–8.47

[21] सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियां, सहकारी समितियां, बैंक

तालिका 1.29: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	14,656	15,275	16,105	16,600	22,672
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	18.38	378.72	80.35	129.64	231.50
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.13	2.48	0.50	0.78	1.02
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर[22] (प्रतिशत)	6.48	6.84	6.88	6.86	6.42
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.35	4.36	6.38	6.08	5.40
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	931	666	1,027	1,009	1,224

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार की उधार लागत एवं कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ के मध्य अंतर के कारण राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश के प्रतिलाभ पर ₹ 4,857 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सका।

इस बात को देखना विशिष्ट महत्त्व का है कि निवेशों पर अति न्यून प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निरन्तर समता पूंजी एवं ऋण प्रदान किये हैं, साथ ही उन उपक्रमों को भी जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को अंतिम रूप भी नहीं दिया था, जैसा कि **कंडिका 3.14** में चर्चा की गई है।

1.4.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ राज्य सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेकों को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा रही है। विवरण **तालिका 1.30** में दिया गया है

तालिका 1.30: राज्य सरकार द्वारा बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष	**21,742**	**27,088**	**32,072**	**37,842**	**40,827[23]**
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,378	5,077	12,535	3,158	4,941
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	32	93	6,765	162	772
कर्ज तथा अग्रिम का अंतिम शेष	**27,088**	**32,072**	**37,842**	**40,838**	**44,996**
कर्ज तथा अग्रिम का निवल संयोजन	5,346	4,984	5,770	2,996	4,169
ब्याज प्राप्तियाँ	42	12	1,058	139	62
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	0.16	0.04	2.80	0.34	0.14
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर[24] (प्रतिशत)	6.48	6.84	6.88	6.86	6.42
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.32	6.80	4.08	6.52	6.28
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर के कारण हानि	340	345	511	206	310

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[22] ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

[23] छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण आरंभिक शेष में ₹ 10.21 करोड़ की कमी हुई

[24] ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

विगत पाँच वर्षों में अग्रिम, कर्ज पर प्राप्त ब्याज एवं सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर किए गए ब्याज व्यय के मध्य अंतर के कारण ₹ 1,712 करोड़ की हानि हुई।

सरकार द्वारा दिए गए कर्जों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 के अनुभाग 1 में विस्तार से दिया गया है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में अपने निवेशों एवं अग्रिम कर्जों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ कम से कम सरकार की उधारी लागत से साम्य रखे।*

1.4.5 मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को वित्तीय सहायता

मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को सामान्य कर्ज, पूंजीगत कर्ज, कार्यकारी पूंजीगत कर्ज तथा लघु अवधि कार्यकारी पूंजीगत कर्जों इत्यादि के रूप में दी गई वित्तीय सहायताओं की स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के कर्जों एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (कम्पनी) के अभिलेखों की समीक्षा की।

2012–13 से 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को संवितरित किए गए कर्जों का विवरण **तालिका 1.31** में दिया गया है।

तालिका 1.31: 2012–17 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा संवितरित किए गए कर्जों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कर्ज की मात्रा / ब्याज प्राप्तियाँ / उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कम्पनी को दिए गए कर्ज का प्रारम्भिक शेष	5,048.28	6,895.73	8,467.60	10,136.06	11,117.99
2	वर्ष के दौरान कम्पनी को दिया गया कर्ज	1,847.45	1,571.87	1,668.46	981.93	951.86
3	वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चुकाया गया कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00[25]
4	अंतिम शेष	6,895.73	8,467.60	10,136.06	11,117.99	12,031.85
5	निवल संयोजन (2–3)	1,847.45	1,571.87	1,668.46	981.93	913.86
6	कम्पनी द्वारा कर्जों पर किया गया ब्याज भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **तालिका 1.31** से स्पष्ट है कि 2012–13 से 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश शासन को न तो ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई है और न ही उसके ऊपर कोई ब्याज प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने इस अवधि के दौरान कम्पनी को ₹ 6,983.57 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज जारी किया जिसके कारण कर्ज की बकाया राशि 2012–13 में ₹ 5,048.28 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 12,031.85 करोड़ हो गई। इस दृष्टिकोण से, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करते हैं एवं मेरिट को बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

[25] उदय के अंतर्गत ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया।

- इसके अतिरिक्त, उदय के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम, आवास एवं शहरी विकास निगम तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए राशि ₹ 2,643.18 करोड़ के कर्ज/उधारी की जिम्मेदारी ले ली थी (मार्च 2017) तथा उसे क्रमशः ₹ 1,323.27 करोड़ एवं ₹ 1,319.91 करोड़ के समता पूंजी एवं अनुदान में परिवर्तित कर दिया था।

- मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं विद्युत वित्त निगम से लिए गए विभिन्न कर्जों के लिए भी प्रत्याभूति प्रदान की थी। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन कम्पनी से प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी था। तथापि कम्पनी ने 31 मार्च 2017 की स्थिति में कम्पनी द्वारा लिए गए कर्ज के लिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई प्रत्याभूति के शुल्क ₹ 56.94 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को सभी संस्थाओं को दिए गए अग्रिम ऋणों की समीक्षा करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि कर्ज जिनके पुनर्भुगतान किए जाने की संभावना नहीं है, उसे बट्टे खातें में नहीं डाला जाना चाहिए।*

1.4.6 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 तक प्रारम्भ की गई 198 सार्वजनिक निजी भागेदारी परियोजनाओं (लागतः ₹ 23,707.40 करोड़) में से, ₹ 9,463.64 करोड़ लागत की 100 परियोजनाओं (50.51 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 8,096.33 करोड़ लागत वाली 42 परियोजनाओं (21.21 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 6,147.43 करोड़ लागत वाली 56 परियोजनाएं (28.28 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण ***परिशिष्ट 1.8*** में दिया गया है।

1.4.7 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.32, 2016–17 के दौरान रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

तालिका 1.32: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
रिजर्व बैंक में जमा	1,009.49	(-) 52.99
पारगमन में प्रेषण– स्थानीय	--	--
कुल	**1,009.49**	**(-) 52.99**
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	**9,485.24**	**10,628.22**
कुल (अ)	**10,494.73**	**10,575.23**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	0.94	1.18
स्थायी पेशगी	0.84	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	402.21	416.42
कुल (ब)	**403.99**	**418.43**
महायोग (अ)+(ब)	**10,898.72**	**10,993.66**

(स्रोतः 2015–16 एवं 2016–17 के वित्त लेखे)

1.5 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.5.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना

यद्यपि विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखांकन प्रस्तुत नहीं करती है, तथापि सरकारी लेखे वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 को समतुल्य स्थिति की तुलना करते हुए 31 मार्च 2017 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार ***परिशिष्ट 1.9*** प्रस्तुत करता है। जहाँ देयताओं के अंतर्गत मुख्यतः आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ निहित होती हैं, परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित होते हैं।

1.5.2 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

राज्य सरकार के लेखों में 10 आरक्षित निधियां हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। विवरण ***परिशिष्ट 1.10*** में दिया गया है एवं **तालिका 1.33** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.33: 2014–17 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष	2014–17 के दौरान प्राप्तियाँ	2014–17 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
सब्याज आरक्षित निधियां							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01	00	10,246.44	5,36,997.00	4,70,197.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधियां							
1	8223-सूखा राहत निधि	01	00	541.68	56.47	00	598.15
2	8226-मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	01	00	440.37	23.21	00	463.58
3	8228- राजस्व आरक्षित निधि	01	00	2,276.03	133.24	00	2,409.27
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03	01	5,71,885.22	2,20,512.51	1,51,186.40	6,41,211.33
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01	01	2.21	1,670.66	1,670.66	2.21
	कुल	**08**	**02**	**5,85,391.95**	**7,59,393.09**	**6,23,054.06**	**7,21,730.98**
							या ₹ 7,217.31 करोड़

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014–17 के दौरान ₹ 40.36 लाख वाली दो[26] आरक्षित निधियां संचालित नहीं की गई थीं, तीन[27] अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2017 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, यदि पहले नहीं किया गया हो, तो विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

[26] 1. 8229–103, कृषि उद्देशों हेतु विकास निधियां, 2. 8235–200–अन्य निधियां

[27] 1. राजस्व आरक्षित निधियां, 2. कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियां, 3. अन्य निधियां

मुख्य शीर्ष 8223–102–सूखा राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत दर्शित ऋणात्मक ₹ 5.34 लाख शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पुस्तकीय त्रुटि है और इसे बट्टे खाते में डाला जाना है।

आरक्षित निधि 8229–विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत पड़े हुए ₹ 6,412 करोड़ में से केवल ₹ 0.07 करोड़ 31 मार्च 2017 के अंत में निवेश किए गए थे।

उपर्युक्त के तारतम्य में यह बताया जाना है कि आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करती है भले ही यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूंकि निवेश इत्यादि के माध्यम से कोई वास्तविक रोकड़ वहिर्प्रवाह नहीं था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित निधि के सापेक्ष बिना किसी निवेश के इन लेन–देनों का चित्रण मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि थी। उसका एकमात्र प्रभाव तब होगा जब इसका उपयोग आरक्षित निधियों में अंतरण के वर्षों में राजकोषीय घाटे की अतियुक्ति एवं राजस्व अधिशेष की न्यूनोक्ति के द्वारा भविष्य के वर्षों में कोई अनुचित हितकारी राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे की स्थिति को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक जमा को प्रभावित किए बिना आरक्षित निधियों में लेन–देनों को मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि के रूप में मानना आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

तथापि इन शेषों का वर्षों तक बकाया पड़े रहना राज्य की वृहद् देयता को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।*

1.5.2.1 समस्त कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत मे अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है। तथापि राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2016–17 में ₹ 635.72 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,27,144.43 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)।

अनुशंसा: *राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।*

1.5.2.2 राज्य आपदा मोचन निधि

ब्याज धारक आरक्षित निधि के रूप में राज्य आपदा मोचन निधि का लेखांकन न होना

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से, पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि से प्रतिस्थापित कर दिया था।

मार्च 2017 में राज्य आपदा मोचन निधि के पास अंतिम शेष ₹ 668 करोड़ था। राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देश 2010 की कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य

कार्यकारिणी समिति को निधियों के अंतर्गत पड़े शेष को (क) केन्द्रीय शासकीय दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) नीलामी कोषालय देयकों में (ग) ब्याज धारक जमा एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश करना चाहिए तथापि, शासन ने दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया। राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देशों के अनुसार, शासन से अनिवेशित शेष पर अधिविकर्ष पर देय ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, मध्यप्रदेश शासन ने निधि के गठन के समय से राज्य आपदा मोचन निधि में ब्याज का भुगतान नहीं किया था। 2015–17[27क] की अवधि के दौरान लागू ब्याज दर के अनुसार संगणित अदत्त ब्याज की राशि ₹ 118.04 करोड़ रही एवं इस प्रकार मार्च 2017 के अंत में उस सीमा तक देयता निर्मित की। 2016–17 के दौरान, अदत्त ब्याज ₹ 56.78 करोड़ था, इस सीमा तक राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटे को कम कर बताया गया।

अनुशंसा: *राज्य को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पड़े हुए शेष को दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करना चाहिए।*

1.5.2.3 आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार ग्रहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, द्वारा चूक होने की स्थिति में आवश्यक होती है। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य शासकीय प्रत्याभूति नियम 2009 (यथा संशोधित) अधिसूचित किया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। 2016–17 के दौरान वार्षिक संवृद्धि कारक प्रतिभूतियां एवं कुल बकाया प्रत्याभूतियां, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम[28] के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंदर थीं।

वित्त लेखे के विवरण पत्रक 9 में दर्ज अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियों और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 1.34** में दी गई हैं।

तालिका 1.34: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	31,885	40,171	40,395
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307
वर्ष के अंत में प्रत्याभूतियों की बकाया राशि (ब्याज सहित)	20,124	27,530	33,397
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	35.97	38.07	32.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक विद्युत क्षेत्र की छह[29] इकाईयां (₹ 17,811 करोड़), सहकारी क्षेत्र के दो[30] संस्थान (₹ 4,897 करोड़), शहरी विकास एवं आवास के

27क 2014–15 तक इस निधि में अंतिम शेष निरंक था।

28 2015–16 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,05,511 करोड) का 80 प्रतिशत ₹ 84,408 करोड़, 2016–17 हेतु वार्षिक संवृद्धि प्रतिभूतियां ₹ 33,397 करोड़

29 1. म.प्र. विद्युत उत्पादक कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 2. म.प्र. विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 3. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 4. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, 5. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, 6. म.प्र. विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

30 1. क्रेडिट सहकारी, 2. सहकारी चीनी मिलें

छह[31] संस्थान (₹ 6,550 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच[32] संस्थान (₹ 10,217 करोड़) एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम (₹ 920 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी पर प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्य राशि ₹ 206.68 करोड़ में से ₹ 74.24 करोड़ (35.92 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण **तालिका 1.35** में दिया गया है।

तालिका 1.35: 2016–17 के दौरान प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	संस्थान का नाम	प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क
1	मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	9.59	710.02
2	मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	--	443.75
3	मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	3,765.28	--
4	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	5,969.89	--
5	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	2,368.73	--
6	मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	104.25	--
7	क्रेडिट कोऑपरेटिव	4,289.76	--
8	मध्य प्रदेश वित्त निगम	250.00	--
9	नगर निगम	1,860.63	--
10	नगर पालिका	665.21	--
11	नगर पंचायत	0.30	--
12	राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण	115.80	--
13	नगर परिषद	438.28	--
14	मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	807.80	6,270.00
15	मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	22.50	--
योग		**20,668.02**	**7,423.77**

(स्रोतः वित्त लेखे 2016–17)

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान पूर्व प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी, मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी एवं मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम के प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।*

---

[31] 1. नगर निगम, 2. नगर पालिका, 3. नगर पंचायत, 4. राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, 5. नगर परिषद, 6. म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड

[32] 1. म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 2. म.प्र. वाणिज्य, उद्योग एंव रोजगार विभाग, 3. म.प्र. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, 4. लोक निर्माण विभाग, 5. उच्च शिक्षा

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार 31 मार्च 2017 की स्थिति में, मध्य प्रदेश सरकार ने ₹ 408.79 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि को किया, जो कि केंद्रीय सरकार की दिनांकित सिक्योरिटी में निवेशित की गई। इसमें ₹ 14.21 करोड़ 2016–17 में निवेशित/जमा किए गए। यह नीति तथापि राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के संकट भार के अनुसार किया जाना है। यह नहीं किया गया है। आगे, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना अपेक्षित है तथा तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करे। इस सूत्र के अनुसार, राज्य शासन से प्रत्याभूति विमोचन निधि को ₹ 688.26 करोड़ (₹ 14.21 करोड़ के स्थान पर) का अंशदान करना था। इस कमी के परिणामस्वरूप, 2016–17 में ₹ 674.05 करोड़ से राजस्व आधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

अनुशंसाः राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना का पुनरीक्षण करने पर विचार करना चाहिए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि में अंशदान करना चाहिए।

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 ऋण रूपरेखा

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता[33] का निर्धारण करते है। यह भाग ऋण स्थिरीकरण[34], ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता[35], उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता[36], ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है।

---

33 ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है यह अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

34 ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो।

35 संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

36 कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियाँ) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियाँ ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

1.6.2 ऋण संधारणीयता

तालिका 1.36 2012–13 से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि के लिए ऋण संधारणीयता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.36: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण–संधारणीयता के संकेतक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17#
ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	23.67	22.12	22.55	23.37	24.33
ऋणेत्तर संवृद्धिकारक प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	(-)3,660	(-)462	(-)1,470	(-)2,713	(-)13,599
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	2,838	569	4,793	10,367	19,578
ब्याज भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	8	8	8	8	7
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)					
0-1	3,271.72 (4.91)	4,007.99 (5.56)	3,849.35 (4.68)	600.01 (0.62)	605.46 (0.50)
1-3	6,493.73 (9.75)	6,078.30 (8.43)	7,400.03 (9.00)	7,791.24 (8.00)	10,721.90 (8.77)
3-5	6,994.44 (10.51)	9,430.95 (13.07)	13,334.95 (16.22)	13,726.17 (14.09)	14,377.82 (11.76)
5-7	12,808.00 (19.24)	13,059.46 (18.11)	11,652.18 (14.17)	12,062.69 (12.39)	13,902.21 (11.37)
7 और अधिक	37,009.25 (55.59)	39,536.62 (54.83)	46,025.00 (55.93)	63,206.34 (64.90)	82,701.05 (67.60)
कुल	**66,577.14**	**72,113.32**	**82,261.51**	**97,386.45**	**1,22,308.44**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
कोष्ठक में योग का प्रतिशत दर्शाया गया है।
*** संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियाँ–(संवृद्धि प्राथमिक व्यय + संवृद्धि ब्याज अदायगी)**
 # उदय के प्रभाव को शामिल कर

2016–17 के दौरान, 24.33 प्रतिशत का ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, चौदहवें वित्त आयोग के मानक प्रक्षेपण के रूप में निर्धारित 25.34 प्रतिशत की सीमा के अंदर था तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य (21.67 प्रतिशत) से उल्लेखनीय रूप से अधिक था।

2012–17 की अवधि के दौरान संसाधन अंतराल में उल्लेखनीय अंतर–वर्षीय उतार चढ़ाव राज्य द्वारा ऋणेत्तर प्राप्तियों का असंगत एकत्रीकरण इंगित करता है।

तालिका 1.37: उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ	19,578	23,701	35,552	49,524	64,106
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	16,740	23,132	30,759	39,157	44,528
उपलब्ध निवल निधियां	2,838	569	4,793	10,367	19,578
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत में)	14.50	2.40	13.48	20.93	30.54

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपलब्ध निवल निधियों में वृद्धि प्रदर्शित करती है कि विकास गतिविधियों/सेवाओं के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि में विगत वर्षों से काफी वृद्धि हुई है।

2016–17 के दौरान सार्वजनिक ऋण के तहत प्राप्त निवल निधि की उपलब्धता का प्रतिशत 30.54 था जो कि झारखण्ड (32.43 प्रतिशत) से कम था एवं उत्तर प्रदेश

(25.75 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (25.44 प्रतिशत) तथा बिहार (19.15 प्रतिशत) से अधिक था।

1.6.3 उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों[37] एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के 75 प्रतिशत ऋण को पाँच वर्षों में ले लेगी जिसका विवरण **तालिका 1.38** में दिया गया है। 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों का कुल ऋण ₹ 34,739 करोड़ था एवं इसका 75 प्रतिशत अर्थात ₹ 26,055 करोड़ इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए जाने हेतु सहमति दी गई थी।

तालिका 1.38: मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिये जाने वाले मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल ऋण का प्रतिशत	अनुदान के रूप में वितरण कम्पनियों को अंतरण	समता पूंजी के रूप में वितरण कम्पनियों को अंतरण	वर्ष के अंत में वितरण कम्पनियों का बकाया ऋण
2016-17	21.80	-	7,568	18,487
2017-18	13.30	4,622	-	13,865
2018-19	13.30	4,622	-	9,243
2019-20	13.30	4,622	-	4,621
2020-21	13.30	4,621	-	-
योग	**75.00**	**18,487**	**7,568**	**-**

(स्रोतः विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के मध्य समझौता ज्ञापन)

जैसा कि समझौता ज्ञापन में करार किया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के ₹ 7,568 करोड़ की सीमा तक के ऋण को भुगतान किया। तथापि, मध्य प्रदेश शासन ने समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट अनुसार समता पूंजी के रूप में ₹ 7,568 करोड़ के स्थान पर, ₹ 3,557 करोड़ समता पूंजी के रूप में अंतरित किए जबकि शेष राशि ₹ 4,011 करोड़ अनुदान के रूप में अंतरित की।

1.7 अनुवर्ती कार्रवाई

2008–09 से राज्य वित्त पर पृथक प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं तथा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी इन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श किया जाना है।

[37] मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था तथा विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए व्यय की गयी हैं।

2.1 विनियोग लेखे का सारांश

2016–17 के दौरान 78 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (–)/ आधिक्य (+) (प्रतिशत कोष्ठक में कॉल.4/2)	समर्पित राशि (प्रतिशत कोष्ठक में कॉल.5/4)	31 मार्च 2017 को समर्पित राशि (प्रतिशत कोष्ठक में कॉल.6/5)
	1	2	3	4	5	6
दत्तमत	I-राजस्व	1,36,222.89	1,12,054.64	(-)24,168.25 (17.74)	12,532.90 (51.86)	11,635.32 (92.84)
	II-पूंजीगत	37,746.42	28,631.80	(-)9,114.62 (24.15)	7,158.63 (78.54)	7,102.73 (99.22)
	III-ऋण एवं अग्रिम	6,589.88	4,940.93	(-)1,648.95 (25.02)	1,521.34 (92.26)	0.00 (0.00)
योग दत्तमत		**1,80,559.19**	**1,45,627.37**	**(-)34,931.82 (19.35)**	**21,212.87 (60.73)**	**18,738.05 (88.33)**
प्रभारित	IV-राजस्व	*11,792.25*	*10,509.78*	*(-)1,282.47* (10.88)	*37.95* (2.96)	*37.92* (99.92)
	V-पूंजीगत	*61.45*	*30.33*	*(-)31.12* (50.64)	*10.35* (33.26)	*10.35* (100)
	VI-लोक ऋण–पुनर्भुगतान	*9,105.63*	*4,925.41*	*(-)4,180.22* (45.91)	*0.00* (0.00)	*0.00* (0.00)
योग प्रभारित		***20,959.33***	***15,465.52***	***(-)5,493.81 (26.21)***	***48.30 (0.88)***	***48.27 (99.94)***
महायोग		**2,01,518.52**	**1,61,092.89**	**(-)40,425.63 (20.06)**	**21,261.17 (52.59)**	**18,786.32 (88.36)**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 2,993.54 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 1,373.82 करोड़) के अंतर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2016–17)

तथ्य यह है कि बचतों को अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग को उपलब्ध कराये बिना बचतों का 20.06 प्रतिशत (राशि ₹ 40,425.63 करोड़) वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया अथवा वित्त वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि वित्त विभाग ने बहुत कम वित्तीय नियंत्रण का उपयोग किया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण करना चाहिए ताकि निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किए बिना एवं आवंटनों के व्यपगत हुए बिना तुरंत समर्पण किया जाए।*

2.2 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.2.1 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि 2003–15 की अवधि से सम्बंधित 32 अनुदानों एवं 19 विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 758.14 करोड़ का नियमितीकरण कराये जाने में राज्य सरकार असफल थी। विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 23.77 करोड़ का आधिक्य व्यय अनुदान संख्या 2 (राजस्व दत्तमत) के अंतर्गत भी किया गया था। राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित, अनुदान से अधिक ऐसे बार–बार होने वाले आधिक्य व्यय विधानसभा की उस इच्छा एवं मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं कि एक रुपया भी विधानसभा की अनुमोदन के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विगत 12 वर्षों के आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा द्वारा शीघ्रतिशीघ्र नियमित किए जायें एवं बजट से अधिक व्यय करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाये।*

2.2.2 बचतें

56 प्रकरणों में जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है। 25 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 32 प्रकरणों में ₹ 28,473.71 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

10 अनुदानों के अंतर्गत लेखा शीर्ष राजस्व दत्तमत के अंतर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें अनुदान संख्या 06–वित्त, 07–वाणिज्यिक कर, 13–किसान कल्याण एवं कृषि विकास, 15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, 17–सहकारिता, 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण, 41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, 44–उच्च शिक्षा एवं 64–अनुसूचित जाति उपयोजना में हुईं।

इसी प्रकार, लेखा शीर्ष पूंजीगत दत्तमत के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें तीन अनुदानों के अंतर्गत अनुदान संख्या 12–ऊर्जा, 41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं 64–अनुसूचित जाति उपयोजना तथा लेखा शीर्ष पूंजीगत प्रभारित के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत एक विनियोग पी.डी.–लोक ऋण में हुईं।

उक्त वर्णित अनुदानों में से सात अनुदानों एवं एक विनियोग के 10 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2015-16 के दौरान भी बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक) हुईं जिसका विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: बचत दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक)	
			2015-16	2016-17
1	पी.डी.	लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)	3,912.81 (44.60)	4,180.22 (45.91)
2	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	5,614.68 (41.36)	2,352.81 (20.81)
3	07	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	773.34 (29.87)	902.84 (34.56)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक)	
			2015-16	2016-17
4	12	ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत)	1,401.98 (35.63)	2,847.17 (27.90)
5	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)
6	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	783.40 (32.78)	762.58 (23.57)
7	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	2,178.78 (35.28)	2,224.11 (33.01)
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	1,098.21 (32.40)	2,630.96 (44.13)
9	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	1,440.87 (34.03)	1,028.15 (21.81)
10	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	837.73 (27.57)	2,009.64 (42.74)

(स्रोतः वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के विनियोग लेखे)
नोटः कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को दर्शाते है।

यह देखा गया कि दो योजनाओं[38] में राशि ₹ 4,000 करोड़ के 100 प्रतिशत प्रावधानों के उपयोग न होने के कारण वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित) के अंतर्गत 45 प्रतिशत से लेकर 52 प्रतिशत तक लगातार बचतें हुईं।

अनुशंसाः वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधानों के उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए एवं भविष्य के वर्षों में अधिक औचित्यपूर्ण प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2.2.3 सतत बचतें

यह संज्ञान में आया कि 10 अनुदानों एवं दो विनियोगों के अन्तर्गत 12 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से सतत बचतें (₹ एक करोड़ और अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक) ₹ 2.50 करोड़ एवं ₹ 4,256.48 करोड़ के मध्य थी, जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है।

2.2.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

83 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान कुल ₹ 16,911.64 करोड़ अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 2.5*** में दिया गया है।

2.2.5 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2016–17 के दौरान, 35 प्रकरणों में राशि ₹ 3,880.67 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए जैसा कि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नही हुआ था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, 34 प्रकरणों में राशि ₹ 24,230.86 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) ₹ 13,929.50 करोड़ की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 10,301.36 करोड़ अत्यधिक सिद्ध हुए जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है।

[38] 1. उपाय तथा साधन अग्रिम (₹ 2,000 करोड़), 2. कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम (₹ 2,000 करोड़)

2.2.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

15 अनुदानों के 28 उप शीर्षों में जहाँ पुनर्विनियोग प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक था वहां ₹ 192.34 करोड़ की बचतें एवं ₹ 165.73 करोड़ का आधिक्य वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग दर्शाता है (***परिशिष्ट 2.8***)।

2.2.7 सारभूत समर्पण

वर्ष 2016–17 के दौरान, 168 उपशीर्षों में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) राशि ₹ 9,020.91 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 11,058.31 करोड़ का 82 प्रतिशत) किया गया, जिसमें 61 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 4,412.85 करोड़) का 100 प्रतिशत समर्पण सम्मिलित है। विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है। इस प्रकार सारभूत धनराशियों के समर्पण से दर्शित हुआ कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर चूक हुई।

2.2.8 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

वर्ष 2016–17 के दौरान, तीन अनुदानों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 लाख या अधिक) ₹ 223.95 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 251.30 करोड़ धनराशि का समर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 27.35 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ, जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक समर्पण से दर्शित हुआ कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियंत्रण नहीं रखा गया।

2.2.9 समर्पित न की गईं प्रत्याशित बचतें

अनुदानों/विनियोगों के 27 प्रकरणों में ₹ 7,716.77 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) की बचतें हुई लेकिन व्ययी विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 103 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत ₹ 36,596.12 करोड़ में से कुल राशि ₹ 19,208.80 करोड़ (52 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गयी ***(परिशिष्ट 2.12)***, जो कुल बचत ₹ 40,425.63 करोड़ का 48 प्रतिशत थी। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं परिणामी निधियों का अवरोधन दर्शाता है।

2.2.9.1 निधियों के समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, (ii) योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि ₹ 19,208.80 करोड़ के समर्पित न किए गए प्रावधान में 46 समर्पण के लिए दोषपूर्ण स्वीकृतियां सम्मिलित थी जो कि 29 अनुदानों/विनियोगों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 3,989.45 करोड़ के समर्पण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था (विवरण ***परिशिष्ट 2.13*** में दिया गया है)।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को अत्यधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों एवं अनौचित्यपूर्ण समर्पणों से बचना एवं नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के स्वीकृति आदेश*

दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समयोचित, पूर्ण एवं वैध होना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.10 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस–2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति के सामग्री मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने से अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि वर्ष 2016–17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये लघु निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹ 51.45 करोड़ को राजस्व शीर्ष के स्थान पर विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में दर्ज किया गया। सहायता अनुदानों पर व्यय राशि ₹ 201.41 करोड़ (कुल ₹ 252.86 करोड़) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाना चाहिए। विवरण ***परिशिष्ट 2.14*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 443.55 करोड़ एवं ₹ 8.35 करोड़ (कुल ₹ 451.90 करोड़) क्रमशः 'मशीनरी' एवं 'वृहद् निर्माण कार्य' (Major works) राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। विवरण ***परिशिष्ट 2.15*** में दिया गया है।

2.2.11 आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ का अनुपयुक्त व्यय

भारतीय संविधान एवं आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ की समग्र राशि (corpus amount) के साथ रखी जाती है। मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1957 के अधीन आकस्मिक निधि में से अग्रिम केवल ऐसे मामलों में दिए जायेंगे वे अनवेक्षित व्यय जो निर्विवाद रूप से आपातीस्वरूप का हो जिसके लिए बजट में प्रावधान न किया गया हो या जिसमें व्यय को स्थगित करना प्रशासनिक दृष्टि से असंभव हो या जिसके स्थगित करने से लोक सेवा को गम्भीर असुविधा या गम्भीर हानि अथवा नुकसान पहुँचता हो।

यह देखा गया कि वित्त विभाग ने संस्कृति विभाग को मार्च 2017 के दौरान भाबरा में शहीद चन्द्रशेखर आजाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 16 करोड़ आहरित करने की अनुमति दी थी। ₹ 16 करोड़ में से, संस्कृति विभाग ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 3.49 करोड़ व्यय किए जो कि आपाती एवं अनवेक्षित व्यय नहीं था।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आहरण केवल आकस्मिक एवं अनवेक्षित प्रकृति के व्यय के लिए किया जाये।*

2.2.12 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता को विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

यह संज्ञान मे आया कि मार्च 2017 के दौरान 18 अनुदानों/विनियोगों के 34 प्रकरणों[39] में राशि ₹ 14,169.78 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 2.16*** में दिया गया है।

[39] जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।

यह भी संज्ञान मे आया कि मध्य प्रदेश शासन ने छह अनुदानों के संबंध में दिनांक 28.03.2017, 30.03.2017 एवं 31.03.2017 को, विभिन्न योजनाओं जैसे कि इन्दिरा आवास योजना (₹ 489.90 करोड़), निर्मल भारत अभियान (₹ 376.53 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 1,005.73 करोड़), मध्यान्ह भोजन का वितरण कार्यक्रम (₹ 9.18 करोड़) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 266.67 करोड़) के लिए कुल ₹ 2,148.01 करोड़ के स्वीकृति आदेश जारी किए थे।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अत्यधिकता को नियंत्रित करना चाहिए।*

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी

प्रस्तावना

इस अध्याय में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 2015 के द्वारा कोषालय संहिता खण्ड–। एवं खण्ड–।। में संशोधन किया गया जिसके अनुसार सरकार की ओर से सभी भुगतान ई–भुगतान के माध्यम से किये जायेंगे। सरकार ने सितम्बर 2012 में मध्य प्रदेश कोषालय संहिता में संशोधन कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित नहीं किये जाने वाले प्रमाणकों/उप–प्रमाणकों की सीमा को भी ₹ 1,000 से ₹ 20,000 बढ़ा दिया था। ₹ 20,000 से अधिक के प्रमाणक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भौतिक रूप से भी प्राप्त किए जाते हैं। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2016 से स्थापना प्रमाणकों (वेतन देयक, यात्रा भत्ता देयक, चिकित्सा देयक इत्यादि) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजना बन्द कर दिया है।

उपर्युक्त पद्धति को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सहमति प्राप्त नहीं है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत आवश्यक है। यह भी देखा गया था कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने कोषालय से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर गम्भीर आपत्तियाँ उठायीं हैं। इन कारणों से लेखापरीक्षा कोषालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सम्पादित लेन–देनों को परिशुद्धता एवं संपूर्णता प्रदान करने में असमर्थ है।

3.1 व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रक/बजट के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर विधायी वित्तीय नियंत्रण का प्रावधान है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को व्यय की प्रत्याशित बचतों के विवरण पत्रक 15 जनवरी तक प्रस्तुत करने होते हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार–बार टिप्पणी की जाती है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतयः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत खातों में अंतरित कर दिया जाता है। व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश शासन के व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 5,350.37 करोड़ का अंतिम शेष था।

3.1.1 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2017) में परिलक्षित हुआ कि 53 कोषालयों में 341 व्यक्तिगत जमा खाते ₹ 650 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित रहे। विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ लाख में)

स.क्र.	राशि विस्तार	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	एक लाख से कम	4	0.90
2	एक से पाँच लाख	3	3.81
3	पाँच से 10 लाख	2	6.09
4	10 से 20 लाख	27	109.87
5	20 से 50 लाख	27	235.39
6	50 लाख और अधिक	278	64,644.80
योग		**341**	**65,000.86**

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2018) था।

3.1.2 व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

कार्यालय श्रम आयुक्त, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2017) से परिलक्षित हुआ कि एक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 1.21 करोड़ वर्ष 1998 से अप्रयुक्त पड़े हुए हैं।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2018) था।

3.1.3 व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण में अनियमितताएं

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल द्वारा संचालित (जनवरी 2008) व्यक्तिगत जमा खाते के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआः

(i) व्यक्तिगत जमा खाते की रोकड़ बही निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखी जा रही थी एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को धन ऋण ज्ञापन नहीं भेजे गए थे।

(ii) व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 18.99 लाख का शेष अगस्त 2013 से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

(iii) व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक ने शेषों का कोषालय के आंकड़ों से मिलान नहीं किया था। जुलाई 2017 में मिलान न किया गया अंतर ₹ 18.98 लाख था (कोषालय आंकड़ेः ₹ 18.99 लाख एवं रोकड़ बही आंकड़ेः ₹ 200)।

व्यक्तिगत जमा खातों के शेषों का आवधिक मिलान न होने से एवं वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े हुए अव्ययित शेषों को समेकित निधि में अंतरित नहीं किए जाने से सार्वजनिक निधियों के दुरूपयोग, कपट एवं दुर्विनियोजन का जोखिम रहता है।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2018) था।

3.1.4 प्रशासक द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर बैंक खातों में निधियां जमा करना

जिलाधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, शाजापुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2017) से परिलक्षित हुआ कि भू–अर्जन के लिए प्राप्त ₹ 1.18 करोड़ व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर विभिन्न बैंक खातों में जमा किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2018) के दौरान, वित्त विभाग ने प्रत्युत्तर दिया कि इन प्रकरणों को संबंधित विभागों के ध्यान में लाया जाएगा।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित किया जाता है तथा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।*

3.2 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मध्य प्रदेश शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। अधिनियम के अनुसार, मण्डल को कर्मकारों की कार्य स्थितियां सुधारने एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण की लागत का एक प्रतिशत की दर से एकत्रित उपकर प्राप्त करने की पात्रता है।

3.2.1 उपकर का लेखांकन

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करने थे। लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि मण्डल के लेखा 2012–13 से तैयार नहीं किये गये थे। 2012–17 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: 2012–17 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	उपकर की एकत्रित राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
2012-13	464.56	225.76	0.05	0	690.37	119.00	571.37	17
2013-14	571.37	264.49	0.01	0	835.87	110.07	725.80	13
2014-15	725.80	303.58	0.01	0	1,029.39	63.00	966.39	6
2015-16	966.39	286.44	0	0	1,252.83	120.18	1,132.65	10
2016-17	1,132.65	346.99	0	0	1,479.64	261.17	1,218.47	18

(स्रोतः मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

मण्डल के अभिलेखों एवं **तालिका 3.2** में दिए गए विवरणों की संवीक्षा के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया जाना उचित है।

(i) मण्डल द्वारा 2012–13 से लेखे तैयार नहीं किए जाने के अतिरिक्त मण्डल ने लेखापरीक्षा को उपलब्ध शेष के तीन विभिन्न आंकड़े उपलब्ध कराये। अतः लेखापरीक्षा में प्राप्तियों एवं व्यय की प्रामाणिकता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

(ii) 31 मार्च 2017 को उपलब्ध ₹ 1,218.47 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों की 25 शाखाओं में रखे हुए थे। बैंक खातों से प्राप्त ब्याज रोकड़ बही में नहीं दर्शाया जा रहा था।

(iii) प्राप्त निधियों से निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण मण्डल की स्थायी/अचल परिसम्पत्ति पंजी में लेखांकित नहीं किया गया था, इसके अभाव में, निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.2.2 श्रम उपकर की उपयोगिता

राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं/गतिविधियां अर्थात् मातृत्व हितलाभ, पेंशन, भवनों के निर्माण एवं क्रय के लिए अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि अधिसूचित की थीं। 2012–17 के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: उपलब्ध निधियों से योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध निधियां	योजनाओं का बजट आवंटन		संचालित योजना		पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार	प्रतिशत	
		योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय			सम्मिलित कर्मकार	उपलब्ध निधियों का उपयोग
2012-13	690.37	8	90.00	8	115.64	23,82,158	7,04,885	29.59	16.75
2013-14	835.87	12	164.50	6	105.05	25,15,516	5,55,899	22.10	12.57
2014-15	1,029.39	15	192.10	8	58.59	24,65,939	3,14,298	12.75	5.69
2015-16	1,252.83	20	270.70	17	101.24	24,81,926	5,16,958	20.83	8.08
2016-17	1,479.64	26	545.00	24	240.58	25,28,255	4,25,448	16.83	16.26
	योग	**81**	**1,262.30**	**63**	**621.10**	**1,23,73,794**	**25,17,488**	**20.35**	

(स्रोतः मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

अनुशंसा: *राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल लेखों को अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियां सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे तथा अधिनियम में निर्धारण अनुसार उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।*

3.3 शासकीय लेखों में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है, जब लेखों में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2016–17 के दौरान विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 33,003.16 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,23,306.79 करोड़) का लगभग 26.76 प्रतिशत था, को विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

इसी प्रकार ₹ 20,906.92 करोड़, जो कुल व्यय ₹ 1,46,825.68 करोड़ का लगभग 14.24 प्रतिशत था, को विभिन्न मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

ऐसे दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 10 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, ***परिशिष्ट 3.1*** एवं ***3.2*** में दिए गए हैं और **तालिका 3.4** में सारांशीकृत किए गए हैं।

तालिका 3.4 लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	1,433.52	0035, 0056, 0211, 0217, 0702, 0801, 0852, 0875, 1452	47.29	4070, 4408, 4852, 4853, 4875, 5055, 5475
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	30,014.68	0039, 0059, 0215, 0220, 0235, 0435, 0853, 1601	10,588.61	2250, 2702, 2852, 4515, 4700, 4701, 5425
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	53.25	0401, 0700	4,235.75	2075, 2204, 2217, 2705, 2853, 3454, 4403

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
25 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य	175.78	0049, 0230, 0403, 0405, 0515, 0851	3,227.52	2205, 3054, 4215, 4225, 4702, 5054
10 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत के मध्य	913.21	0029, 0043, 0055, 0075, 0210, 0406, 0408, 0810, 1054	1,245.16	2403, 2405, 2515, 2700, 2701, 4202, 4217, 4711
योग	**32,590.44**		**19,344.33**	

(स्रोतः– वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

अनुशंसाः *वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित सभी मदों की समग्र समीक्षा करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किए जाते हैं।*

3.4 दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना

वित्तीय नियमों के अनुसार गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को दी जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2017 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3,212 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 37.76 करोड़ समाविष्ट थे, जिन पर जून 2017 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 1.88 करोड़ (231 प्रकरण) सम्मिलित थे। मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन एवं मुख्य शीर्ष 2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन में क्रमशः ₹ 15.98 करोड़ (2,631 प्रकरण) एवं ₹ 8.30 करोड़ (11 प्रकरण) वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। वर्ष 2016–17 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार/अवधिवार विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। इन प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार और अनियमितता की प्रकृति अनुसार विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को **तालिका 3.5** एवं **तालिका 3.6** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.5: लंबित प्रकरणों की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा		
विस्तार वर्षों में	**प्रकरणों की संख्या**	**समाविष्ट राशि**
0 – 5	756	13.52
5 – 10	261	8.57
10 – 15	283	3.14
15 – 20	441	3.96
20 – 25	300	1.89
25 और उससे अधिक	1,171	6.68
योग	**3,212**	**37.76**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 3.6: दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की श्रेणीवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरण की प्रकृति	**प्रकरणों की संख्या**	**समाविष्ट राशि**
चोरी	167	6.09
दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	3,045	31.67
योग	**3,212**	**37.76**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि **तालिका 3.7** में दर्शाये गये कारणों से प्रकरण बकाया थे।

तालिका 3.7: दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	08	0.26
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	06	0.05
(iii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3,118	36.39
(iv)	न्यायालयों में लंबित	80	1.06
योग		**3,212**	**37.76**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, ₹ 37.76 करोड़ के 3,212 प्रकरणों में से ₹ 15.67 करोड़ के 2,195 प्रकरण (68 प्रतिशत) 10 से अधिक वर्ष से लंबित थे। 3,118 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 के दौरान राशि ₹ 50.50 लाख के हानि के 46 प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में विवरण दिया गया है। 2016–17 के दौरान 261 प्रकरणों से संबंधित राशि ₹ 43.02 लाख की वसूली की जाकर शासकीय खाते में जमा करा दी गई थी। विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है।

अनुशंसाः *सरकार को अपेक्षित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए एवं ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने/कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।*

3.5 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति

वित्तीय नियमों के अनुसार जहाँ सहायतानुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं वहां संबंधित विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने चाहिए तथा सत्यापन करने के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित करना चाहिए कि निधियों का नियत उद्देश्यों के लिए उपयोग कर लिया गया है। तथापि यह देखा गया है कि 31 मार्च 2017 को राशि ₹ 18,080.10 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे, जैसा कि **तालिका 3.8** में दिया गया है। अत्यधिक उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का लंबित होना निधियों के दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से भरा होता है।

तालिका 3.8: बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2014-15 तक	21,075	17,748.04
2015-16	17	327.21
2016-17	2	4.85
योग	**21,094**	**18,080.10**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

31 मार्च 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण ***परिशिष्ट 3.7*** में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने सम्बन्धी मुख्य प्रकरण मुख्य शीर्ष 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (₹ 8,711 करोड़), 2408–खाद्य, भंडारण एवं भांडागार (₹ 4,796 करोड़), 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (₹ 1,022 करोड़), 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 748 करोड़) एवं 2401–फसल कृषि–कर्म (₹ 440 करोड़) से संबंधित थे। यद्यपि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के ऐसे मामले नियमित रूप से प्रतिवेदित किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं देखा गया है। अनेक प्रकरणों में पूर्व अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित होने पर भी वही प्राप्तकर्त्ता उसी विभाग से अतिरिक्त अनुदान लगातार प्राप्त करता रहता है।

3.6 असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति

संस्कृति विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

- कार्यालय आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2017) में परिलक्षित हुआ कि तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों के उन्नयन एवं विकास हेतु केन्द्र सरकार से वित्त वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान क्रमशः ₹ 47.80 करोड़ एवं ₹ 26.25 करोड़ प्राप्त हुए थे। यद्यपि सम्पूर्ण राशि ₹ 74.05 करोड़ लोक लेखे में रखी गयी थी एवं इससे कोई व्यय नहीं किया गया था, आयुक्त ने सरकार को सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र क्रमशः दिनांक 23.02.2015 (₹ 47.80 करोड़) एवं 26.03.2015 (₹ 26.25 करोड़) को प्रेषित किये।
- इसी प्रकार, संस्कृति विभाग, भोपाल ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत आठ संग्रहालयों के उन्नयन एवं विकास कार्य तथा उज्जैन में नवीन संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु ₹ 10 करोड़ प्राप्त किए। विभाग ने उक्त राशि लोक लेखे में अंतरित कर दी। यद्यपि ₹ 2.90 करोड़ अव्ययित थे, किन्तु विभाग ने अप्रैल 2016 में सरकार को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों में इस राशि को शामिल कर लिया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर अनुदान जारी करने वाले प्रशासकीय विभाग, अनुदान आदेश में निर्धारित समय से अधिक अवधि से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्रित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि उस समय तक प्रशासकीय विभाग चूककर्त्ता अनुदानग्राहियों को आगे और अनुदान जारी न करें। असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों एवं कार्यान्वयन एजेन्सी के उत्तरदायित्व निर्धारण एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।*

3.7 बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

वित्तीय नियमों के अनुसार संक्षिप्त आकस्मिक देयकों द्वारा आहरित अग्रिमों को विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों के माध्यम से शीघ्रता से समायोजित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि वित्त विभाग ने संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से अग्रिम आहरित (जुलाई 2011) करने की कार्यप्रणाली को वापस ले लिया है **तालिका 3.9** के विवरणानुसार 31 मार्च 2017 की स्थिति में पूर्व अवधि के ₹ 7.59 करोड़ के 19 संक्षिप्त आकस्मिक देयक असमायोजित पड़े हुए थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को समय से प्रस्तुत करने में असफल रहना दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से भरा होता है।

तालिका 3.9: बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि
2004-05	11	4.60
2005-06	05	2.74
2006-07	03	0.25
योग	**19**	**7.59**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

अनुशंसाः *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी, समस्त लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का शीघ्रता से समायोजन करें ।*

3.8 रोकड़ शेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी शेषों की पुष्टि के प्रमाण–पत्र के अनुसार राज्य के पास ₹ 417.92 करोड़ का नामे शेष था जबकि माह मार्च 2017 के लिए राज्य का अंतिम रोकड़ शेष ₹ 52.99 करोड़ जमा शेष था जैसा कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सत्यापित किया गया। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा गणना किए गए राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित (31.03.2017 को) रोकड़ शेष के मध्य ₹ 364.93 करोड़ (निवल नामे) का अंतर था।

3.9 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं सुधार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

वर्ष 2016–17 के दौरान सभी 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,24,103 करोड़ ("लोक ऋण" के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर) के विरुद्ध ₹ 3,807 करोड़ (3.07 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 तक सभी 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल व्यय ₹ 1,51,767 करोड़ (''लोक ऋण'' के पुनर्भुगतान को छोड़कर) के विरुद्ध ₹ 53,986 करोड़ (35.57 प्रतिशत) व्यय का आंशिक मिलान किया गया।

यद्यपि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागीय आंकड़ों के ऐसे मिलान न किए जाने के बारे में नियमित रूप से उल्लेख किया जाता है तथापि यह चूक निरन्तर जारी है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए कि सभी बजट नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक माह अपने लेखों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से करें।*

3.10 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में समायोजन में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2017 को 13 विभागों[40] द्वारा कुल ₹ 7.99 करोड़ के 5,225 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे। सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹ 4.72 करोड़) तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (₹ 2.78 करोड़) में ₹ एक करोड़ से अधिक के अस्थायी अग्रिम लम्बित थे। विवरण निम्न **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: मार्च 2017 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	1,339	1.25
2	पाँच वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	177	0.57
3	एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष तक	1,841	3.22
4	एक वर्ष तक	1,868	2.95
योग		**5,225**	**7.99**

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उप संचालक, उद्यानिकी, मंदसौर, गुना एवं सहायक संचालक, उद्यानिकी, श्योपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ कि अस्थायी अग्रिमों के राशि ₹ 13.06 लाख के 13[41] प्रकरण एक से चार वर्ष की अवधि से समायोजन हेतु लंबित थे।

कार्यालय जिला खेलकूद एवं युवा कल्याण अधिकारी, दतिया एवं मुरैना में अस्थायी अग्रिमों के राशि ₹ 22.57 लाख के 63 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2017 एवं मार्च 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2018) था।

3.11 विभाग द्वारा कम अंशदान

आयुक्त, श्रम विभाग, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2017) में परिलक्षित हुआ कि वित्तीय वर्ष 1987–88 से 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत नियोजकों से अंशदान के रूप में ₹ 25.92 करोड़ प्राप्त हुए थे, समतुल्य अंशदान की आवश्यकता के विरुद्ध सरकार द्वारा केवल ₹ 8.36 करोड़ का अंशदान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.56 करोड़ का कम अंशदान हुआ जिसने इस सीमा तक राजस्व अधिशेष में वृद्धि एवं राजकोषीय घाटे में कमी भी दर्शायी।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को अपना समतुल्य अंशदान समय पर प्रेषित करना चाहिए।*

---

[40] (1) पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याणः ₹ 1.25 लाख, (2) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगारः ₹ 0.28 लाख, (3) संस्कृतिः ₹ 0.90 लाख, (4) किसान कल्याण तथा कृषि विकासः ₹ 278.09 लाख, (5) सामान्य प्रशासन (निर्वाचन): ₹ 471.57 लाख, (6) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करणः ₹ 13.06 लाख, (7) जेलः ₹ 1.74 लाख, (8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमः ₹ 6.51 लाख, (9) पंचायत एवं ग्रामीण विकासः ₹ 2.56 लाख, (10) राजस्वः ₹ 0.31 लाख, (11) खेलकूद एवं युवा कल्याणः ₹ 22.57 लाख, (12) आदिम जाति कल्याणः ₹ 0.24 लाख (13) जल संसाधनः ₹ 0.18 लाख

[41] (1) उप संचालक, उद्यानिकी, मंदसौरः नौ प्रकरण राशि ₹ 6.78 लाख, (2) उप संचालक, उद्यानिकी, गुनाः दो प्रकरण राशि ₹ 3.73 लाख, (3) सहायक संचालक, उद्यानिकी, श्योपुरः दो प्रकरण राशि ₹ 2.55 लाख

3.12 बैंक खातों का अनियमित संधारण

वित्तीय नियमों के अनुसार, सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर, शासकीय सेवक राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है।

पाँच विभागों[42] से प्राप्त जानकारी के अनुसार समेकित निधि से ₹ 20.34 करोड़ आहरित कर 19 बैंक खातों में जमा किये गये थे, जो कि 31 मार्च 2017 को 13 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। विवरण ***परिशिष्ट 3.8*** में दिया गया है।

आठ जिलों[43] के कलेक्टरों के अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि अगस्त 2016 से मार्च 2017 के दौरान कोषालय से ₹ 10.61 करोड़ आहरित किये गये थे एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम से नौ बैंक खातों में जमा किये गये।

वित्त विभाग से बैंक खाते खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (फरवरी 2017) में परिलक्षित हुआ कि राज्य की समेकित निधि से ₹ 20 लाख आहरित किये गये थे (मार्च 1989) एवं यह राशि उप नियंत्रक के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल में सावधि जमा रसीद के रुप में 181–181 दिन के लिए जमा की गई थी जो 30 सितम्बर 2016 को प्राप्त ब्याज सहित संचित होकर ₹ 1.30 करोड़ थी। सावधि जमा रसीदें निरंतर (मार्च 2017) रहीं।

बिना प्राधिकार के बैंक खाते में जमा करने के उद्देश्य से समेकित निधि से आहरण करना दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से भरा होता है।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2018) था।

3.12.1 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम के अनुसार जब तक कि तत्काल आवश्यकता न हो, कोषालय से धन का आहरण नहीं किया जाएगा।

आयुक्त, स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2017) में परिलक्षित हुआ कि 2011–12 से 2016–17 के दौरान कोषालय से ₹ 8.59 करोड़ आहरित किए गए थे एवं स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत एक निकाय, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, के बैंक खाते में जमा कर दिये गये थे।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2018) था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित कर सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीन शासकीय विभाग एवं इकाईयाँ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषालय से धन का आहरण नहीं करती हैं। वित्त विभाग को राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की समीक्षा भी करनी चाहिए एवं वित्त विभाग द्वारा*

---

[42] (1) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करणः ₹ 650.31 लाख, (2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमः ₹ 0.72 लाख, (3) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीः ₹ 197.54 लाख, (4) सामान्य प्रशासनः ₹ 1060.51 लाख, (5) राजस्वः ₹ 125.35 लाख

[43] (1) बालाघाट (₹ 0.54 करोड़, दिसंबर 2016), (2) देवास (₹ 1.26 करोड़, मई 2017), (3) ग्वालियर (₹ 4.88 करोड़, जनवरी 2017), (4) इन्दौर (₹ 1.07 करोड़, मई 2017), (5) मुरैना (₹ 0.47 करोड़, दिसंबर 2016), (6) पन्ना (₹ 0.66 करोड़, सितंबर 2016), (7) सिंगरौली (₹ 0.80 करोड़, नवम्बर 2016) (8) विदिशा (₹ 0.93 करोड़, जनवरी 2017)

प्राधिकृत नहीं किए गए सभी खातों को बंद करना चाहिए। शासन से अनुमति प्राप्त किए बिना बैंक खातों में धन जमा करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

3.13 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2017 को लेखापरीक्षा संबंधी अधिनियम, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति की स्थिति **तालिका 3.11** में दी गई है।

तालिका 3.11: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति

स. क्र.	निकाय का नाम	अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/ अप्रस्तुति में विलंब[44] (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3)	2013-14	2013-14	2013–14 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 07.03.2018)	2013-14 (26) 2014-15 (27) 2015-16 (15) 2016-17 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2015-16	2014-15	2014–15 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 30.11.2017)	2015-16 (15) 2016-17 (03)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2011-12	2011-12	वर्ष 2003–04 से 2011–12 तक के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी।	2011-12 (23) 2012-13 (51) 2013-14 (39) 2014-15 (27) 2015-16 (15) 2016-17 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	1997–98 से 2012–13	2001–02 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक के लेखे अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे।	वर्ष 1997–98 के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 13.10.2017 को जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में 1997–98 से 2012–13 तक के बिना लेखापरीक्षा किये हुए लेखे राज्य विधानमंडल में दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत कर दिये गये।	1997-98 (205) से 2012-13 (25) 2013-14 (39) 2014-15 (27) 2015-16 (15) 2016-17 (03)
5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3)	2015-16	2015-16	2015–16 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 18.07.2017)	2016-17 (03)
6	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल	नियंत्रक– महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2016-17	2016-17	राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी।	-

[44] विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2017 तक ली गई है।

अनुशंसा: *सरकार को स्वायत्त निकायों के लेखे लेखापरीक्षा को समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनियों को सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के अन्दर अर्थात सितम्बर अंत तक, वित्तीय विवरण पत्रक को, अंतिम रूप देना होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) सहपठित धारा 129(2) के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रावधान विद्यमान हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर कम्पनी अधिनियम 2013[45] की धारा 129(7) के अंतर्गत दांडिक प्रावधानों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके अनुसार जिम्मेदार चूककर्त्ता कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी को कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थदंड जो कि पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।

संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक निगमों के लेखों को अंतिम रूप देना, लेखापरीक्षा करना तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।

उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन होने से मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत उपक्रमों के लेखे बकाया हैं जैसा कि **तालिका 3.12** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.12: 31 मार्च 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अवधिवार बकाया लेखे

स.क्र.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	योग
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या	54	18	72
2(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	29	7	36
2(ख)	बकाया लेखों की संख्या	54	94	148
3(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे 5 से कम वर्षों से बकाया हैं	27	0	27
3(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	34	0	34
4(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे 5 से 10 वर्ष तक बकाया हैं	1	4	5
4(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	7	29	36
5(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे 10 या अधिक वर्षों से बकाया हैं	1	3	4
5(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	13	65	78
6	लेखों के बकाया की सीमा (वर्षों में)	1-13	1-27	1-27

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

लेखों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक 27 वर्ष तक की अवधि से कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं संबंधित अधिनियमों के अनुसार निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने में असमर्थ रहे हैं।

[45] पूर्व में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 (5) के अनुसार, यदि कम्पनी के निदेशक के रुप में कोई व्यक्ति इस धारा के अनुपालन में उचित कदम उठाने में विफल रहता है तो प्रत्येक अपकार के लिए एक अवधि के कारावास जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदंड जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हेतु दंडनीय होगा।

उपरोक्तानुसार यह इंगित होता है कि संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि चूककर्त्ता कम्पनियां एवं निगम सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन करते हैं।

यह विशिष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की ओर से वित्तीय सहायता की मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिए लेखों के अभाव के बावजूद वित्त विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को समता पूंजी, ऋण एवं सहायतानुदान/राजसहायता, प्रत्याभूतियां प्रदान करने के माध्यम से नियमित रूप से बजटीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। राज्य सरकार ने 17 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को (समता पूंजीः ₹ 94.63 करोड़, ऋणः ₹ 1,224.74 करोड़, पूंजीगत अनुदानः ₹ 2,333.38 करोड़, प्रत्याभूतिः ₹ 740.36 करोड़ एवं अन्य (राजसहायता): ₹ 4,515.54 करोड़) लेखे बकाया होने की अवधि के दौरान ₹ 8,908.65 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने एक अकार्यशील कम्पनी को उस अवधि के लिए, जिसके लेखे बकाया थे, ₹ 4.34 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान) प्रदान की जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में दिया गया है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बकाया लेखे वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए, लेखे यथोचित अवधि में अद्यतन कर लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं वहां सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता रोक देनी चाहिए।*

3.15 लाभांश घोषित न किया जाना

राज्य सरकार की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। यद्यपि उनके अंतिम रूप से अद्यतन लेखों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उपक्रमों ने शासकीय समता पूंजी ₹ 7,853.40 करोड़ के साथ कुल लाभ ₹ 397.73 करोड़ अर्जित किया, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल चार उपक्रमों ने ₹ 43.38 करोड़ या सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के समग्र लाभ का 10.91 प्रतिशत लाभांश प्रस्तावित किया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों ने मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन कर लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट 3.10*** में दिया गया है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम सरकार को निर्धारित लाभांश का भुगतान करें।*

3.16 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों पर की गई चर्चा एवं वित्त लेखे के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा गणना किए गए व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन का प्रभाव निम्न **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताओं पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं कम अंतरण/अंशदान का विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	बकाया देयताओं पर प्रभाव
	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
एन.एस.डी.एल को अंशदान का कम अंतरण	21.86	21.86	-
समेकित निक्षेप निधि में अंशदान न करना	635.72	635.72	635.72

त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं कम अंतरण/अंशदान का विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	बकाया देयताओं पर प्रभाव
	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान	674.05	674.05	674.05
आरक्षित निधियों एवं सब्याज जमा पर ब्याज का भुगतान न करना	58.43	58.43	58.43
राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	585.67	-	-
योग	**1,975.73**	**1,390.06**	**1,368.20**

(स्रोतः 2016–17 के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के तारतम्य में, वित्त लेखे में राज्य का राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं ₹ 7,781 करोड़, ₹ 20,304 करोड़ एवं ₹ 1,48,440 करोड़ दर्शायी गईं हैं, जो कि वास्तव में क्रमशः ₹ 5,805 करोड़, ₹ 21,694 करोड़ एवं ₹ 1,49,808 करोड़ होंगी।

3.17 समता पूंजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का मिलान न करना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार समता पूंजी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों से संबंधित आंकड़ों का राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। जहाँ आकड़ों का मिलान नहीं होता है, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2017 को इससे संबंधित स्थिति **तालिका 3.14** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.14: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों एवं वित्त लेखे के अनुसार समता पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता पूंजी	17,231.86	14,668.29	2,563.57
ऋण	22,723.87	33,349.22	10,625.35
प्रत्याभूतियां	11,462.86	3,709.32	7,753.54

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

यद्यपि वित्त लेखे में प्रदर्शित एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतरों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2018) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि आंकड़ों का मिलान समय से कर लिया जायेगा। यह मिलान तत्काल तथा प्राथमिकता के साथ वित्त लेखे 2017–18 को अंतिम रुप दिये जाने से पूर्व किया जाना है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासकीय विभागों से अपेक्षा है कि वे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गये राज्य सरकार के निवेशों, ऋणों एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित अभिलेखों एवं लेखों के अंतरों का मिलान करें।*

3.18 सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों का व्यय शासकीय लेखों में नहीं दर्शाया जाना

मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फैसिलिटेशन निगम मर्यादित (कम्पनी) ने मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों, कम्पनी कर्मचारियों इत्यादि के प्रतिनिधिमंडलों के विभिन्न देशों

में 15 विदेशी दौरे आयोजित किए थे। उपर्युक्त विदेशी दौरों पर हुए ₹ 8.96 करोड़ के व्यय की पूर्ति उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को शीर्ष "5531–डेस्टिनेशन म.प्र. इन्वेस्टमेंट ड्राइव" के अंतर्गत सहायतानुदान के रूप में जारी निधियों से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों का व्यय विशिष्टतया राज्य बजट के माध्यम से नहीं किया गया था और न ही उसे राज्य शासन के लेखों में दर्शाया गया था। इसके स्थान पर कम्पनी द्वारा इस व्यय का भुगतान उपर्युक्त अनुदान से किया गया था तथा इस प्रकार उपर्युक्त विदेशी दौरों पर किया गया व्यय बजटीय संवीक्षा से बच गया था।

3.19 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवम्बर 2000 से पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद भी पूंजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 5,755.20 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 2,176.05 करोड़ के साथ लोक लेखों के अंतर्गत राशि ₹ 669.76 करोड़ के शेषों को परवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजित किया जाना है।

अनुशंसा: *राज्य शासन को दो परवर्ती राज्यों के मध्य लोक लेखों, पूंजीगत भाग तथा ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत शेषों का शीघ्र विभाजन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सम्पर्क करना आवश्यक है।*

(राजीव कुमार पाण्डे)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

ग्वालियर
दिनांक: 3 अगस्त 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 8 अगस्त 2018

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भः प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य आंकड़े		
स.क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क. 2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख. 2011 की जनगणना के अनुसार		7.26 करोड़
3	क. जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख. जनसंख्या[46] का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा[47] से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		31.70 प्रतिशत
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)		69.69 प्रतिशत
	ख. साक्षरता[48] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		69.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर[49] (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2015)		50 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म[50] के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत = 68.30 वर्ष) (2011–15)		64.80 वर्ष
8	*जिनी कोएफीशियेन्ट[51]		
	क. ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29)		0.29
	ख. शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)		0.36
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016–17 चालू मूल्य पर		₹ 6,40,484 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2007–08 से 2016–17)	मध्य प्रदेश	14.70 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	13.20 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2007–08 से 2016–17)	मध्य प्रदेश	16.50 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	14.60 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर[52] (2007–08 से 2016–17)	मध्य प्रदेश	15.10 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	11.90 प्रतिशत

ख. वित्तीय आंकड़े

विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)			
संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2007–08 से 2015–16		2015–16 से 2016–17	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के	14.58	16.69	11.52	16.87
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	14.80	16.30	13.50	9.90
ग.	करेत्तर राजस्व के	9.45	15.33	12.10	6.03
घ.	कुल व्यय के	15.84	17.22	15.31	26.72
ड.	पूंजीगत व्यय के	14.53	11.93	17.91	62.09
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	16.86	20.77	9.86	23.98
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	18.43	20.98	14.92	2.83
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	14.89	14.45	13.06	4.98
झ.	पेंशन के	17.17	18.85	10.63	12.46

स्रोतः वित्तीय आँकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं

* जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट मूल्य कम असमानता को दर्शित करता है। (2009–10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों को अंगीकृत किया गया है)

---

46 अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार

47 आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 154

48 आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 149

49 आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 156

50 आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 146

51 *http://planningcommission.nic.in/data//datatable/data 2312/DatabookDec2014%20106.*

52 भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001–2026 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001–2026 को लिंग अनुसार कुल आबादी का प्रक्षेपण)

परिशिष्ट 1.2 (भाग–क)
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधिः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधिः संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखाः प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन–देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 (भाग–ख)
वित्त लेखों की रूपरेखा
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते है जिसके भाग–1 सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण और भाग–2 इनके विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग–2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.3
वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार
(संदर्भः कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16	2016-17			
योग			योग	योग		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
भाग–कः राजस्व								
1,05,510.60	**I.**	राजस्व प्राप्तियाँ	**1,23,306.79**	**99,770.70**	राजस्व व्यय	**73,267.74**	**46,269.63**	**1,19,537.37**
40,213.66		-कर राजस्व	44,193.65	**25,700.26**	**सामान्य सेवाएं**	**27,454.36**	**448.76**	**27,903.12**
				42,650.93	**सामाजिक सेवाएं**	**22,511.44**	**25,430.99**	**47,942.43**
8,568.79		-करेत्तर राजस्व	9,086.51	17,054.74	-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	15,386.43	5,757.21	21,143.64
				5,228.02	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,925.59	2,449.98	5,375.57
38,397.84		-संघ करों में राज्य का भाग	46,064.10	6,273.97	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,783.69	9,398.56	11,182.25
3,990.10		-आयोजनेत्तर अनुदान	5,472.39	187.30	-सूचना एवं प्रसारण	333.76	7.74	341.50
				2,968.06	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	422.57	2,672.48	3,095.05
13,370.61		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	17,701.96	279.52	-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	207.04	83.49	290.53
				10,520.18	-समाज कल्याण एवं पोषण	1,284.90	5,047.96	6,332.86
969.60		-केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	788.18	139.14	-अन्य	167.46	13.57	181.03
				25,528.52	**आर्थिक सेवाएं**	**17,847.51**	**19,037.22**	**36,884.73**
				7,476.06	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3,850.87	6,460.25	10,311.12
				6,107.82	-ग्रामीण विकास	2,605.99	6,211.66	8,817.65
				630.45	–सिंचाई तथा बाढ़ नियत्रण	631.13	56.48	687.61
				7,218.84	-ऊर्जा	8,390.75	4,085.45	12,476.20
				2,477.30	-उद्योग एवं खनिज	1,033.65	1,813.29	2,846.94
				1,209.49	-परिवहन	1,244.95	--	1,244.95
				210.50	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7.70	216.26	223.96
					-सामान्य आर्थिक सेवाएं	82.47	193.83	276.30
				198.06	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**5,454.43**	**1,352.66**	**6,807.09**
	II.	**भाग ख में अग्रेनीत राजस्व घाटा**		**5,890.99**	**भाग ख में अग्रेनीत राजस्व अधिशेष**			**3,769.42**
1,05,510.60		योग	**1,23,306.79**	**1,05,510.60**	योग			**1,23,306.79**

भाग–ख: अन्य								
प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16	2016-17			
योग			योग	योग		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
5,401.96	**III**	प्रारम्भिक नकद शेष स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	**10,898.72**		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			
26.47	**IV**	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**24.19**	**16,835.47**	पूंजीगत परिव्यय	**129.28**	**27,159.03**	**27,288.31**
				549.22	सामान्य सेवाएं	**42.47**	**655.37**	**697.84**
				3,024.49	सामाजिक सेवाएं	**40.28**	**3,244.88**	**3,285.16**
				758.32	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	--	736.97	736.97
				226.06	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.19	563.50	564.69
				1,527.41	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	39.05	1,072.58	1,111.63
				--	-सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				409.21	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	549.83	549.83
				57.81	-समाज कल्याण एवं पोषण	0.04	203.81	203.85
				45.68	-अन्य सामाजिक सेवाएं	--	118.19	118.19
				13,261.76	**आर्थिक सेवाएं**	**46.54**	**23,258.77**	**23,305.31**
				117.20	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	--	693.31	693.31
				2,418.78	-ग्रामीण विकास	--	3,169.35	3,169.35
				6,372.70	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	44.54	8,425.96	8,470.50
				549.69	-ऊर्जा	2.00	4,664.56	4,666.56
				247.69	-उद्योग एवं खनिज	--	1,515.34	1,515.34
				3,377.04	-परिवहन	--	4,671.99	4,671.99
				1.30	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	5.00	5.00
				177.36	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	113.26	113.26
162.32	**V**	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	**772.05**	**3,157.91**	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	**3,588.86**	**1,351.41**	**4,940.27**
				2,595.20	-बिजली परियोजनाओं के लिए	3,162.56	--	3,162.56
				256.70	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये	373.95	813.12	1,187.07
				259.00	उद्योग तथा खनिज के लिये	--	513.29	513.29
0.03		-सरकारी कर्मचारियों से		-	-सरकारी कर्मचारियों को	0.10	--	0.10
162.29		-अन्यों से		47.01	-अन्यों को	52.25	25.00	77.25
1.93	**VI**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**0.01**	**1.94**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	--	--	**0.66**

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16	2016-17			
योग			योग	योग		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
5,739.90	**VII**	**अधोनीत राजस्व अधिशेष**	**3,769.42**	--	**अधोनीत राजस्व घाटा**	--	--	
19,985.30	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**29,847.41**	**4,860.36**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	--	--	**4,925.41**
18,659.18		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण		3,948.42	-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	3,907.83
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन			अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन			
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन–देन						
1,326.12		-केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		911.94	-केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			1,017.58
--	**IX**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	--	--	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**			--
1.08	**X**	**आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि**	--	--	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			--
1,32,772.19	**XI**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**1,61,078.58**	**1,28,336.75**	**लोक लेखा संवितरण**			**1,58,242.07**
3,498.21		-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	3,486.38	2,473.70	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			2,673.71
2,719.07		-आरक्षित निधियां	3,701.34	986.05	-आरक्षित निधियां			4,199.61
87,337.99		-उचंत तथा विविध	1,08,731.65	85,881.02	-उचंत तथा विविध			1,09,573.88
15,867.66		- प्रेषण	18,063.48	16,220.77	-प्रेषण			18,135.36
23,349.26		-जमा एवं अग्रिम	27,095.73	22,775.21	-जमा एवं अग्रिम			23,659.51
--	**XII**	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**		**10,898.72**	**वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष**			**10,993.66**
					-खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
				1,009.49	-रिजर्व बैंक में जमा			-52.99[53]
				1.78	-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			2.01
				9,887.45	-रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			11,044.64
1,64,091.15		**योग**	**2,06,390.38**	**1,64,091.15**	**योग**			**2,06,390.38**

[53] मार्च 2017 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 52.99 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 417.92 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 364.93 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.4
2016–17 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना
(संदर्भः कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक/कमीं (–)	अधिक/कमीं (–) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें	**1,26,095**	**1,23,307**	**-2,788**	**-2.21**
स्वयं के कर राजस्व	**46,500**	**44,194**	**-2,306**	**-4.96**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,000	22,561	561	2.55
राज्य उत्पाद शुल्क	9,000	7,533	-1,467	-16.30
वाहन कर	2,500	2,252	-248	-9.92
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,500	3,925	-575	-12.78
माल तथा यात्री कर	4,200	3,805	-395	-9.40
भू–राजस्व	500	407	-93	-18.60
अन्य कर	3,800	3,711	-89	-2.34
करेत्तर राजस्व	**11,482**	**9,086**	**-2,396**	**-20.87**
ब्याज प्राप्तियाँ	273	582	309	113.19
विविध सामान्य सेवाएं	226	115	-111	-49.12
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,450	3,168	-282	-8.17
अन्य करेत्तर राजस्व	7,533	5,221	-2,312	-30.69
संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	**43,676**	**46,064**	**2,388**	**5.47**
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**24,437**	**23,963**	**-474**	**-1.94**
राजस्व व्यय, जिसमें	**1,22,585**	**1,19,537**	**-3,048**	**-2.49**
सामान्य सेवाएं	**32,909**	**27,903**	**-5,006**	**-15.21**
समाजिक सेवाएं	**53,951**	**47,942**	**-6,009**	**-11.14**
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	26,694	21,143	-5,551	-20.79
समाज कल्याण एवं पोषण	6,949	6,333	-616	-8.86
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,015	3,095	-920	-22.91
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,694	5,375	-1,319	-19.70
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	8,804	11,182	2,378	27.01
सूचना एवं प्रसारण	203	342	139	68.47
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	369	291	-78	-21.14
अन्य	223	181	-42	-18.83
आर्थिक सेवाएं	**29,765**	**36,885**	**7,120**	**23.92**
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	8,371	10,311	1,940	23.18
ग्रामीण विकास	8,765	8,818	53	0.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	815	688	-127	-15.58
ऊर्जा	6,744	12,476	5,732	84.99
उद्योग एवं खनिज	2,694	2,847	153	5.68
परिवहन	1,714	1,245	-469	-27.36
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	178	224	46	25.84
सामान्य आर्थिक सेवाएं	484	276	-208	-42.98
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**5,960**	**6,807**	**847**	**14.21**
पूंजीगत व्यय, जिसमें	**30,746**	**27,288**	**-3,458**	**-11.25**
सामान्य सेवाएं	**572**	**698**	**126**	**22.03**
समाजिक सेवाएं	**5,016**	**3,285**	**-1,731**	**-34.51**
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,191	737	-454	-38.12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	460	564	104	22.61
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,377	1,112	-1,265	-53.22
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	749	550	-199	-26.57

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमीं (–)	अधिक / कमीं (–) प्रतिशत में
समाज कल्याण एवं पोषण	119	204	85	71.43
अन्य सामाजिक सेवाएं	120	118	-2	-1.67
आर्थिक सेवाएं	**25,158**	**23,305**	**-1,853**	**-7.37**
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	763	693	-70	-9.17
ग्रामीण विकास	2,651	3,169	518	19.54
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,478	8,471	993	13.28
ऊर्जा	8,889	4,667	-4,222	-47.50
उद्योग एवं खनिज	926	1,515	589	63.61
परिवहन	4,341	4,672	331	7.62
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	5	5	0	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	105	113	8	7.62
राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (–)	**(+)3,510**	**(+)7,781**[54]	**(+)4,271**	**121.68**
राजकोषीय घाटा (–)	**(-)24,914**	**(-)20,304**[54]	**(+)4,610**	**18.50**
प्राथमिक अधिशेष (+) / घाटा (–)	**(-)14,680**	**(-)11,225**[54]	**(+)3,455**	**23.54**

(स्रोतः वित्त लेखें तथा बजट पुस्तिकाएं 2016–17)

[54] उदय के प्रभाव को छोड़कर

परिशिष्ट 1.5
श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट (₹ एक करोड़ या अधिक) की उपयोगिता में कमी का विवरण

(संदर्भः कंडिका 1.1.4; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)					
श्रेणी–1					
1	1405–उदिता योजना	4.44	3.42	1.02	22.97
2	5643–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	302.96	279.88	23.08	7.62
3	6392–राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला)	171.64	168.31	3.33	1.94
4	6917–इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	55.77	49.79	5.98	10.72
5	9248–किशोरी शक्ति योजना	3.30	0.00	3.30	100
श्रेणी–2					
6	1291–पोषण स्तर के सुधार हेतु परियोजना एवं बाल विकास सेवाओं का सशक्तीकरण	42.46	31.80	10.66	25.11
7	5094–मंगल दिवस	22.96	19.22	3.74	16.29
8	5211–आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास	10.00	2.25	7.75	77.50
9	5360–आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (तेरहवां वित्त आयोग)	31.92	26.82	5.10	15.98
10	5360–आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (मनरेगा)	2.00	0.00	2.00	100
11	6442–अटल बाल आरोग्य मिशन	51.35	38.10	13.25	25.80
12	0658–एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	1,002.30	937.84	64.46	6.43
13	7700–मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	1.46	0.05	1.41	96.58
14	8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	3.25	1.69	1.56	48
15	9050–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	1,217.86	1,209.16	8.70	0.71
16	9041–संचालनालय महिला एवं बाल कल्याण	8.53	6.98	1.55	18.17
17	9050–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	3.38	1.79	1.59	47.04
आयुक्त, महिला सशक्तिकरण					
श्रेणी–1					
1	1204–बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान	2.88	0.95	1.93	67.01
2	5033–जबली योजना (वेश्या उन्मूलन योजना)	31.91	1.07	30.84	96.65
3	5063–घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र	2.39	1.31	1.08	45.19
4	5067–लाडली लक्ष्मी योजना	898.39	889.88	8.51	0.95
5	6740–बेटी बचाओ अभियान	5.71	3.90	1.81	31.70
6	7698–शौर्य दल	5.20	3.73	1.47	28.27
7	1071–महिला हेल्प लाईन 181	3.00	0.00	3.00	100
8	1327–वन स्टॉप केंद्र	3.82	1.44	2.38	62.30
9	3457–मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	1.68	0.62	1.06	63.10
श्रेणी–2					
10	6647–महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना	21.73	20.03	1.70	7.82
11	6103–एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	44.49	36.18	8.31	18.68
12	7700–मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	4.77	3.14	1.63	34.17
13	1422–ग्राम कन्वसर्जेन्स एवं सुविधा सेवा (व्ही.सी.एफ.एस.)	2.84	0.00	2.84	100

(स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.6
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भः कंडिकाएं 1.2.2; पृष्ठ 9)

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**70,427**	**75,749**	**88,641**	**1,05,511**	**1,23,307**
(i) कर राजस्व	**30,582(43)**	**33,552(44)**	**36,567(41)**	**40,214(38)**	**44,194(36)**
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,856(49)	16,650(50)	18,136(50)	19,806(49)	22,561(51)
राज्य उत्पाद शुल्क	5,078(17)	5,907(18)	6,695(18)	7,923(20)	7,533(17)
वाहन कर	1,531(5)	1,599(5)	1,824(5)	1,933(5)	2,252(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,944(13)	3,400(10)	3,893(11)	3,868(10)	3,925(9)
भू–राजस्व	444(1)	366(1)	243(1)	277(1)	407(1)
माल तथा यात्री कर	2,395(8)	2,579(8)	2,686(7)	3,085(8)	3,805(9)
अन्य कर	2,334(8)	3,051(9)	3,090(8)	3,322(8)	3,711(8)
(ii) करेत्तर राजस्व	**7,000(10)**	**7,705(10)**	**10,375(12)**	**8,569(8)**	**9,086(7)**
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	**20,805(30)**	**22,715(30)**	**24,107(27)**	**38,398(37)**	**46,064(37)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**12,040(17)**	**11,777(16)**	**17,592(20)**	**18,330(17)**	**23,963(20)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**31**	**36**	**28**	**26**	**24**
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**9**	**2**	**1**	**2**	**0**
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**33**	**93**	**6,765**	**162**	**772**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	**70,500**	**75,880**	**95,435**	**1,05,701**	**1,24,103**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**8,791**	**9,541**	**15,069**	**19,985**	**29,847**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	7,234	8,328	13,696	18,659	28,581
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,557	1,212	1,372	1,326	1,266
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**79,291**	**85,421**	**1,10,504**	**1,25,686**	**1,53,950**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**--**	**--**	**300**	**--**	**--**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**86,248**	**94,811**	**1,10,295**	**1,32,772**	**1,61,079**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**1,65,539**	**1,80,232**	**2,21,099**	**2,58,458**	**3,15,029**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**62,968(79)**	**69,870(81)**	**82,373(77)**	**99,771(83)**	**1,19,537(79)**
आयोजना	18,349(29)	19,427(28)	26,515(32)	31,452(32)	46,270(39)
आयोजनेत्तर	44,619(71)	50,443(72)	55,858(68)	68,319(68)	73,267(61)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	17,705(28)	20,591(29)	22,365(27)	25,700(26)	27,903(23)
सामाजिक सेवाएं	24,375(39)	27,768(40)	32,067(39)	42,651(43)	47,942(40)
आर्थिक सेवाएं	16,823(27)	16,972(24)	23,715(29)	25,529(25)	36,885(31)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4,065(6)	4,539(7)	4,226(5)	5,891(6)	6,807(6)
11. पूंजीगत व्यय	**11,567(14)**	**10,813(13)**	**11,878(11)**	**16,835(14)**	**27,288(18)**
आयोजना	11,543(100)	10,770(100)	11,821(100)	16,678(99)	27,159(100)
आयोजनेत्तर	24(0)	43(0)	57(0)	157(1)	129(0)
सामान्य सेवाएं	205(2)	197(2)	258(2)	549(3)	698(3)
सामाजिक सेवाएं	1,621(14)	1,899(17)	2,070(18)	3,024(18)	3,285(12)
आर्थिक सेवाएं	9,741(84)	8,717(81)	9,550(80)	13,262(79)	23,305(85)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	**5,378(7)**	**5,077(6)**	**12,535(12)**	**3,158(3)**	**4,941(3)**
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**7**	**2**	**1**	**2**	**1**
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	**79,920**	**85,762**	**1,06,787**	**1,19,766**	**1,51,767**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**3,584**	**4,005**	**4,921**	**4,860**	**4,925**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,936	3,243	4,084	3,948	3,908
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	648	762	837	912	1,017
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**--**	**--**	**300**	**--**	**--**
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	**83,504**	**89,767**	**1,12,008**	**1,24,626**	**1,56,692**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	**--**	**--**	**1**	**--**	**--**
19. लोक लेखा संवितरण	**82,736**	**93,064**	**1,08,165**	**1,28,337**	**1,58,242**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	**1,66,240**	**1,82,831**	**2,20,174**	**2,52,963**	**3,14,934**
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(–)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	7,459	5,879	6,268	5,740	7,781[55]
22. राजकोषीय घाटा(–)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-9,420	-9,882	-11,352	-14,065	-20,304[56]
23. प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+) (22+24)	-3,846	-3,491	-4,281	-5,974	-11,225[57]
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5,574	6,391	7,071	8,091	9,079
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	13,487	14,953	18,668	22,656	32,379
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद[58]	3,80,924	4,37,737	4,81,982	5,43,975	6,40,484
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	90,168	96,826	1,08,688	1,27,144	1,55,800
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	7,720	9,978	20,124	27,530	33,397
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	14,752	21,472	31,885	40,171	40,395
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	55	201	68	91	242[59]
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	2,413	34,465	14,344	15,477	8,607[59]
भाग ङ राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.03	7.66	7.59	7.39	6.90
स्वयं के करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.84	1.76	2.15	1.58	1.42
केन्द्रीय अंतरण[60]/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.62	7.88	8.65	10.43	10.93

[55] उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹ 3,770 करोड़ होगा

[56] उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹ 27,664 करोड़ होगा

[57] उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹ 18,585 करोड़ होगा

[58] वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

[59] वित्त लेखे 2016–17

[60] केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.93	0.78	1.89	1.91	1.70
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.98	19.59	22.16	22.02	23.70
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	113.48	113.22	120.47	113.51	123.08
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	78.79	81.47	77.14	83.30	78.76
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	22.47	24.24	21.18	21.93	18.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	32.69	34.67	31.98	38.16	33.80
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	39.75	35.79	42.88	34.99	42.86
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	14.47	12.61	11.12	14.06	17.98
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	14.22	12.37	10.88	13.60	17.52
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.96	1.34	1.30	1.06	1.21[61]
राजकोषीय घाटा(–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.47	-2.26	-2.36	-2.59	-3.17[61]
प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.01	-0.80	-0.89	-1.10	-1.75[61]
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.07	14.50	15.62	16.85	17.25
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.67	22.12	22.55	23.37	24.33*
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	128.03	127.82	122.62	120.50	126.35
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)	231.50 (1.02)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	14,101	17,069	19,616	22,851	31,550
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.67	0.63	0.62	0.63	0.68

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों को तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।
*** उदय के प्रभाव को शामिल कर**

परिशिष्ट 1.6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए है। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
2. मार्च 2017 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 52.99 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 417.92 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 364.93 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
3. लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।

[61] उदय के प्रभाव को छोड़कर

परिशिष्ट 1.7
(क) स्वयं के कर राजस्व 2012–17
(संदर्भः कंडिकाएं 1.2.2.1; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,856	16,650	18,136	19,806	22,000	22,561
राज्य उत्पाद शुल्क	5,078	5,907	6,695	7,923	9,000	7,533
वाहन कर	1,531	1,599	1,824	1,933	2,500	2,252
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,944	3,400	3,893	3,868	4,500	3,925
भू–राजस्व	444	366	243	277	500	407
माल तथा यात्री पर कर	2,395	2,579	2,686	3,085	4,200	3,805
अन्य कर	2,334	3,051	3,090	3,322	3,800	3,711
योग (क)	**30,582**	**33,552**	**36,567**	**40,214**	**46,500**	**44,194**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2016–17)

(ख) करेत्तर राजस्व 2012–17
(संदर्भः कंडिकाएं 1.2.2.1; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	320	697	1,341	559	382	813
सामान्य सेवाएं	444	598	594	1,279	753	664
सामाजिक सेवाएं	1,855	2,197	3,696	1,784	4,508	2,338
आर्थिक सेवाएं	4,381	4,213	4,744	4,947	5,839	5,271
योग (ख)	**7,000**	**7,705**	**10,375**	**8,569**	**11,482**	**9,086**
महायोग (क+ख)	**37,582**	**41,257**	**46,942**	**48,783**	**57,982**	**53,280**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2016–17)

परिशिष्ट 1.8
31 मार्च 2017 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति

(संदर्भः कंडिका 1.4.6; पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजना/ पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1,082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	1	125.00	1	249.92	0	0.00	0	0.00
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1,185.13	5	1,185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	लोक निर्माण कार्य	127	14,553.14	2	362.77	7	32.47	30	5,429.74	88	8,728.16
12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	1	63.71	1	63.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
14	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
15	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
16	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00	0	0.00
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास	31	2,828.31	21	2,385.76	1	13.94	4	145.83	5	282.78
	योग	**198**	**23,707.40**	**41**	**5,591.08**	**15**	**556.35**	**42**	**8,096.33**	**100**	**9,463.64**

(स्रोतः संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 1.9
31 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भः कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 25)

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2017 की स्थिति में
83,718.44	**आन्तरिक ऋण–**	**1,08,391.34**
56,140.26	ब्याज सहित बाजार कर्ज	70,691.23
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
62.70	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	52.75
7,333.75	अन्य संस्थाओं से कर्ज	16,199.64
20,181.34	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	21,447.31
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
13,668.01	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम–**	**13,917.10**
1.88	1984–85 से पूर्व के कर्ज	1.88
39.16	आयोजनेत्तर कर्ज	35.51
13,626.97	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	13,879.71
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	**आकस्मिकता निधि**	**500.00**
13,682.37	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	**14,493.19**
8,345.83	**जमा**	**11,781.18**
8,132.00	**आरक्षित निधियां**	**7,633.73**
2,047.61	**उचन्त तथा विविध शेष**	**1,215.59**
956.14	**प्रेषण शेष**	**884.26**
1,31,050.40	**योग**	**1,58,816.39**
	परिसम्पत्तियां	
1,27,147.75	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय–**	**1,54,388.76**
16,599.57	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	22,671.87
1,10,548.18	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,31,716.89
40,837.49	**कर्ज तथा अग्रिम**	**44,995.50**
34,009.75	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	36,964.31
6,799.07	अन्य विकास कर्ज	8,005.30
28.67	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	25.89
4.80	**अग्रिम**	**3.93**
--	**प्रेषण शेष**	**--**
10,898.72	**रोकड़–**	**10,993.66**
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
1,009.49	रिजर्व बैंक में जमा	-52.99
1.78	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	2.01
9,485.24	रोकड़ शेष निवेश	10,628.22

31.03.2016 की स्थिति में	परिसम्पत्तियां	31.03.2017 की स्थिति में
402.21	आरक्षित निधि निवेश	416.42
-47,838.36	**सरकारी लेखाओं में घाटा–**	**-51,565.46**
-5,739.90	(i) चालू वर्ष के राजस्व अधिशेष को घटा कर	-3,769.42
0.01	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.65
6.99	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	10.21
4.89	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	31.46
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-42,110.35	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-47,838.36
1,31,050.40	**योग**	**1,58,816.39**

परिशिष्ट 1.10
आरक्षित निधियों का विवरण
(संदर्भः कंडिका 1.5.2; पृष्ठ 25)

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
2014-15				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**10,246.44**	**1,02,817.00**	**1,02,817.00**	**10,246.44**
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10,246.44	1,02,817.00	1,02,817.00	10,246.44
योग	**10,246.44**	**1,02,817.00**	**1,02,817.00**	**10,246.44**
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	**541.68**	**43.39**	**0.00**	**585.07**
101-सूखा राहत निधि	578.19	13.91	0.00	592.10
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	(-)36.51	29.48	-	(-)7.03
8226-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**440.37**	**23.21**	**-**	**463.58**
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	440.37	23.21	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	**2,276.03**	**13.07**	**-**	**2,289.10**
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,150.24	13.07	-	3,163.31
102-राजस्व आरक्षित निधियां–निवेश लेखे	(-)874.21	-	-	(-)874.21
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	**5,71,885.22**	**14,079.22**	**-**	**5,85,964.44**
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि–निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि–निधि लेखा–निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	85,974.65	6,820.00	-	92,794.65
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,57,688.93	-	-	2,57,688.93
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,28,191.73	7,259.22	-	2,35,450.95
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**2.21**	**249.94**	**249.94**	**2.21**
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,207.84	249.94	-	39,457.78
120- प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश लेखा	(-)39,207.84	-	249.94	(-)39,457.78
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां–निवेश लेखा	(-)0.79	-	-	(-)0.79
योग	**5,75,145.51**	**14,408.83**	**249.94**	**5,89,304.40**
महायोग	**5,85,391.95**	**1,17,225.83**	**1,03,066.94**	**5,99,550.84**
2015-16				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**10,246.44**	**1,54,500.00**	**87,700.00**	**77,046.44**
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
योग	**10,246.44**	**1,54,500.00**	**87,700.00**	**77,046.44**
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	**585.07**	**13.08**	**-**	**598.15**
101-सूखा राहत निधि	592.10	0.71	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	(-)7.03	12.37	-	(-)5.34
8226-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**463.58**	**-**	**-**	**463.58**
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	**2,289.10**	**120.17**	**-**	**2,409.27**
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,163.31	6.53	-	3,169.84

विवरण	आरंभिक शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
102-राजस्व आरक्षित निधियां–निवेश लेखे	(-)874.21	113.64	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	**5,85,964.44**	**1,17,400.14**	**10,905.00**	**6,92,459.58**
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि–निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि–निधि लेखा–निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	92,794.65	49,019.75	10,815.00	1,30,999.40
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,57,688.93	63,500.52	90.00	3,21,099.45
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,35,450.95	4,879.87	-	2,40,330.82
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**2.21**	**-**	**-**	**2.21**
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	-	-	39,457.78
120- प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश लेखा	(-)39,457.78	-	-	(-)39,457.78
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां–निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग	**5,89,304.40**	**1,17,533.39**	**10,905.00**	**6,95,932.79**
महायोग	**5,99,550.84**	**2,72,033.39**	**98,605.00**	**7,72,979.23**
2016-17				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**77,046.44**	**2,79,680.00**	**2,79,680.00**	**77,046.44**
122- राज्य आपदा मोचन निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
योग	**77,046.44**	**2,79,680.00**	**2,79,680.00**	**77,046.44**
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	**598.15**	**-**	**-**	**598.15**
101-सूखा राहत निधि	592.81	-	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	-5.34	-	-	-5.34
8226-मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधि	**463.58**	**-**	**-**	**463.58**
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	**2,409.27**	**-**	**-**	**2,409.27**
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,169.84	-	-	3,169.84
102-राजस्व आरक्षित निधियां–निवेश लेखे	(-)760.57	-	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	**6,92,459.58**	**89,033.15**	**1,40,281.40**	**6,41,211.33**
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि–निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि–निधि लेखा–निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	1,30,999.40	31,313.35	6,584.10	1,55,728.65
114- खान (mines) कल्याण निधि	3,21,099.45	57,719.80	1,30,347.07	2,48,472.18
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,40,330.82	-	3,350.23	2,36,980.59
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**2.21**	**1,420.72**	**1,420.72**	**2.21**
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	1,420.72	-	40,878.50
120- प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश लेखा	(-)39,457.78	-	1,420.72	(-)40,878.50
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां–निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग	**6,95,932.79**	**90,453.87**	**1,41,702.12**	**6,44,684.54**
महायोग	**7,72,979.23**	**3,70,133.87**	**4,21,382.12**	**7,21,730.98**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 2.1

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(संदर्भ: कंडिका 2.2.1; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
2003-04	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूंजीगत (दत्तमत): 35, 94 राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 59, 67, 92, 94 पूंजीगत (दत्तमत): 6, 19, 30, 59, 66, 78, 84, 86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66
2005-06	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूंजीगत (दत्तमत): 6, 39 पूंजीगत(प्रभारित): 21, 45	37.58
2008-09	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 62 पूंजीगत (दत्तमत): 43 राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	5.80
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 24	12.62
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74 राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित: 23	135.10
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02 पूंजीगत (दत्तमत): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 21	34.32
2014-15	03 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02, 06 पूंजीगत(दत्तमत): 42 राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 41	446.28
योग	**32 अनुदान एवं 19 विनियोग**		**758.14**

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक

(संदर्भः कंडिका 2.2.2; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)	*9,105.63*	*4,180.22*	*45.91*
2	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	83.28	38.59	46.34
3	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	11,305.93	2,352.81	20.81
4	06	वित्त (पूंजीगत दत्तमत)	179.81	169.64	94.34
5	07	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2,612.12	902.84	34.56
6	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1,272.45	303.20	23.83
7	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	57.65	16.42	28.47
8	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	17.22	17.22	100
9	12	ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत)	10,203.14	2,847.17	27.90
10	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	4,161.22	1,113.97	26.77
11	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	3,235.86	762.58	23.57
12	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	113.49	110.87	97.69
13	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	83.83	25.11	29.95
14	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	1,531.13	530.31	34.64
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत)	4,328.66	891.17	20.59
16	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूंजीगत दत्तमत)	854.74	436.41	51.06
17	21	लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	131.63	86.46	65.68
18	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (राजस्व दत्तमत)	3,648.49	1,446.11	39.64
19	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूंजीगत दत्तमत)	659.78	470.32	71.28
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूंजीगत प्रभारित)	*10.00*	*10.00*	*100*
21	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1,678.92	473.08	28.18
22	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (पूंजीगत प्रभारित)	*50.00*	*20.44*	*40.88*
23	26	संस्कृति (पूंजीगत दत्तमत)	35.30	14.64	41.47
24	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूंजीगत दत्तमत)	334.13	110.37	33.03
25	28	राज्य विधान मंडल (राजस्व दत्तमत)	87.16	18.09	20.75
26	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	922.21	218.45	23.69
27	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	*124.24*	*36.04*	*29.01*

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
28	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	284.48	190.17	66.85
29	33	आदिम जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1,757.42	400.79	22.81
30	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	270.15	80.97	29.97
31	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	81.65	18.30	22.41
32	38	आयुष (पूंजीगत दत्तमत)	42.18	25.99	61.62
33	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	2,068.88	439.16	21.23
34	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूंजीगत दत्तमत)	158.50	110.15	69.50
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	6,738.59	2,224.11	33.01
36	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	5,961.48	2,630.96	44.13
37	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल (पूंजीगत दत्तमत)	1,119.97	449.30	40.12
38	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	2,210.76	569.20	25.75
39	44	उच्च शिक्षा (पूंजीगत दत्तमत)	158.93	51.23	32.23
40	49	अनुसूचित जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	100.13	22.59	22.56
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	684.06	185.43	27.11
42	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	64.85	63.37	97.72
43	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1,047.41	379.51	36.23
44	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	201.47	201.47	100
45	56	ग्रामोद्योग (राजस्व दत्तमत)	274.10	91.28	33.30
46	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें (पूंजीगत दत्तमत)	35.54	13.41	37.74
47	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	425.97	91.75	21.54
48	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	4,714.92	1,028.15	21.81
49	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	4,701.86	2,009.64	42.74
50	67	लोक निर्माण कार्य–भवन (राजस्व दत्तमत)	662.73	164.28	24.79
51	67	लोक निर्माण कार्य–भवन (पूंजीगत दत्तमत)	286.93	96.78	33.73
52	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	115.86	62.86	54.26
53	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (राजस्व दत्तमत)	105.73	22.19	20.99

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
54	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	20.49	13.53	66.03
55	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	174.01	171.87	98.77
56	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत)	10.00	10.00	100
योग			**91,307.07**	**29,420.97**	**32.22**

(स्रोतः 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक

(संदर्भः कंडिका 2.2.2; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
राजस्व–दत्तमत							
1	06–वित्त	11,304.43	1.50	11,305.93	8,953.12	2,352.81	20.81
2	07–वाणिज्यिक कर	2,607.20	4.92	2,612.12	1,709.28	902.84	34.56
3	08–भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,255.74	16.71	1,272.45	969.25	303.20	23.83
4	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,877.88	2,283.34	4,161.22	3,047.25	1,113.97	26.77
5	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,945.77	1,290.09	3,235.86	2,473.28	762.58	23.57
6	17–सहकारिता	670.88	860.25	1,531.13	1,000.82	530.31	34.64
7	19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,328.66	सांकेतिक	4,328.66	3,437.49	891.17	20.59
8	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2,734.95	913.54	3,648.49	2,202.39	1,446.10	39.64
9	24–लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,678.92	सांकेतिक	1,678.92	1,205.84	473.08	28.18
10	29–विधि और विधायी कार्य	848.70	73.51	922.21	703.76	218.45	23.69
11	31–योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	284.02	0.46	284.48	94.31	190.17	66.85
12	33–आदिम जाति कल्याण	1,757.42	0.00	1,757.42	1,356.62	400.80	22.81
13	40–स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2,068.88	नगण्य	2,068.88	1,629.72	439.16	21.23
14	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,751.77	986.82	6,738.59	4,514.48	2,224.11	33.01
15	44–उच्च शिक्षा	2,210.63	0.13	2,210.76	1,641.56	569.20	25.75
16	50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	502.52	181.54	684.06	498.64	185.42	27.11
17	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	928.54	118.87	1,047.41	667.89	379.52	36.23
18	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	4,201.75	513.17	4,714.92	3,686.77	1,028.15	21.81
19	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	651.73	11.00	662.73	498.45	164.28	24.79
20	76–नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	174.01	0.00	174.01	2.13	171.88	98.78
पूंजीगत–दत्तमत							
21	06–वित्त	179.81	0.00	179.81	10.17	169.64	94.34
22	12–ऊर्जा	9,640.43	562.71	10,203.14	7,355.97	2,847.17	27.90
23	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	113.49	0.00	113.49	2.61	110.88	97.70
24	20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	854.74	नगण्य	854.74	418.33	436.41	51.06

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
25	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	659.78	0.00	659.78	189.47	470.31	71.28
26	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	334.13	0.00	334.13	223.77	110.36	33.03
27	40–स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	123.50	35.00	158.50	48.35	110.15	69.50
28	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,277.56	683.92	5,961.48	3,330.52	2,630.96	44.13
29	42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	1,119.97	सांकेतिक	1,119.97	670.67	449.30	40.12
30	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	201.47	0.00	201.47	0.00	201.47	100
31	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	4,390.52	311.34	4,701.86	2,692.22	2,009.64	42.74
पूंजीगत–प्रभारित							
32	पी.डी.–लोक ऋण	*9,105.63*	*0.00*	*9,105.63*	*4,925.41*	*4,180.22*	*45.91*
	योग	**79,785.43**	**8,848.82**	**88,634.25**	**60,160.54**	**28,473.71**	**32.12**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.4
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान
(संदर्भः कंडिका 2.2.3; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राजस्व–दत्तमत						
1	09–राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	11.08 (21.22)	18.22 (29.99)	21.08 (31.41)	25.13 (41.32)	16.42 (28.47)
2	16–मछली पालन	12.25 (21.43)	17.77 (26.78)	26.88 (36.15)	19.11 (27.19)	25.11 (29.95)
3	31–योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)	81.14 (54.35)	190.17 (66.85)
4	36–परिवहन	13.91 (21.95)	18.85 (22.51)	71.61 (55.93)	57.01 (46.81)	18.30 (22.42)
5	50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	58.75 (24.54)	157.11 (44.31)	140.02 (33.23)	117.38 (20.54)	185.43 (27.11)
राजस्व–प्रभारित						
6	06–वित्त	*12.93* (52.18)	*13.24* (89.64)	*12.40* (83.90)	*15.53* (89.87)	*7.06* (40.86)
पूंजीगत–दत्तमत						
7	06–वित्त	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)	169.64 (94.34)
8	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	13.06 (49.73)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)
9	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)	3.00 (100.00)
10	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	402.54 (23.48)	522.74 (24.23)	785.04 (33.93)	837.73 (27.57)	2,009.64 (42.74)
11	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)
पूंजीगत–प्रभारित						
12	पी.डी.–लोक ऋण	*3,903.17* (52.13)	*4,018.05* (50.08)	*4,256.48* (46.38)	*3,912.80* (44.60)	*4,180.22* (45.91)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5

योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(संदर्भः कंडिका 2.2.4; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5059-7.65 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2016	15.30	0.00	15.30	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6957-7.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	32.48	0.00	32.48	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6958-7.39 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	21.63	0.00	21.63	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6960-7.61 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2016	22.83	0.00	22.83	100
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	46.80	0.00	46.80	100
6	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-9124-8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	124.06	0.00	124.06	100
7	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089- भा.रि.बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और केश बैंलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज	50.00	0.00	50.00	100
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-106-6961-पॉवर बाण्ड–1 (मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति द्वारा अनुशंषित ऋण)	133.19	0.00	133.19	100
9	पी.डी.	लोक ऋण	6003-109-6962-हुडको से प्राप्त ऋण	398.08	0.00	398.08	100
10	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0637–उपाय तथा साधन अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
11	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0779–कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
12	06	वित्त	2070–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–0224–अन्य व्यय	641.75	0.00	641.75	100
13	06	वित्त	2071–01–200–5653–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	15.45	0.00	15.45	100
14	06	वित्त	2701–01–101–9999–एकीकृत मध्य प्रदेश	14.04	0.00	14.04	100
15	06	वित्त	6075–800–6787–गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	0.00	50.00	100
16	06	वित्त	6075–800–6788–राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	0.00	25.00	100
17	07	वाणिज्यिक कर	2030–02–797–6001–म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	180.00	0.00	180.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
18	07	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-6002-म.प्र. उपकर अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का म.प्र. पंचायत भू–राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण	450.00	0.00	450.00	100
19	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3427-मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	17.22	0.00	17.22	100
20	10	वन	2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण	50.00	0.00	50.00	100
21	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2036-स्मार्ट मीटरिंग	60.00	0.00	60.00	100
22	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2037-वितरण कंपनियों के ट्रान्सफार्मर की फेल्योर दर घटाने हेतु उन्नयन योजना	73.00	0.00	73.00	100
23	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंश पूंजी में परिवर्तन	5,000.00	0.00	5,000.00	100
24	14	पशुपालन	2403-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6998-पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	33.55	0.00	33.55	100
25	14	पशुपालन	2403-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2088-चारा उत्पादन कार्यक्रम	10.00	0.00	10.00	100
26	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)- 7628- सभी परियोजनाओं में सेवा का क्रियान्वयन	38.78	0.00	38.78	100
27	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9039-ई–डिस्टिक्ट का क्रियान्वयन	37.00	0.00	37.00	100
28	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	10.00	0.00	10.00	100
29	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 2043-मेट्रो रेल	152.00	0.00	152.00	100
30	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7711-एम. पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	20.00	0.00	20.00	100
31	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	24.80	0.00	24.80	100
32	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 2043-मेट्रो रेल	200.00	0.00	200.00	100
33	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7711-एम. पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	40.00	0.00	40.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
34	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	10.00	0.00	10.00	100
35	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2066-सोलर लाइट	10.00	0.00	10.00	100
36	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2067-ड्रिकिंग वाटर	15.00	0.00	15.00	100
37	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2072-100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
38	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7592-शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	10.00	0.00	10.00	100
39	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454–02–800–0801–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–1286–सांख्यिकी अनुदान	41.29	0.00	41.29	100
40	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7383-आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	66.00	0.00	66.00	100
41	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1285-आधारभूत सर्वेक्षण (वेस लाइन सर्वे)-	40.00	0.00	40.00	100
42	37	पर्यटन	5452-01-101-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7404-अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर भोपाल की निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
43	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	17.00	0.00	17.00	100
44	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20–स्कूल शिक्षा विभाग 2202–01–796–101–0102– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–5776–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	13.50	0.00	13.50	100
45	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25–आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7748-अम्ब्रेला स्कीम	59.16	0.00	59.16	100
46	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	52–ग्रामोद्योग विभाग 2851-796-107-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	20.50	0.00	20.50	100
47	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	59–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग 2401-796-119-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	12.07	0.00	12.07	100
48	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2051- विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंश पूंजी में परिवर्तन	1,500.00	0.00	1,500.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
49	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801–796–190–1202– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं–(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–1284–पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.वी.–3)	60.00	0.00	60.00	100
50	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215-01-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उप योजना)-1323-जायका से प्राप्त ऋण से जल योजनाओं का निर्माण	48.00	0.00	48.00	100
51	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	38–उच्च शिक्षा विभाग 4202–01–796–203–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–7464– मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	20.00	0.00	20.00	100
52	44	उच्च शिक्षा	2202–03–103–1201–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–7464– मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	139.00	0.00	139.00	100
53	44	उच्च शिक्षा	4202–01–203–1201–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–7464–मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	54.00	0.00	54.00	100
54	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7469-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	10.08	0.00	10.08	100
55	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1406-काली सिंध परियोजना	10.00	0.00	10.00	100
56	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22–पंचायत विभाग 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	11.80	0.00	11.80	100
57	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18–नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	70.00	0.00	70.00	100
58	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2043-मेट्रो रेल	10.00	0.00	10.00	100
59	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4217–60–789–800–1203– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7336–एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	27.44	0.00	27.44	100
60	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2043-मेट्रो रेल	90.00	0.00	90.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
61	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217–60–789–800–1203– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7336–एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	64.03	0.00	64.03	100
62	55	महिला एवं बाल विकास	2236-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1292-मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	167.77	0.00	167.77	100
63	56	ग्रामोद्योग	2851-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	40.33	0.00	40.33	100
64	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	09–खेल एवं युवक कल्याण विभाग 2204-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना-2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्टस एण्ड फिटनेस सेन्टर	12.60	0.00	12.60	100
65	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	20–स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5776-सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	11.50	0.00	11.50	100
66	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	29–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 2408-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7749- अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राही को पाँच लीटर की कुप्पी उपलब्ध कराने की योजना	10.70	0.00	10.70	100
67	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	38–उच्च शिक्षा विभाग 2202–03–789–103–1203–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7464– मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	0.00	10.00	100
68	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55–अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225–01–789–277–0803– केन्द्र क्षेत्रीय योजना (एस.सी.एस.पी.)–7765– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	30.00	0.00	30.00	100
69	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-2035-अस्थायी पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तन करने की योजना	24.00	0.00	24.00	100
70	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूंजी में परिवर्तन	1,068.00	0.00	1,068.00	100
71	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.–3)	70.00	0.00	70.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
72	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13–ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	40.00	0.00	40.00	100
73	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	38–उच्च शिक्षा विभाग 4202–01–789–203–1203–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7464–मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	0.00	30.00	100
74	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-01-053-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 4220-शिक्षा–चिकित्सा महाविद्यालय	11.00	0.00	11.00	100
75	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210-03-105-0101-राज्य अयोजना (सामान्य)- 6591-जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	30.00	0.00	30.00	100
76	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	12.70	0.00	12.70	100
77	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	10.00	0.00	10.00	100
78	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5484-समन्वित आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण	20.00	0.00	20.00	100
79	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2505-01-197-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	640.00	0.00	640.00	100
80	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	30.80	0.00	30.80	100
81	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	50.00	0.00	50.00	100
82	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810–02–102–0410–ऊर्जा विकास निधि–3220–मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	146.40	0.00	146.40	100
83	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3220–मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	10.01	0.00	10.01	100
योग				**16,911.64**	**0.00**	**16,911.64**	**100**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भः कंडिका 2.2.5; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क–राजस्व (दत्तमत)					
1	01–सामान्य प्रशासन	375.96	323.35	52.61	22.52
2	03–पुलिस	5,136.63	4,684.18	452.45	99.71
3	06–वित्त	11,304.43	8,953.12	2,351.31	1.50
4	07–वाणिज्यिक कर	2,607.20	1,709.28	897.92	4.92
5	08–भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,255.75	969.25	286.50	16.71
6	10–वन	1,724.72	1,494.45	230.27	32.13
7	14–पशुपालन	764.18	618.34	145.84	6.00
8	16–मछली पालन	68.93	58.73	10.20	14.90
9	21–लोक सेवा प्रबंधन	126.63	45.16	81.47	5.00
10	27–स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	7,415.76	5,993.91	1,421.85	13.45
11	28–राज्य विधान मंडल	80.91	69.08	11.83	6.25
12	29–विधि और विधायी कार्य	848.71	703.76	144.95	73.51
13	36–परिवहन	79.65	63.34	16.31	2.00
14	37–पर्यटन	141.56	134.40	7.16	7.00
15	38–आयुष	359.95	311.06	48.89	10.45
16	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,751.77	4,514.48	1,237.29	986.82
17	47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	571.19	470.77	100.42	10.52
18	50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	502.52	498.64	3.88	181.54
19	51–धार्मिक न्यास और धर्मस्व	154.67	141.29	13.38	1.26
20	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	928.54	667.89	260.65	118.87
21	55–महिला एवं बाल विकास	2,588.70	2,500.80	87.90	30.12
22	56–ग्रामोद्योग	271.04	182.82	88.22	3.06
23	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	4,201.75	3,686.77	514.98	513.17
24	65–विमानन	22.28	21.85	0.43	4.00
25	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	651.73	498.45	153.28	11.00
26	69–विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	16.98	9.21	7.77	2.00
27	73–चिकित्सा शिक्षा	641.73	625.95	15.78	41.31
	योग (क)	**48,593.87**	**39,950.33**	**8,643.54**	**2,219.72**
ख–पूंजीगत (दत्तमत)					
28	12–ऊर्जा	9,640.43	7,355.97	2,284.46	562.71
29	36–परिवहन	52.76	52.44	0.32	9.00

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
30	40–स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	123.50	48.35	75.15	35.00
31	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,277.56	3,330.52	1,947.04	683.92
32	44–उच्च शिक्षा	120.29	107.70	12.59	38.64
33	57–जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.04	22.13	0.91	12.50
34	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	4,390.52	2,692.22	1,698.30	311.33
योग (ख)		**19,628.10**	**13,609.33**	**6,018.77**	**1,653.10**
ग–राजस्व (प्रभारित)					
35	29–विधि और विधायी कार्य	*116.39*	*88.20*	*28.19*	*7.85*
योग (ग)		***116.39***	***88.20***	***28.19***	***7.85***
योग (क+ख+ग)		**68,338.36**	**53,647.86**	**14,690.50**	**3,880.67**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)

(संदर्भः कंडिका 2.2.5; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
क–राजस्व (दत्तमत)					
1	04–गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	41.36	41.92	44.69	38.59
2	11–वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	1,357.26	397.32	1,710.56	44.03
3	12–ऊर्जा	6,551.05	6,401.82	12,438.45	514.41
4	13–किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,877.88	2,283.34	3,047.25	1,113.97
5	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,945.77	1,290.09	2,473.28	762.58
6	17–सहकारिता	670.88	860.25	1,000.82	530.31
7	20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	489.03	70.00	492.12	66.92
8	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2,734.95	913.54	2,202.39	1,446.11
9	26–संस्कृति	139.43	41.11	157.56	22.98
10	30–ग्रामीण विकास	583.10	125.00	646.71	61.39
11	32–जनसंपर्क	241.82	158.00	382.49	17.33
12	34–सामाजिक न्याय	243.00	27.15	189.18	80.97
13	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1,136.53	453.23	1,551.16	38.59
14	46–विज्ञान और टेक्नालॉजी	169.32	62.22	217.38	14.16
15	52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,869.86	1,418.73	4,368.96	919.63
16	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2,399.25	1,875.85	3,893.77	381.33
17	71–सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	229.55	360.00	522.79	66.75
18	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	17,300.43	3,277.43	17,420.70	3,157.16
19	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6,571.12	733.98	7,015.95	289.15
	योग (क)	**48,551.59**	**20,790.98**	**59,776.21**	**9,566.36**
ख–पूंजीगत (दत्तमत)					
20	03–पुलिस	197.03	171.90	353.39	15.54
21	21–लोक सेवा प्रबन्धन	6.00	4.00	8.01	1.99
22	23–जल संसाधन	4,147.37	915.20	5,027.04	35.53
23	30–ग्रामीण विकास	1,250.10	952.90	2,088.83	114.17
24	37–पर्यटन	105.00	10.00	112.14	2.86
25	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	109.82	261.27	357.69	13.40
26	45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य	687.07	100.00	735.73	51.34
27	47–तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	90.03	10.83	96.65	4.21
28	48–नर्मदा घाटी विकास	1,549.55	359.12	1,581.42	327.25
29	55–महिला एवं बाल विकास	118.24	96.90	203.81	11.33
30	60–जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	226.04	199.94	334.22	91.76
31	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	72.00	68.40	119.62	20.78

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
32	73–चिकित्सा शिक्षा	58.11	132.74	168.18	22.67
	योग (ख)	**8,616.36**	**3,283.20**	**11,186.73**	**712.83**
ग–राजस्व (प्रभारित)					
33	01–सामान्य प्रशासन	*44.31*	*19.49*	*46.70*	*17.10*
34	75–नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	*253.06*	*137.19*	*385.18*	*5.07*
	योग (ग)	***297.37***	***156.68***	***431.88***	***22.17***
	योग (क+ख+ग)	**57,465.32**	**24,230.86**	**71,394.82**	**10,301.36**

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय–मूल प्रावधान =71,394.82– 57,465.32 = 13,929.50
(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)

(संदर्भः कंडिका 2.2.6; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
1	03	पुलिस	2055-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	(+)49.22	0.00	(-)20.68
2	03	पुलिस	2055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(+)65.66	0.00	(-)14.80
3	05	जेल	2056-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) -5044-जेलों का आधुनिकीकरण	(+)14.62	0.00	(-)1.84
4	07	वणिज्यिक कर	2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना	(+)1.21	0.00	(-)37.82
5	07	वणिज्यिक कर	2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद	(+)40.00	0.00	(-)12.44
6	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-094-0619-उप संभागीय स्थापना	(+)10.00	0.00	(-)50.72
7	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5704-हाई स्कूलों का सुदृढ़ीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन	(+)4.49	0.00	(-)3.68
8	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2204-800-1084-खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	(+)5.00	0.00	(-)1.07
9	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1408-विस्टान उद्हन सिंचाई परियोजना	(+)18.00	0.00	(-)13.32
10	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू–अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(+)36.79	0.00	(-)9.15
11	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) -6831-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार–जल संसाधन विभाग	(+)4.05	0.00	(-)1.90
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-6422-सूखा फसल क्षति सहायता	(+)495.82	0.00	(-)2.37
13	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–02–101–0747–ओला पीड़ितों को राहत	(+)49.10	0.00	(-)19.79
14	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55–अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषक एवं सम्मान	(+)11.19	0.00	(-)2.76
15	03	पुलिस	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	(-)134.37	(+)7.04	0.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
16	03	पुलिस	2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(-)270.09	(+)9.71	0.00
17	23	जल संसाधन	2700–32–101–2894–बांध तथा नहरें	(-)11.97	(+)7.12	0.00
18	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6270-जन अभियान परिषद का गठन	(-)14.77	(+)5.00	0.00
19	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल–वरिष्ठ संभाग	(-) 9.52	(+)4.06	0.00
20	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20–स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	(-)14.50	(+)3.00	0.00
21	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25–आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	(-)177.61	(+)26.03	0.00
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25–आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-5211-आई.टी. डी.पी./माडा पॉकेट/ क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम-	(-)80.52	(+)1.47	0.00
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	42-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग 4250-796-201-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6952-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	(-)32.04	(+)6.90	0.00
24	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 2065-चौदहवां वित्त आयोग, क्षमता वृद्धि	(-)22.20	(+)2.34	0.00
25	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6378-जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	(-)32.22	(+)3.66	0.00
26	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8284-म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	(-)78.53	(+)83.68	0.00
27	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	4210-03-105-0101-राज्य अयोजना (सामान्य)- 7296-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(-)18.75	(+)2.66	0.00
28	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-)29.75	(+)3.06	0.00
			योग		**(+)165.73**	**(-)192.34**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
2016–17 के दौरान सारभूत समर्पण
(संदर्भः कंडिका 2.2.7; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
1	01	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	42.58	27.67	64.98
2	03	पुलिस	4055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7352-प्रशासकीय भवनों का निर्माण	9.50	9.50	100
3			4055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7356-पुलिस लाइनों का उन्नयन	5.00	5.00	100
4	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1338-मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015	21.80	21.79	99.95
5			2235-60-200-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6072-आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुदान	10.00	5.00	50
6			2235-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7330-आपदा सूचना एवं संचार तकनीकी विकास	1.65	1.60	96.97
7			3454-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-7401-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.)	2.75	2.54	92.36
8	06	वित्त	4070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5632-जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	48.00	27.94	58.21
9	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	2851-101-0725-औद्योगिक संस्थानों का संधारण	8.00	4.86	60.75
10	12	ऊर्जा	2801-80-101-2035-अस्थायी पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तित करने की योजना	130.81	130.81	100
11			2801-80-101-5607-कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु म.प्र.रा.वि. मं./उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान	397.29	377.29	94.97
12			4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2036-स्मार्ट मीटरिंग	60.00	60.00	100
13			4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2037-वितरण कंपनियों के ट्रान्सफार्मर की फेल्योर दर घटाने हेतु उन्नयन योजना	73.00	73.00	100
14			4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	100.00	90.50	90.50
15			6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	147.24	122.04	82.88
16	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	40.50	34.18	84.39

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
17			2401-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7499-सब मिशन स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट	51.00	41.48	81.33
18			2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	86.36	78.35	90.72
19			2401-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1227-परंपरागत खेती विकास योजना	41.50	22.08	53.20
20	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7162-ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	18.30	10.95	59.84
21			4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7298-आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल प्रदाय व्यवस्था	18.51	12.36	66.77
22			4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7386-नर्मदा–क्षिप्रा लिंक परियोजना आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना	3.18	3.18	100
23			4215-01-800-1401-नाबार्ड सामान्य-7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	270.00	180.00	66.67
24	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-7628-सभी परियोजनाओं में सेवा का क्रियान्वयन	38.78	38.78	100
25			2053-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-9039-ई–डिस्टिक्ट स्कीम का क्रियान्वयन	37.00	37.00	100
26	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-6440-शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	4.75	3.68	77.47
27			2217-05-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-7336-, एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	50.00	40.00	80
28			2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	1,477.00	1,005.22	68.06
29			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	10.00	10.00	100
30			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-2043- मेट्रो रेल	152.00	152.00	100
31			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-7336-,एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	20.00	19.25	96.25

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
32			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	20.00	20.00	100
33			6217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-1262- म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	24.80	24.80	100
34			6217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-2043- मेट्रो रेल	200.00	200.00	100
35			6217-60-800-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	40.00	40.00	100
36			4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	10.00	10.00	100
37	23	जल संसाधन	2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें	22.61	11.97	52.94
38			2701-80-799-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1051-स्टॉक	1.80	1.80	100
39	26	संस्कृति	2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6042-रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	4.40	2.92	66.36
40			2205-107-4283-संग्रहालय	1.75	1.75	100
41			4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7721-टेगौर कला संकुल विदिशा	9.00	6.84	76
42			4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7722- टेगौर कला संकुल खण्डवा	9.00	4.62	51.33
43	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	60.00	40.00	66.67
44			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2066-सोलर लाईट	10.00	10.00	100
45			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2067-ड्रिकिंग वाटर	15.00	15.00	100
46			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2068-इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल	20.00	14.67	73.35
47			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2072-100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण	10.00	10.00	100
48			4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7592-शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	10.00	10.00	100
49	29	विधि और विधायी कार्य	2014-114-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9069-महाधिवक्ता	3.37	2.62	77.74

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
			कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण			
50			2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन प्रभार	9.15	7.27	79.45
51			2015-108-9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	10.03	7.28	72.58
52			2052-090-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9066-विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	2.70	2.48	91.85
53	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8740-जीवनांक संभाग का सुदृढ़ीकरण	2.10	1.87	89.05
54			3454-02-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0512-इण्यिन इकोनोमिक एसोसिएशन	2.00	2.00	100
55			3454-02-203-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	2.00	2.00	100
56			3454-02-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1286-सांख्यिकी अनुदान	41.29	41.29	100
57			3454-02-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-7383-आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	66.00	66.00	100
58			3454-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-1285-आधारभूत सर्वेक्षण	40.00	35.00	87.50
59	34	सामाजिक न्याय	2235-60-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6554-समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	1.95	1.08	55.38
60			2235-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2084-श्रवण वाधित निःशक्तजनों को आई.टी. आई. प्रशिक्षण	9.74	5.94	60.99
61			2235-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6689-विकास खण्ड हेतु नवीन पदों का सृजन	3.20	2.25	70.31
62			2235-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6692-मुख्यमंत्री निकाह योजना	10.00	6.70	67
63	37	पर्यटन	3452-01-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6580-होटल प्रबंधन संस्थान, इन्दौर	4.00	2.75	68.75
64			3452-01-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7150-फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, रीवा	1.50	1.30	86.67
65			3452-01-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7152- होटल प्रबंधन संस्थान, भोपाल	1.75	1.08	61.71

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
66	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2401-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	19.61	17.52	89.34
67			2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	17.45	10.72	61.43
68			2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.98	13.51	90.19
69			2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-8810-सर्व शिक्षा अभियान	971.99	487.39	50.14
70			2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	52.50	51.50	98.10
71			2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	100.00	69.07	69.07
72			2225-02-794-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	13.04	12.49	95.78
73			2225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित -7745-कम्यूनिटी प्रशिक्षण लीडरशिप योजना	14.00	9.00	64.29
74			2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7748-अम्ब्रेला स्कीम	59.16	59.16	100
75			2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	66.00	49.60	75.15
76			2801-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7211-अनु. जाति/जनजाति हेतु विद्युतिकरण योजना	82.00	55.73	67.96
77			2235-60-796-193-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	20.00	15.36	76.80
78			2215-01-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	27.20	18.05	66.36
79			2215-01-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-8415-ग्रामीण नल जल योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान	23.97	15.55	64.87

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
80			2851-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	20.50	20.50	100
81			2401-796-119-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	12.07	12.07	100
82			2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	21.87	15.47	70.74
83			2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	15.75	12.17	77.27
84			4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूंजी में परिवर्तन	1,500.00	1,500.00	100
85			4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	100.00	90.50	90.50
86			6801-796-190-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.–3)	60.00	60.00	100
87			4225-02-796-102-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	250.92	177.61	70.78
88			4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -0762-कन्या शिक्षा परिसर	30.00	24.80	82.67
89			4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -0978-क्रीड़ा परिसर	50.00	35.28	70.56
90			4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	102.11	80.52	78.86
91			4701-95-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	40.00	28.90	72.25
92			4202-01-796-203-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–7464– मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	20.00	20.00	100
93	44	उच्च शिक्षा	2202-03-001-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-3753-राष्ट्रीय सेवा योजना	6.80	6.30	92.65

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
94			2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7599-राष्ट्रीय उच्च्तर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना	2.00	1.95	97.50
95			2202-03-103-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–7464–मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	139.00	139.00	100
96			2202-03-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7134-नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ किए जाने हेतु अनुदान	5.00	2.71	54.20
97			4202-01-203-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–7464–मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	54.00	45.00	83.33
98			4202-01-203-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)-5870-उच्च शिक्षा उत्कृष्टता मूलक राज्य संस्थान, भोपाल	5.19	5.04	97.11
99	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7490-स्किल डेवलपमेंट मिशन माड्यूलर इम्पलायबल	3.20	1.92	60
100			2230-03-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7491-डेव्हलपमेंट सेन्टर एस.डी.सी.	5.40	3.86	71.48
101			2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	1.50	1.50	100
102			2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	1.78	1.21	67.98
103			2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना	1.75	1.68	96
104	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -5131-मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	10.84	5.42	50
105			2515-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना.-7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	38.40	25.18	65.57
106			2401-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -4326-सघन फलोद्यान विकास योजना	4.68	3.16	67.52

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
107	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	70.00	36.10	51.57
108			2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6440-शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	4.60	4.60	100
109			2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	23.93	59.82
110			2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	26.69	66.72
111			2217-05-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	225.00	134.46	59.76
112			4217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)	1.00	1.00	100
113			4217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2043-मेट्रो रेल	10.00	10.00	100
114			4217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7336- म.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	27.44	27.44	100
115			6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)	9.00	9.00	100
116			6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2043-मेट्रो रेल	90.00	90.00	100
117			6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	64.03	64.03	100
118	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-9248-किशोरी शक्ति योजना	3.30	3.30	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
119			2235-02-103-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1422-ग्राम कन्वर्सजेन्स एवं सुविधा सेवा	2.84	2.84	100
120			4235-02-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5360-आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	1.60	1.60	100
121	56	ग्रामोद्योग	2851-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	40.33	40.33	100
122			4851-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6336-रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	4.68	3.31	70.73
123	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-57-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-2344-निर्माण कार्य	3.00	2.35	78.33
124	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8284-म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	114.73	78.53	68.45
125	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	2401-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	97.12	85.29	87.82
126			2401-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7717 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	18.89	17.71	93.75
127			2401-789-108-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	17.39	12.92	74.30
128			2401-789-113-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.70	9.97	93.18
129			2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -5776-सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	11.50	11.50	100
130			2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	75.00	45.00	60
131			2215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	17.61	10.44	59.28
132			2215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	15.02	10.04	66.84

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
133			2202-03-789-103-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (एस.सी.एस.पी.)–7464–मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	10.00	100
134			2235-02-789-103-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -5033- वेश्या उन्मूलन योजना	31.57	30.50	96.61
135			2851-789-107-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -6328- उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	9.80	9.80	100
136			2225-01-789-277-0803- केन्द्र क्षेत्रीय योजना एस.सी.एस.पी.-7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	30.00	23.50	78.33
137			2801-06-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -5230- मजरे/टोलों का विद्युतीकरण	54.66	41.31	75.58
138			2801-06-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित-5084-अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास	50.00	30.55	61.10
139			2401-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	16.62	12.56	75.57
140			2401-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12.00	10.67	88.92
141			4801-05-789-190-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -2035- अस्थायी पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तित करने की योजना	24.00	24.00	100
142			4801-05-789-190-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -2051- विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूंजी में परिवर्तन	1,068.00	1,068.00	100
143			6801-789-190-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.–3)	70.00	70.00	100
144			6801-789-190-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5523- कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	40.00	40.00	100
145			4202-01-789-201-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 8810- सर्व शिक्षा अभियान	66.60	36.35	54.58

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
146			4702-789-800-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-6708-ए.आई. बी.पी. योजनाएं	47.87	47.87	100
147			4215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-2580-पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	90.96	51.76	56.90
148			4215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	35.71	21.31	59.68
149			4202-01-789-203-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)–7464–मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	30.00	100
150			4202-01-789-203-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	35.00	22.75	65
151	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	4210-03-105-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1211-पी.एम.एस.वाई. परिसर के अंतर्गत सुपर स्पेशलिस्ट की स्थापना	1.20	1.20	100
152			4210-03-105-0101-राज्य आयोजना सामान्य-6591- जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	30.00	30.00	100
153	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-191-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.एस.पी.-1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	6.87	4.21	61.28
154			2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	12.70	12.70	100
155			2217-05-796-193-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	29.47	73.67
156			2217-05-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.एस.पी.-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	10.00	10.00	100
157	73	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2064-टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	1.00	1.00	100
158			4210-03-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6885-चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना	1.00	1.00	100
159			4210-03-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7280-मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर एवं मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर का उन्नयन	1.00	1.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
160	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6967-माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन	12.75	10.45	81.96
161			2202-02-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	25.00	21.33	85.32
162			2215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	49.79	28.43	57.10
163			2215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7166-हैण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण	12.09	9.26	76.59
164			2215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-8415- ग्रामीण नल जल योजनाओं का संधारण	45.77	26.51	57.92
165			2225-01-186-1398- छात्रावास/आश्रमों का संचालन	4.27	3.36	78.69
166			2225-01-196-5902-माध्यमिक शिक्षा	4.50	4.50	100
167			2235-60-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-0075-अंध मूक बधिरों को वृत्तियां	2.50	2.41	96.40
168	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-5728-पेयजल पूर्ति के लिए नगरीय निकायों को कर्जे	20.00	13.04	65.20
योग				**11,058.31**	**9,020.91**	**81.58**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)
(संदर्भः कंडिका 2.2.8; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण
		(क) राजस्व–दत्तमत				
1	34	सामाजिक न्याय	270.15	80.97	81.07	0.10
योग (क)			**270.15**	**80.97**	**81.07**	**0.10**
		(ख) पूंजीगत–दत्तमत				
2	44	उच्च शिक्षा	158.93	51.23	51.79	0.56
3	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	425.97	91.75	118.44	26.69
योग (ख)			**584.90**	**142.98**	**170.23**	**27.25**
महायोग (क+ख)			**855.05**	**223.95**	**251.30**	**27.35**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया

(संदर्भः कंडिका 2.2.9; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
I-अनुदान			
राजस्व (दत्तमत)			
1	05	जेल	38.87
2	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	16.42
3	17	सहकारिता	530.31
4	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	473.08
5	32	जनसंपर्क	17.33
6	36	परिवहन	18.30
7	43	खेल और युवक कल्याण	10.60
8	48	नर्मदा घाटी विकास	8.29
9	62	पंचायत	41.91
10	63	अल्प संख्यक कल्याण	8.13
11	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	171.87
पूंजीगत (दत्तमत)			
12	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	17.89
13	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	17.22
14	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5.16
15	17	सहकारिता	33.24
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.50
17	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	18.36
18	38	आयुष	25.99
19	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	110.15
20	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	449.30
21	48	नर्मदा घाटी विकास	327.24
22	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.00
23	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	10.00
II-विनियोग			
राजस्व (प्रभारित)			
24	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	*1,153.89*
25	06	वित्त	*7.06*
पूंजीगत (प्रभारित)			
26	पी.डी.	लोक ऋण	*4,180.22*
27	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	*20.44*
		योग	**7,716.77**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
समर्पित नहीं की गईं ₹ एक करोड या अधिक की बचतों का विवरण
(संदर्भः कंडिका 2.2.9; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
		राजस्व दत्तमत			
1	01	सामान्य प्रशासन	75.13	44.03	31.10
2	03	पुलिस	552.16	473.73	78.43
3	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	38.59	35.43	3.16
4	05	जेल	38.87	0.00	38.87
5	06	वित्त	2,352.81	8.97	2,343.84
6	07	वाणिज्यिक कर	902.84	25.76	877.08
7	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	303.20	3.96	299.24
8	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	16.42	0.00	16.42
9	10	वन	262.40	2.82	259.58
10	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	44.03	34.33	9.70
11	12	ऊर्जा	514.41	509.10	5.31
12	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,113.97	1,042.59	71.38
13	14	पशुपालन	151.84	148.66	3.18
14	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	762.58	722.85	39.73
15	16	मछली पालन	25.11	1.03	24.08
16	17	सहकारिता	530.31	0.00	530.31
17	18	श्रम	21.98	15.13	6.85
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	891.17	280.40	610.77
19	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	66.92	41.69	25.23
20	21	लोक सेवा प्रबंधन	86.46	83.31	3.15
21	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1,446.11	1,428.62	17.49
22	23	जल संसाधन	168.08	148.50	19.58
23	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	473.08	0.00	473.08
24	25	खनिज साधन	9.01	7.71	1.30
25	26	संस्कृति	22.98	19.75	3.23
26	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	1,435.30	242.53	1,192.77
27	28	राज्य विधान मंडल	18.09	5.02	13.07
28	29	विधि और विधायी कार्य	218.45	207.78	10.67
29	30	ग्रामीण विकास	61.39	56.53	4.86
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	190.17	179.49	10.68
31	32	जनसंपर्क	17.33	0.00	17.33
32	33	आदिम जाति कल्याण	400.79	393.33	7.46
33	36	परिवहन	18.30	0.00	18.30
34	38	आयुष	59.34	0.01	59.33
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	38.59	30.41	8.18
36	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	439.16	13.22	425.94
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,224.11	1,697.42	526.69
38	43	खेल और युवक कल्याण	10.60	0.00	10.60
39	44	उच्च शिक्षा	569.20	484.91	84.29
40	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	22.81	21.71	1.10
41	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	14.16	6.84	7.32

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
42	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	110.94	53.36	57.58
43	48	नर्मदा घाटी विकास	8.29	0.00	8.29
44	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	185.43	184.33	1.10
45	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	14.64	2.61	12.03
46	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	919.63	839.16	80.47
47	55	महिला एवं बाल विकास	118.01	116.54	1.47
48	56	ग्रामोद्योग	91.28	75.83	15.45
49	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	381.33	237.49	143.84
50	62	पंचायत	41.91	0.00	41.91
51	63	अल्प संख्यक कल्याण	8.13	0.00	8.13
52	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,028.15	669.26	358.89
53	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	171.38	169.94	1.44
54	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	164.28	0.24	164.04
55	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	9.77	0.53	9.24
56	71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	66.75	24.04	42.71
57	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	22.19	0.45	21.74
58	73	चिकित्सा शिक्षा	57.10	4.45	52.65
59	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,157.16	1,009.23	2,147.93
60	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	289.15	161.24	127.91
61	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	171.87	0.00	171.87
योग			**23,625.64**	**11,966.27**	**11,659.37**
पूंजीगत दत्तमत					
62	06	वित्त	169.64	28.74	140.90
63	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	17.89	0.00	17.89
64	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	17.22	0.00	17.22
65	10	वन	85.55	0.00	85.55
66	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5.16	0.00	5.16
67	14	पशुपालन	5.85	2.54	3.31
68	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	110.87	20.27	90.60
69	17	सहकारिता	33.24	0.00	33.24
70	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.50	0.00	2.50
71	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	436.41	405.47	30.94
72	21	लोक सेवा प्रबंधन	1.99	0.94	1.05
73	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	470.32	468.18	2.14
74	23	जल संसाधन	35.54	9.21	26.33
75	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	18.36	0.00	18.36
76	26	संस्कृति	14.64	11.46	3.18
77	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	110.37	96.65	13.72
78	30	ग्रामीण विकास	114.17	9.50	104.67
79	36	परिवहन	9.32	0.62	8.70
80	38	आयुष	25.99	0.00	25.99
81	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	13.40	8.61	4.79

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
82	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	110.15	0.00	110.15
83	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,630.96	2,393.44	237.52
84	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	449.30	0.00	449.30
85	43	खेल और युवक कल्याण	3.87	0.22	3.65
86	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	51.35	32.45	18.90
87	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4.21	2.24	1.97
88	48	नर्मदा घाटी विकास	327.24	0.00	327.24
89	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	63.37	9.21	54.16
90	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	13.41	10.66	2.75
91	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.00	0.00	3.00
92	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	2,009.64	1,814.68	194.96
93	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	96.78	45.88	50.90
94	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	3.53	0.69	2.84
95	73	चिकित्सा शिक्षा	22.68	18.19	4.49
96	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	10.00	0.00	10.00
		योग	**7,497.92**	**5,389.85**	**2,108.07**
		राजस्व प्रभारित			
97	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	*1,153.89*	*नगण्य*	*1,153.89*
98	01	सामान्य प्रशासन	*17.10*	*1.71*	*15.39*
99	06	वित्त	*7.06*	*0.00*	*7.06*
100	25	खनिज साधन	*57.81*	*नगण्य*	*57.81*
101	29	विधि और विधायी कार्य	*36.04*	*29.49*	*6.55*
		योग	***1,271.90***	***31.20***	***1,240.70***
		पूंजीगत प्रभारित			
102	पी.डी.	लोक ऋण	*4,180.22*	*0.00*	*4,180.22*
103	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	*20.44*	*0.00*	*20.44*
		योग	***4,200.66***	***0.00***	***4,200.66***
		महायोग	**36,596.12**	**17,387.32**	**19,208.80**

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.13
समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां
(संदर्भः कंडिका 2.2.9.1; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	17	01,06,07,31,36,38,41,46,47,48,60,63,64,67,71	1,348.77	वित्त वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृति जारी की गई थीं।
2	8	02,05,17, 19, 37, 41, 64,72	2,010.17	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात लेखों को बंद करने एवं अंतिम रुप देने के पश्चात्।
3	3	01,06,22	56.25	योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
4	3	04,67,73	40.21	समर्पण/पुनर्विनियोग राशि का प्रावधान से आधिक्य होना।
5	13	01,02,11,19,26,41,47,56,61	533.90	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा चाही जानकारी विभाग से प्राप्त न होना।
6	1	41	0.01	स्वीकृति पत्र में विसंगति के कारण।
7	1	14	0.14	शासकीय स्वीकृति के माध्यम से राशि का पूर्व में पुनर्विनियोग होने के कारण।
योग	**46**	**29**	**3,989.45**	

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.14
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान एवं रखरखाव का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था

(संदर्भः कंडिका 2.2.10; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान				
1	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	4.79
2	20	4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	90.00	89.44
3	27	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00
4	30	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	95.00	95.00
5	37	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00
6	61	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2.12	2.18
योग (उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान)			**222.12**	**201.41**
उद्देश्य शीर्ष 33–रखरखाव				
7	14	4403-101-0101-5093-पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	2.05	0.68
8	26	4202-04-800-0101-7073-म.प्र. संस्कृति परिषद–विकास अनुदान	1.20	1.20
9	48	4700–45–001–9091–औंकारेश्वर परियोजना	49.00	40.68
10	48	4700–51–001–0101–2428–निष्पादन स्थापना (यूनिट एक एवं यूनिट दो)	1.20	0.92
11	48	4700–51–001–2428–निष्पादन स्थापना (यूनिट एक एवं यूनिट दो)	1.10	1.10
12	48	4700–80–800–0101–6398–पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना	4.46	0.40
13	48	4701–11–001–5223–मान परियोजना (नाबार्ड)	2.00	1.26
14	48	4701–12–001–4647–जोबट परियोजना (नाबार्ड)	1.50	1.50
15	48	4801–80–800–0101–4406–सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू–अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	4.20	3.71
योग (उद्देश्य शीर्ष 33–रखरखाव)			**66.71**	**51.45**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.15

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था

(संदर्भः कंडिका 2.2.10; पेज 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63–मशीन				
1	03	2055–पुलिस	181.10	166.75
2	05	2056–जेल	19.03	15.82
3	06	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन	17.00	16.61
4	08	2029–भू–राजस्व	4.01	0.97
5	10	2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी	1.98	1.65
6	13	2401–फसल कृषि कर्म	4.94	4.60
7	14	2403–पशुपालन	3.75	3.75
8	17	2425–सहकारिता	1.03	0.89
9	19	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	40.80	39.94
10	22	2217–शहरी विकास	11.27	11.27
11	32	2220–सूचना तथा प्रचार	2.50	2.51
12	38	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2.63	1.45
13	39	2408–खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	4.35	4.35
14	41	2202–सामान्य शिक्षा	2.09	2.05
15	41	2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें	1.50	1.49
16	41	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3.60	2.76
17	41	2230–श्रम तथा रोजगार	29.16	26.09
18	44	2202–सामान्य शिक्षा	26.81	26.80
19	47	2203–तकनीकी शिक्षा	5.65	1.97
20	47	2230–श्रम तथा रोजगार	14.29	12.12
21	56	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	2.08	2.08
22	58	2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	21.13	21.13
23	64	2202–सामान्य शिक्षा	2.50	2.52
24	64	2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें	1.50	1.35
25	64	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3.03	2.55
26	64	2230–श्रम तथा रोजगार	6.10	5.49
27	71	2217–शहरी विकास	56.41	56.41
28	73	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11.88	8.18
योग (उद्देश्य शीर्ष 63–मशीन)			**482.12**	**443.55**
उद्देश्य शीर्ष 64–वृहद् कार्य				
29	26	2205–कला एवं संस्कृति	25.00	0.23
30	39	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	1.65	1.51
31	48	2401–फसल कृषि–कर्म	10.60	6.61
योग (उद्देश्य शीर्ष 64–वृहद् कार्य)			**37.25**	**8.35**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.16
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भः कंडिका 2.2.12; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
1	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5856	41.76	41.76	41.76	100	100
2	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6622	67.42	67.42	67.42	100	100
3	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7584	46.99	46.99	46.99	100	100
4	पी.डी.–लोक ऋण	5519	470.00	470.00	470.00	100	100
5	06-वित्त	6857	14.21	14.21	14.21	100	100
6	12–ऊर्जा	0663	441.71	441.71	441.71	100	100
7	12–ऊर्जा	0688	7,568.00	7,568.00	7,568.00	100	100
8	12–ऊर्जा	1284	91.00	91.00	91.00	100	100
9	12–ऊर्जा	2034	50.00	50.00	50.00	100	100
10	12–ऊर्जा	3218	313.13	313.13	313.13	100	100
11	12–ऊर्जा	6869	44.50	44.50	44.50	100	100
12	12–ऊर्जा	7255	118.92	118.92	118.92	100	100
13	12–ऊर्जा	7633	354.28	354.28	354.28	100	100
14	15–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	124.77	124.77	124.77	100	100
15	17–सहकारिता	2112	30.59	30.59	30.59	100	100
16	17–सहकारिता	6425	11.94	11.94	11.94	100	100
17	17–सहकारिता	7232	17.92	17.92	17.92	100	100
18	17–सहकारिता	7261	66.52	66.52	66.52	100	100
19	20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	8888	15.47	15.47	15.47	100	100
20	22–नगरीय विकास एवं पर्यावरण	7704	41.67	41.67	41.67	100	100
21	23–जल संसाधन	0641	34.65	34.65	34.65	100	100
22	25–खनिज साधन	6606	577.20	577.20	577.20	100	100
23	34–सामाजिक न्याय	5614	14.50	14.50	14.50	100	100
24	37–पर्यटन	6316	89.00	89.00	89.00	100	100
25	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7399	254.82	254.82	254.82	100	100
26	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7585	100.00	100.00	100.00	100	100
27	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7255	21.98	21.98	21.98	100	100

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
28	52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0647	11.22	11.22	11.22	100	100
29	52–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	172.47	172.47	172.47	100	100
30	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1238	90.54	90.54	90.54	100	100
31	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0475	921.00	921.00	921.00	100	100
32	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	6949	1,875.80	1,875.80	1,875.80	100	100
33	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0647	18.13	18.13	18.13	100	100
34	74–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0660	57.67	57.67	57.67	100	100
योग			**14,169.78**	**14,169.78**	**14,169.78**		

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.1
लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति	प्रतिशतता
1	0029–भू–राजस्व	406.65	69.25	17.03
2	0035–कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	583.52	583.52	100
3	0039–राज्य उत्पाद शुल्क	7,532.59	5,824.73	77.33
4	0043–विद्युत कर तथा शुल्क	2,620.53	586.59	22.38
5	0049–ब्याज प्राप्तियाँ	581.67	153.83	26.45
6	0055–पुलिस	149.89	32.28	21.54
7	0056–जेल	6.19	6.19	100
8	0059–लोक निर्माण कार्य	115.93	113.88	98.23
9	0075–विविध सामान्य सेवाएं	115.09	15.18	13.19
10	0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	167.04	22.42	13.42
11	0211–परिवार कल्याण	0.09	0.09	100
12	0215–जलपूर्ति तथा सफाई	31.15	27.64	88.73
13	0217–शहरी विकास	35.08	35.08	100
14	0220–सूचना तथा प्रचार	0.25	0.24	96.00
15	0230–श्रम तथा रोजगार	26.18	9.35	35.71
16	0235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	88.78	87.32	98.36
17	0401–फसल कृषि–कर्म	48.38	31.20	64.49
18	0403–पशुपालन	3.69	1.59	43.09
19	0405–मछली पालन	6.70	2.32	34.63
20	0406–वानिकी तथा वन्य जीवन	917.98	185.80	20.24
21	0408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	0.14	0.02	14.29
22	0435–अन्य कृषि कार्यक्रम	1.91	1.70	89.01
23	0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	19.54	7.83	40.07
24	0700–मुख्य सिंचाई	35.35	22.05	62.38
25	0702–लघु सिंचाई	336.25	336.25	100
26	0801–बिजली	358.81	358.81	100
27	0810–नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	12.82	1.34	10.45
28	0851–ग्राम तथा लघु उद्योग	3.58	0.86	24.02
29	0852–उद्योग	24.41	24.39	99.92
30	0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,168.28	2,534.81	80.01
31	0875–अन्य उद्योग	0.01	0.01	100
32	1054–सड़क तथा सेतु	2.70	0.33	12.22
33	1452–पर्यटन	89.18	89.18	100
34	1601–केन्द्रीय सरकार से सहायतानुदान	23,962.53	21,424.36	89.41
	योग	**41,452.89**	**32,590.44**	

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.2
लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2075–विविध सामान्य सेवाएं	34.57	19.60	56.70
2	2204–खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	170.53	115.28	67.60
3	2205–कला एवं संस्कृति	183.27	79.29	43.26
4	2217–शहरी विकास	4,819.62	3,457.87	71.75
5	2250–अन्य सामाजिक सेवाएं	154.97	148.61	95.90
6	2403–पशुपालन	784.81	150.31	19.15
7	2405–मछली पालन	66.45	6.81	10.24
8	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,916.16	856.72	17.43
9	2700–मुख्य सिंचाई	147.06	15.03	10.22
10	2701–मध्यम सिंचाई	382.39	90.07	23.55
11	2702–लघु सिंचाई	150.47	137.89	91.64
12	2705–कमान क्षेत्र विकास	7.69	4.34	56.44
13	2852–उद्योग	1,621.93	1,608.36	99.16
14	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	939.77	577.20	61.42
15	3054–सड़क तथा सेतु	1,244.95	331.73	26.65
16	3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	89.74	50.19	55.93
17	4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.92	4.92	100
18	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	736.97	84.68	11.49
19	4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	723.90	247.41	34.18
20	4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	202.32	40.75	20.14
21	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	549.83	267.39	48.63
22	4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	16.55	11.27	68.10
23	4408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.53	0.53	100
24	4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,169.35	2,755.90	86.95
25	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,869.53	4,836.79	82.40
26	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,165.88	1,097.06	94.10
27	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,116.36	446.56	40.00
28	4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	6.54	0.79	12.08
29	4852–लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	25.00	100
30	4853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.77	1.77	100
31	4875–अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.00	13.00	100
32	5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,662.70	1,855.14	39.79
33	5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	0.94	100
34	5425–अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.00	80
35	5475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.13	1.13	100
योग		**33,986.60**	**19,344.33**	

(स्रोतः वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.3
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण
(संदर्भः कंडिका 3.4; पृष्ठ 43)

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014–न्याय प्रशासन	05	17.39	01	2.41	-	-	-	-	01	0.44	-	-	07	20.24
2	2015–निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2040–वाणिज्यिक कर	02	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.84
4	2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन	03	440.49	02	358.72	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
5	2055–पुलिस	105	125.84	112	37.22	59	40.97	33	30.30	06	5.06	-	-	315	239.39
6	2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	01	0.17	-	-	02	8.58
7	2202–सामान्य शिक्षा	17	285.50	10	13.50	02	1.29	01	0.81	02	1.20	75	419.70	107	722.00
8	2203–तकनीकी शिक्षा	01	1.80	04	1.40	08	24.16	-	-	-	-	-	-	13	27.36
9	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	02	3.77	01	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.21
10	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	01	2.29	03	17.57	01	4.43	04	23.58	01	3.08	05	9.99	15	60.94
11	2211–परिवार कल्याण	01	43.99	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.67	03	47.66
12	2215–जल पूर्ति तथा सफाई	-	-	03	4.05	01	0.38	01	0.48	-	-	-	-	05	4.91
13	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.45	04	5.37	06	8.82

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
14	2230–श्रम तथा रोजगार	06	7.81	04	2.16	02	0.18	01	6.77	-	-	-	-	13	16.92
15	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	02	9.16	-	-	01	1.31	-	-	01	4.04	03	1.62	07	16.13
16	2401–फसल कृषि–कर्म	10	31.77	05	8.88	04	4.64	-	-	-	-	03	0.48	22	45.77
17	2403–पशुपालन	-	-	04	4.91	06	1.72	03	5.51	03	1.15	04	5.80	20	19.09
18	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	583	333.03	104	349.58	199	234.75	395	325.84	280	146.05	1,070	208.36	2,631	1,597.61
19	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	01	42.32	-	-	02	1.34	01	2.90	-	-	04	46.56
20	2505–ग्राम रोजगार	-	-	01	नगण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	01	नगण्य
21	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	05	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	4.42
22	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	23.09
24	नर्मदा घाटी विकास विभाग	03	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	1.30
25	जल संसाधन विभाग	03	2.77	05	6.40	-	-	01	1.00	-	-	-	-	09	10.17
योग		**756**	**1,352.23**	**261**	**857.46**	**283**	**313.83**	**441**	**395.63**	**300**	**189.56**	**1,171**	**667.96**	**3,212**	**3,776.67**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.4
चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरण
(संदर्भः कंडिका 3.4; पृष्ठ 43)

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014–न्याय प्रशासन	05	5.42	02	14.82	07	20.24
2	2015–निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2040–वाणिज्यिक कर	-	-	02	0.84	02	0.84
4	2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
5	2055–पुलिस	16	5.18	299	234.21	315	239.39
6	2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
7	2202–सामान्य शिक्षा	30	58.00	77	664.00	107	722.00
8	2203–तकनीकी शिक्षा	09	12.19	04	15.17	13	27.36
9	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.45	02	3.76	03	4.21
10	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	05	6.76	10	54.18	15	60.94
11	2211–परिवार कल्याण	-	-	03	47.66	03	47.66
12	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
13	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	4.26	04	4.56	06	8.82
14	2230–श्रम तथा रोजगार	09	3.81	04	13.11	13	16.92
15	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	03	2.47	04	13.66	07	16.13
16	2401–फसल कृषि–कर्म	14	9.84	08	35.93	22	45.77
17	2403–पशुपालन	08	7.16	12	11.93	20	19.09
18	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	41	12.02	2,590	1,585.59	2,631	1,597.61
19	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.13	04	46.56
20	2505–ग्राम रोजगार	-	-	01	नगण्य	01	नगण्य
21	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	04	4.30	05	4.42
22	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	0.38	01	0.92	03	1.30
24	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
25	जल संसाधन विभाग	09	10.17	-	-	09	10.17
योग		**167**	**609.45**	**3,045**	**3,167.22**	**3,212**	**3,776.67**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.5

2016–17 के दौरान अपलेखित प्रकरण

(संदर्भः कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2055–पुलिस	पुलिस महानिदेशक, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन तथा वायरलेस सेट	11	2.10
2	2202–सामान्य शिक्षा	निदेशक, लोक शिक्षा, भोपाल	आग से हुई हानि	04	2.22
3	2403–पशुपालन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	01	0.03
4	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	30	46.15
योग				**46**	**50.50**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.6
2016–17 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली
(संदर्भः कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग/हानि/चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	01	2014–न्याय प्रशासन	हानि	2006-07	1,22,467	1,22,467
	01			**योग**	**1,22,467**	**1,22,467**
2	01	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	चोरी	2015-16	85,652	85,652
	01			**योग**	**85,652**	**85,652**
3	01	2055–पुलिस	हानि	1990-91	30,000	30,000
4	01	2055–पुलिस	हानि	1999-00	13,343	13,343
5	01	2055–पुलिस	हानि	2004-05	28,150	28,150
6	01	2055–पुलिस	हानि	2004-05	15,080	15,080
7	01	2055–पुलिस	हानि	2005-06	2,305	2,305
8	01	2055–पुलिस	हानि	2006-07	65,000	65,000
9	01	2055–पुलिस	चोरी	2006-07	21,575	21,575
10	01	2055–पुलिस	हानि	2007-08	2,994	2,994
11	01	2055–पुलिस	हानि	2010-11	6,682	6,682
12	01	2055–पुलिस	हानि	2010-11	59,076	59,076
13	01	2055–पुलिस	हानि	2011-12	42,980	42,980
14	01	2055–पुलिस	हानि	2013-14	1,60,000	1,60,000
15	01	2055–पुलिस	हानि	2013-14	1,00,000	1,00,000
16	01	2055–पुलिस	हानि	2015-16	21,500	21,500
17	01	2055–पुलिस	हानि	2016-17	6,850	6,850
18	01	2055–पुलिस	हानि	2016-17	4,00,000	4,00,000
	16			**योग**	**9,75,535**	**9,75,535**
19	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1986-87	19,904	19,904
20	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1991-92	24,342	24,342
21	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1991-92	47,717	47,717
22	01	2202–सामान्य शिक्षा	हानि	2007-08	3,17,082	3,17,082
23	01	2202–सामान्य शिक्षा	दुर्विनियोग	2007-08	56,491	56,491
	05			**योग**	**4,65,536**	**4,65,536**
24	01	2203–तकनीकी शिक्षा	चोरी	2016-17	1,76,970	1,76,970
	01			**योग**	**1,76,970**	**1,76,970**
25	01	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	हानि	1995-96	26,506	26,506
	01			**योग**	**26,506**	**26,506**
26	01	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	चोरी	1989-90	1,04,293	1,04,293
	01			**योग**	**1,04,293**	**1,04,293**
27	11	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1975-76	6,11,201	6,11,201
28	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1976-77	5,000	5,000
29	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1977-78	9,576	9,576
30	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1980-81	20,583	20,583
31	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1981-82	15,040	15,040
32	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1982-83	10,558	10,558

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
33	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1985-86	3,162	3,162
34	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1987-88	60,759	60,759
35	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1991-92	1,833	1,833
36	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1993-94	50,703	50,703
37	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1994-95	776	776
38	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1995-96	1,17,126	1,17,126
39	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1996-97	2,660	2,660
40	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1998-99	40,089	40,089
41	04	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1999-00	53,986	53,986
42	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2001-02	14,274	14,274
43	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2004-05	5,130	5,130
44	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2007-08	30,684	30,684
45	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2008-09	64,878	64,878
46	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2009-10	45,000	45,000
47	04	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2012-13	6,454	6,454
48	04	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2013-14	25,863	25,863
49	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2014-15	86,277	86,277
50	27	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2015-16	3,54,679	3,21,580
51	162	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2016-17	7,43,994	7,42,206
	235			**योग**	**23,80,285***	**23,45,398**
	261	**कुल योग**			**43,37,244***	**43,02,357**

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.7
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति
(संदर्भः कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र	
		संख्या	राशि
1	2011–संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014–न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029–भू–राजस्व	104	1.20
4	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047–अन्य राज्यकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2055–पुलिस	12	1.76
8	2075–विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
9	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
10	2205–कला तथा संस्कृति	01	0.15
11	2215–जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
12	2217–शहरी विकास	684	321.34
13	2220–सूचना तथा प्रचार	35	1.50
14	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
15	2230–श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
16	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
17	2236–पोषण	09	86.65
18	2250–अन्य सामाजिक सेवाएं	06	22.94
19	2401–फसल कृषि–कर्म	3,090	439.99
20	2403–पशुपालन	495	201.86
21	2405–मछली पालन	3,536	11.12
22	2408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1,596	4,795.82
23	2425–सहकारिता	644	251.80
24	2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1,021.62
25	2505–ग्राम रोजगार	34	158.42
26	2702–लघु सिंचाई	280	12.55
27	2810–नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
28	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
29	2852–उद्योग	2,987	187.07
30	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
31	3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	397	10.89
32	3452–पर्यटन	185	81.05
33	3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	20	57.45
34	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
35	4402–मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
36	6425–सहकारिता के लिए कर्ज	59	1.70
	योग	**21,094**	**18,080.10**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.8
बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भः कंडिका 3.12; पृष्ठ 48)

(₹ लाख में)

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2017 की स्थिति में शेष
1	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय, म.प्र., भोपाल	सहायक संचालक, उद्यानिकी, भोपाल	05	बैंक ऑफ इंडिया, टी.टी. नगर, भोपाल(एम. आई.डी.एच)	900110210000001*	85.30
					सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल	1793117724	437.65
					स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	33568115412	102.78
					बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल	900210110001978	17.25
					बैंक ऑफ इंडिया, टी.टी. नगर, भोपाल (एम.एन.आर.ई.जी.ए.)	900110210000001*	5.94
		सहायक संचालक, उद्यानिकी, डिन्डौरी	सहायक संचालक, उद्यानिकी, डिन्डौरी	01	सी.सी.बी., डिन्डौरी	661513039459	1.39
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर	प्रबंध निदेशक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए.डी.बी., छतरपुर	31135124682	0.72
3	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, भोपाल	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा–विन्ध्याचल	32215335882	197.54
4	सामान्य प्रशासन	कलेक्टर, देवास	संयुक्त कलेक्टर, देवास	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देवास	53012945833	126.36
		कलेक्टर, सिंगरौली	संयुक्त कलेक्टर, सिंगरौली	01	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंगरौली	452502010010482	80.11

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2017 की स्थिति में शेष
		कलेक्टर, विदिशा	डिप्टी कलेक्टर, विदिशा	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदिशा	53030893200	93.01
		कलेक्टर, ग्वालियर	डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्वालियर	10554232197	487.51
		कलेक्टर, मुरैना	संयुक्त कलेक्टर, मुरैना	02	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुरैना	435202010002034	24.80
					जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना	683102038959	22.61
		कलेक्टर, बालाघाट	संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बालाघाट	10750414219	53.52
		कलेक्टर, पन्ना	प्रभारी अधिकारी वित्त, पन्ना	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पन्ना	10930228515	66.06
		कलेक्टर, इन्दौर	डिप्टी कलेक्टर, इन्दौर	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्दौर	53042771266	106.53
5	राजस्व	उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल	उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल	02	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल	33751031462	124.76
					स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल	31147482237	0.59
योग			**13**	**19**			**2,034.43**

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

*** दो विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित राशि एक ही बैंक खाते में जमा की गयी।**

परिशिष्ट 3.9
31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश

(संदर्भः कंडिका 3.14; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	जिस वर्ष के लेखे बकाया हैं, उस दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति				
					समता पूंजी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति
क. कार्यशील कंपनियां									
एक वर्ष									
1	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	1.80	2015-16	2016-17	0.00	0.00	20.00	0	0
2	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	5.50	2015-16	2016-17	0	0	7.75	0	0
3	मध्य प्रदेश वेंचर वित्त लिमिटेड	0.31	2015-16	2016-17	0.20	0.50	0	0	0
4	मध्य प्रदेश वेंचर वित्त ट्रस्टी लिमिटेड	0.01	2015-16	2016-17	0.01	0	0	0	0
5	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	30.00	2015-16	2016-17	29.39	0	0	0	0
6	मध्य प्रदेश शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड	1.00	2015-16	2016-17	0	0	100.00	0	0
7	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	21.91	2015-16	2016-17	0	0	0	91.70	0
8	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,322.43	2015-16	2016-17	0	951.86	20.00	2,334.65	0.90
9	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,049.43	2015-16	2016-17	0	73.17	59.45	0	64.44
10	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,601.35	2015-16	2016-17	0	53.63	1,274.38	1,908.96	97.16
11	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	0.80	2015-16	2016-17	0	0	3.50	0	0
12	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24.97	2015-16	2016-17	0	0	140.11	1.43	0
उप–योग					**29.60**	**1,079.16**	**1,625.19**	**4,336.74**	**162.50**
दो से पाँच वर्ष									
13	मध्य प्रदेश पुलिस गृह–निर्माण निगम लिमिटेड	4.58	2014-15	2015-16	0	92.50	0	0	577.86
				2016-17	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	55.00	2014-15	2015-16	10.00	0	407.00	0	0
				2016-17	45.00	0	276.33	0	0

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	जिस वर्ष के लेखे बकाया हैं, उस दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति				
					समता पूंजी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति
15	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	2013-14	2015-16 तक	0	22.16	0	0	0
				2016-17	0	22.16	0	0	0
16	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	2009-10	2015-16 तक	3.70	0	2.55	51.30	0
				2016-17	0	8.76	0.54	29.00	0
17	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	36.18	2003-04	2015-16 तक	6.33	0	18.30	41.50	0
				2016-17	0	0	3.47	57.00	0
उप–योग					**65.03**	**145.58**	**708.19**	**178.80**	**577.86**
योग (क)					**94.63**	**1,224.74**	**2,333.38**	**4,515.54**	**740.36**
ख. अकार्यशील कम्पनियां									
एक वर्ष–निरंक									
दो से पाँच वर्ष–निरंक									
पाँच वर्ष अधिक									
1	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	6.86	2009-10	2015-16 तक	0	0	3.61	0	0
				2016-17	0	0	0.73	0	0
योग (ख)					**0**	**0**	**4.34**	**0**	**0**
कुल योग (क+ख)					**94.63**	**1,224.74**	**2,337.72**	**4,515.54**	**740.36**

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.10
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण
(संदर्भः कंडिका 3.15; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ/हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लांभाश	घोषित लाभांश/ किया गया प्रावधान
क. कार्यशील कंपनियां							
1	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2015-16	39.12	134.09	149.81	7.82	7.91
2	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	63.05	281.55	367.71	12.61	12.58
3	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2016-17	0.10	8.08	11.91	0.02	0.00
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2016-17	0.31	2.13	12.13	0.06	0.00
5	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2015-16	0.71	0.85	6.35	0.14	0.00
6	दि प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.68	20.32	26.63	0.14	0.00
7	मध्य प्रदेश पुलिस गृह–निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	9.51	45.17	49.75	1.90	0.00
8	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	53.44	219.97	255.66	10.69	0.00
9	इन्दौर स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड	2016-17	0.34	0.34	103.56	0.07	0.00
10	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2016-17	0.52	-7.33	4.79	0.10	0.00
11	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	14.17	16.75	38.06	2.83	0.00
12	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	91.81	332.93	335.13	18.36	18.38
13	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2016-17	22.23	-234.65	2,478.05	4.45	0.00
14	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	24.83	-3,068.47	2,882.79	4.97	0.00
15	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	2015-16	0.40	13.09	13.89	0.08	0.00
16	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	16.31	104.41	119.92	3.26	4.51
17	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	0.65	67.90	76.37	0.13	0.00
18	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2015-16	5.92	5.88	31.34	1.18	0.00
19	डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2016-17	1.36	5.50	118.36	0.27	0.00
20	डी.एम.आई.सी. पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2016-17	1.34	5.49	40.49	0.27	0.00
21	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	2016-17	4.39	5.33	15.33	0.88	0.00
22	मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2016-17	35.41	335.33	244.29	7.08	0.00
23	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2016-17	9.16	12.09	393.19	1.83	0.00
24	संत रविदास मध्य प्रदेश हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.08	2.62	3.88	0.02	0.00

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ/हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लांभाश	घोषित लाभांश/ किया गया प्रावधान
25	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड	2016-17	0.26	0.23	5.23	0.05	0.00
26	मध्य प्रदेश जल निगम मयार्दित	2014-15	1.62	-0.20	54.80	0.32	0.00
27	शाहपुरा ताप विद्युत कम्पनी लिमिटेड	2015-16	नगण्य	0.02	0.07	नगण्य	0.00
28	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	नगण्य	0.16	13.55	नगण्य	0.00
	योग (क)		**397.72**			**79.53**	**43.38**
ख. अकार्यशील कम्पनी							
1	मध्य प्रदेश जे. पी. कोल फील्ड्स लिमिटेड	2016-17	0.01	-9.64	0.36	नगण्य	0.00
	योग (ख)		**0.01**	**-9.64**		**नगण्य**	**0.00**
	कुल योग (क+ख)		**397.73**			**79.53**	**43.38**

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)